पंचम माला, खंड 37, अंक 23, शुक्रवार, 22 मार्च, 1974/1 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 23, Friday, March 22, 1974/Chaitra 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[**दसवां सत्र**
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[**खंड 37 में अंक 21 से 30 तक है**
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23—शुक्रवार, 22 मार्च, 1974/1 चैत्र, 1896 (शक)

No. 23—Friday, March 22, 1974/Chaitra 1, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference .	1-2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

***ता० प्र० संख्या**
*S. Q. Nos.

404 दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry Port in Delhi	2-4
405 जापान के एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल का दौरा	Visit by an Official Delegation from Japan . . .	4-5
408 पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फारस की खाड़ी के देशों को विशेषज्ञों का एक द्रल भेजने का प्रस्ताव	Proposal to send a Team of Experts to Gulf States for Attracting Tourists . .	5-6
409 फटे-पुराने नोटों को नष्ट करना	Weeding out of Soiled Currency Notes	6-8
410 अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के लिए दावों का शीघ्र मूल्यांकन करने के लिए किए गए उपाय	Measures taken to Expedite Assessment of claims for Ex-Gratia Compensation .	8-11
411 वर्ष 1973 में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस द्वारा दुर्घटनाओं के लिये दी गई मुआवजे की राशि	Amount of Compensation paid for accidents by Air India and Indian Airlines during 1973	11-14
413 सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों से बातचीत के द्वारा समझौता करने के बारे में निदेश जारी करना	Issuing of Instructions in regard to Negotiated Settlement with Employees of General Insurance Corporation .	14-16
414 मुद्रास्थिति का सामना करने के बारे में देश के अर्थशास्त्रियों के सुझाव	Suggestion from Economists of the country to Combat Inflation	16-17
415 रक्सौल अथवा मुजफ्फरपुर के लिये नियमित विमान सेवा	Regular Air Service to Raxaul or Muzaffarpur . . .	17-18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

406 विभिन्न देशों द्वारा भारतीय उपकरणों की मांग	Demand of Indian Components by various countries . .	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—7 L.S.S./74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
407	इण्डियन एयरलाइंस को एयर इण्डिया के साथ मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to merge Indian Airlines with Air India . .	18
412	चालू खातों पर ब्याज देना	Payment of Interest for Current Accounts	19
416	भारत और क्यूबा के बीच व्यापार	Trade between India and Cuba	19
417	पेंशन पाने वालों को पेंशन की उनके निवास स्थानों पर अदायगी	Disbursement of Pension at Residences of Pensioners .	19
418	राष्ट्रीयकृत बैंको की सेवाओं के स्तर में गिरावट	Deterioration in Services of Nationalised Banks . .	19–20
419	चाय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट की प्रवृत्त	Declining Trend in International Price of Tea . . .	20
420	लम्बे रेशे की रूई की आयात	Import of Long Staple Cotton .	20–21
421	परामर्शदात्री फर्मों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Consultancy Firms . . .	21
422	सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गिरावट	Decline in Export of Ready made Garments . . .	21
423	कपड़ा उद्योग में लगे बड़े व्यापार गृह	Big Business Houses engaged in Textile Industry . . .	22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4120	उद्योगों के प्रबन्ध के लिये व्यावसायिक व्यक्ति	Professionals for Management of Industries	22
4121	राजकोट (गुजरात) में मूंगफली तथा अन्य आवश्यक वस्तूओं के स्टाक	Stocks of Groundnut and other Essential Commodities seized in Rajkot (Gujarat) . .	22–23
4122	रूई की वसूली	Procurement of Cotton . .	23
4123	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की बैंक सेवा में अनारक्षित रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ	Appointment of Emergency Commissioned Officers to Unreserved Vacancies in Bank Service	23
4124	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश के उद्योगों को दिया गया ऋण	Loan given by Agricultural Re-Finance Corporation to Industries in Madhya Pradesh .	23–24
4125	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to Employees of Central Public Works Department	24
4126	मध्य प्रदेश में चुने हुए पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक स्वागत केन्द्र खोलने हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for opening Tourist Reception Centre at Selected Tourist Centres in Madhya Pradesh . .	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4127	मधुबनी कला प्रदर्शनी	Madhubani Art Exhibition .	25
4129	कुवैत के साथ हवाई उड़ान संबधी समझौता	Air Agreement with Kuwait .	25
4130	संगठित क्षेत्र की ऋण संब ी मां ों को पूरा करने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अतिरिक्त धन	Additional Funds to Financial Institutions to meet credit demands of organised sector .	25–26
4131	पटसन उत्पादन करने वाले देशों की 13 फरवरी, 1974 को रोम में हुई बैठक	Meeting of jute producing countries held in Rome on 13-2-1974	26
4132	दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Third Pay Commission for Classes II, III and IV Employees . . .	26
4133	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गले-सड़े नोट स्वीकार करना	Acceptance of soiled notes by nationalised Banks . .	27
4134	वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता	Dearness allowance sanctioned to Central Government Employees during 1973-74 .	27
4135	दिल्ली में आयकर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income-tax in Delhi . . .	27–28
4136	वर्ष 1971 से वर्ष 1973 के दौरान पश्चिम जर्मनी से आयातित वस्तुएं	Items imported from West Germany during 1971-73 . .	28–29
4137	फ्रांस से प्राप्त ऋण पर ब्याज की अदायगी	Payment of interest on loan received from France . .	29
4138	रूमानिया को सामान का निर्यात	Export of goods to Rumania .	29–30
4139	बालचन्द्रम समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना	Implementation of Balachandram Committee Report	30
4140	'वायर रोप' उद्योग के निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली राज-सहायता में कटौती	Reduction in subsidy to exporters of wire rope industry .	30
4141	राष्ट्रीयकृत बैंक परियोजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में कुओं के निर्माण, नलकूप लगाने तथा कृषि के विकास के लिए दिया गया ऋण	Loans granted through nationalised bank projects in Madhya Pradesh for construction of wells, setting up of pumps and development of Agriculture	31
4142	कपड़ा उद्योगों में अधिक पूंजी लगाने के लिये वातावरण पैदा करना	Improving investment climate in textile industry . . .	31–32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4143	केरल सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों के विकास के लिये सहायता का अनुरोध	Request from Kerala Government for assistance to develop pilgrim centres . . .	32
4144	मध्य प्रदेश में अकाल राहत कार्यों के लिए दिये गये धन का दुरूपयोग	Misuse of Funds for Famine Relief works in M.P. . .	32
4145	साधारण खनिज पदार्थों के निर्यात में विस्तार	Expansion in export of Minor Minerals	33
4146	सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयासों को दुगना करने के लिए उपाय	Ways and means for doubling efforts in Public Sector .	33–34
4147	अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने का प्रस्ताव	Proposal to put Monetary ceiling on Import of Crude and Petroleum Products . . .	34
4148	अफीम उत्पादक कृषक संघ, प्रतापगढ़ से ज्ञापन	Memorandum from Opium Growers Association, Partapgarh	34
4149	तमिलनाडु में लोक नेताओं के विरूद्ध आरोपों संबंधी ज्ञापन का प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया जाना	Memorandum containing Charges against public men in Tamil Nadu submitted to P.M	35
4150	अमरीका और अरब देशों को माक्षिक (पाइराइट) के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Pyrite to USA and Arab Countries .	35
4151	रूस के उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizer from USSR	35
4152	इलाहाबाद बैंक, पश्चिम बंगाल की चित्तरंजन एवेन्यू ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरूद्ध आरोपों की जांच	Enquiry into the Charges against Former Manager of Chittaranjan Avenue Branch of Allahabad Bank, West Bengal	36
4153	अशोध्य और संदिग्ध ऋण	Bad and Doubtful Debts	36
4154	चाय बागानों को दी गई राजसहायता	Subsidies granted to Tea Estates	36
4155	इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली की सिंधिया हाउस ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरूद्ध कथित आरोप	Alleged Charges against Former Manager of Scindia House, Branch of Allahabad Bank, New Delhi . . .	36–37
4156	स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन के लिये एक मंजिल की सजावट	Decoration of a floor for the use of Chairman, SBI . .	37
4157	31 मई, 1973 को पालम हवाई अड्डे के निकट हुई बोइंग विमान दुघटना के विमान चालक और सह-चालक का सेवा से मुक्त कर दिया जाना . .	Termination of services of Pilot and Co-pilot of Boeing Aircraft which crashed on 31-5-1973 near Palam Airport. .	37–38
4158	कर्नाटक के लिए कृषिक पुनर्वित्त निगम की योजनाएं	Agricultural Refinance Corporation Scheme in Karnataka .	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4159	दिल्ली में शुष्क बंदरगाह	Dry Port in Delhi . . .	38
4160	नेपाल को चोरी-छिपे खाद्यान्न का ले जाया जाना	Smuggling of Foodgrains to Nepal	39
4161	तेल तथा तिलहनों को चोरी-छिपे अन्य देशों को ले जाना	Smuggling of Oil and Oilseeds out of India . . .	39
4162	कुछ वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि/ह्रास	Increase/decrease in Export of Certain Commodities .	39–40
4163	विदेशों को सवारी डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway Coaches to Foreign countries . .	40
4164	बम्बई के बी०ई०एस०टी० उपक्रम द्वारा अमरीका से संगणक मशीनें खरीदे जाने के लिये अधिक मूल्य दिया जाना	High Prices paid by BEST Undertaking, Bombay for purchasing Computing Machines from USA . . .	40–41
4165	कुछ कम्पनियों द्वारा पूंजी बढ़ाना	Raising of Capital by certain companies . . .	41
4166	पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in Punjab . .	42
4167	पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को कर की छूट	Tax Exemption to Industries in Backward Areas . . .	42
4168	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore and Manganese Ore through MMTC .	42–43
4169	छोटे खनिजों का निर्यात	Minor Mineral Export .	43
4170	पड़ौसी देशों को सहायता	Assistance to Neighbouring Countries	43
4172	देश में इंडियन एयरलाइंस द्वारा माल ढोने की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Cargo Capacity by Air lines in the country .	44
4173	वर्ष 1973–74 में बंगला देश से आयातित पटसन की मात्रा	Quantity of Jute imported from Bangladesh during 1973-74 .	44
4174	अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा प्रस्तावित ऋण	Credit offered by IDA .	44–45
4175	पोलैंड और सोवियत संघ को ऊनी कपड़ों का निर्यात	Export of Woolens to Poland and USSR	45
4176	इंडियन एयरलाईंस की सामान्य सेवा	Normal service of Indian Airlines	45
4177	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार समझौता	Trade agreement with EEC .	46
4178	भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार वार्ता	Trade talks between India and Afghanistan . . .	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4179	पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये अनुग्रह मुआवजा	Ex-gratia compensation for properties left in East Pakistan	46–47
4180	वर्ष 1965 से भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित करने के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति	Persons affected due to declaration of properties as Enemy Properties after 1965 Indo-Pak Conflict . . .	47–48
4181	पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रहित मुआवजा	Ex-gratia Compensation for Properties left in West Pakistan	48
4182	पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत मुआवजा	Ex-gratia compensation for properties left in East Pakistan .	48–49
4183	गत दो वर्षों में केरल में आरंभ की गई होटल परियोजनाएं	Hotel project undertaken in Kerala during the last two years	49
4184	केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को दिए गए ऋण	Loans advanced to unemployed engineers by nationalised banks in Kerala . . .	49–50
4185	रबड़ बोर्ड द्वारा आयोजित गोष्ठी	Seminar organised by rubber Board	50
4186	नई कपड़ा नीति	New Textile Policy .	50
4187	स्वीकृत होटलों को अपनी विदेशी मुद्रा की आय का प्रचार और विदेशों में होटल उद्योग के संवर्धन पर पुनः निवेश करने की अनुमति देना	Permission to approved hotels to re-invest foreign exchange earnings on publicity and promotion abroad . .	51
4188	व्यापारियों द्वारा ऋण सुविधाओंका दुरूपयोग	Misuse of credit facilities by business men . . .	51
4189	कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Cloth .	51–52
4190	वेतन आयोग के प्रतिवेदन में असंगतियां	Anomalies in Pay Commission's Report	52
4191	पटसन मिलों का अधिग्रहण	Taking over of Jute Mills .	52–53
4192	मध्यम और लघु उद्योग एककों की ऋण तथा अग्रिम धन	Loans and advances to Medium and Small Industrial Units .	53
4193	मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने में विलम्ब	Delay in acceptance of recommendations of Pay Commission regarding HRA and City Compensatory Allowance .	53–54
4194	ईरान का विकास फंड की स्थापना का प्रस्ताव	Iran's proposal for setting up Development Fund . .	54
4195	बजट पेश होने की पूर्व संध्या को अत्यावश्यक वस्तुओं का गायब हो जाना	Disappearance of Essential Commodities on the eve of Presentation of Budget .	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4196	आयात/निर्यात लाइसंस देना	Grant of Import/Export Licences	54
4197	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे स्तर पर व्यापार आरंभ करने के लिये बिना जमानत ऋण दिया जाना	Advancing of Loans by Nationalised Banks to Start Business on Small scale without furnishing Sureties . . .	55
4198	एशिया और अफ्रीका में विकास बैंक खोलने का प्रस्ताव	Proposal for setting up Development Bank in Asia and Africa	55
4200	गैर-सरकारी अनुसूचित बैंकों के डिपाजित	Deposits of Private Scheduled Banks	55–56
4201	विदेशी ऋणों की बकाया देय राशि	Outstanding Amount of Foreign Debt	56–57
4202	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पुस्तकों का निर्यात तथा आयात	Export and Import of Books through STC	57
4203	इंडियन एयरलाइंस को तालाबंदी के दौरान हुए घाटे को पूरा करना	Steps to make good the losses suffered by Indian Airlines during Lock out	58
4204	इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में विलंब के लिये विमान यात्रियों को मुआवजा देने का प्रस्ताव	Proposal to Compensate Air Passengers for delayed Flights of Indian Airlines . .	58
4205	सरकार और कपड़ा उद्योग के बीच मूल्यों और वितरण संबंधी स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना	Voluntary Price Control Scheme Relating to Prices and Distribution between Government and Textile Industry .	59
4206	इण्डियन एयरलाइंस के लिये उपयुक्त विमान खरीदने के लिए बातचीत	Negotiations for Acquiring Suitable Aircraft for Indian Airlines	59
4207	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिलों के पुनः पुर्वप्रापण (री० डिस्काउटिंग बिल्स) के लिये योजना तैयार करना	Formulation of Scheme by IDBI for Re-Discounting Bills .	59–60
4208	विदेशी हवाई अड्डों पर एयर इंडिया द्वारा ईंधन लेने में कमी करना	Reduction of Fuel Uplift by Air India at Foreign Airports .	60
4209	सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings by Export of readymade garments	60–61
4210	चाय का निर्यात	Export of Tea	61–62
4211	पी०एल०–480 करार के अंतर्गत अमरीका को निर्यात	Exports to USA under PL/480 Agreement	62
4212	दक्षिण भारत से चाय के निर्यात में गिरावट	Decline in export of tea from South India . . .	62
4213	भारत युगोस्लाविया द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना	Indo-Yogoslav Joint Industrial Ventures in Third Countries .	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4214	राष्ट्रीयकृत बैंकों को घाटा	Losses incurred by Nationalised Banks	63
4215	गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थापित किए गए औद्योगिक संयुक्त उपक्रम	Industrial Joint Ventures set up abroad during the last three year	63
4216	'एशिया' 72 पर हुआ व्यय तथा उससे हुई आय	Expenditure on and Income from 'Asia 72'	64
4217	पांचवी योजना में राणकपुर पर्यटक केन्द्र (राजस्थान) के विकास का प्रस्ताव	Proposal to Develop Ranakpur Tourist Centre (Rajasthan) during Fifth Plan . .	64
4218	रद्दी सूती के निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Difficulties Faced by Exporters of Cotton Waste . . .	64–65
4219	मध्य प्रदेश में व्यापारिक फर्मों द्वारा कपास उत्पादकों को ठगना	Cheating of cotton Growers by Trading Firms in Madhya Pradesh	65
4220	रेशम के कपड़ों पर बिक्री कर के ध्यान स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाना	Imposition of Additional Excise Duty in Place of Sales Tax on Silk Fabric	65
4221	मेवा का आयात	Import of Dry Fruit .	65–66
4222	वस्त्र उत्पादन और निर्यात	Production and Export of Textiles	66
4223	मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग	Use of Imported Cars by Ministers	66
4224	भारतीय पटसन निगम द्वारा कूच बिहार और जलपैगुड़ी में विपणन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal to Open Marketing Centres in Cooch Behar and Jalpaiguri by J.C.I. . . .	66–67
4225	भारतीय जूट निगम के कार्यालय में नियुक्तियां	Appointments made in the Office of J.C.I.	67
4226	भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने का प्रस्ताव	Proposal to Review the working of J.C.I.	67
4227	पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य	Minimum support Prices for Jute	67–68
4228	तम्बाकू विकास बोर्ड द्वारा तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू की खरीद	Purchase of Tobacco from Tobacco Growers by Tobacco Development Board . .	68
4229	न्यू सिटीजन बक आफ इंडिया का बैंक आफ बड़ौदा में विलय	Amalgamation of New Citizen Bank of India with the Bank of Baroda	68–69
4230	राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यय में वृद्धि	Increase in Expenditure of Nationalised Banks . .	69–70
4231	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर प्रभाव	Impact of International Monetary Crisis on Monetary System in India	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4232	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिये विमानों का चयन	Selection of aircraft for Air India and Indian Airlines . .	71
4234	कपड़ा आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Textile Commissioner . . .	71
4235	मसर्स जे० के० सिंथेटिक्स द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) को तकनीकी जानकारी देना	Provision of know how by M/s J. K. Synthetics to Federal Republic of Germany .	71-72
4236	चांदी की चादरों का निर्यात	Export of Silver Sheets .	72
4237	औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र द्वारा अर्जित व्यापार लाभ	Trading Profits made by Irmac .	72
4238	भारत में 14 नवम्बर, 1974 से होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	International Trade Fair to be held in India from 14-11-74	72-73
4239	वर्ष 1972—73 के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicrafts during 1972-73	73
4240	इंडियन एयरलाइंस के जमीन पर काम करने वाले और विमान चलाने वाले कर्मचारियों को वार्षिक आय की तुलना में मंज़ूरी तथा समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना	Overtime and wages paid to ground and Air staff of Indian Air lines as compared to Annual Income . . .	74
4241	बरास्ता मद्रास पोर्ट ब्लेयर के लिये इंडियन एयरलाइंस सेवा	Indian Airlines service to port Blair via Madras . . .	74
4242	जीवन बीमा निगम द्वारा नर्मदा जल परियोजना को ऋण दिया जाना	Advancing of loans by LIC to Narmada Water Project .	74
4243	इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान	Payment of Salary to Employees of Indian Airlines . .	75
4244	लोह अयस्क की सप्लाई के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये गये आर्डर	Orders secured by MMTC for Supply of Iron Ore . .	75
4245	आगरा, फतहपुर सीकरी तथा जयपुर के निकटवर्ती स्थानों को सुन्दर बनाने संबंधी कार्यकारी दल	Working Group on Beautification of places nearby to Agra, Fatehpur Sikri and Jaipur .	75
4246	सूती और उनी कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Cotton and Woollen Mills . . .	76
4247	कपड़ा उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाना	Foreign Exchange Earnings by Textile Industry . . .	76-77
4248	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences	77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4249	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के इन्सपेक्टरों द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर का निरीक्षण	Inspection of State Bank of Bikaner and Jaipur by Inspectors of Reserve Bank of India .	78
4250	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के सतकर्ता अधिकारी द्वारा दिल्ली की स्थानीय शाखाओं के कार्यकरण की जांच करना	Enquiry conducted by Vigilance Officer of State Bank of Bikaner and Jaipur into the Affairs of Local Branches of Delhi .	78
4251	नई पटसन मिलों की स्थापना	Setting up of New Jute Mills .	79
4252	पटसन उत्पादकों के हितों की देखभाल करने के लिये गठित की गई समिति का गठन तथा उसके कृत्य	Composition and Functions of Committee set up to look after the Interests of Jute Growers	79
4253	रूई के स्टाक के बारे में पुन: पाबन्दिया लगाना	Reimposition of Stock Restrictions of Cotton . . .	79-80
4254	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अभियान	Campaign to Promote Tourism	80
4255	खाद्यान्न वसूली के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा वित्त पोषण सुविधाएं	Financing facilities of RBI for Food Procurement . .	80-81
4256	कपास के उत्पादन, अनुसंधान और विपणन संबं ी कार्यक्रम	Programmes of production, Research and Marketing of Cotton	81
4257	वर्ष 1972-73 में राज्य-व्यापार निगम और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आयातित कृत्रिम धागे का कुल मूल्य	Total value of Artificial Yarn Imported through STC and other Agencies during 1972-73	81
4258	गुजरात के पहाड़ी ौर वन क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Hilly and Forest Areas Particularly in Gujarat .	82
4259	ऋण देने की अधिकतम सीमा से निर्यात क्षेत्र को छूट	Exemption of Credit to Export Sector from Quantitative Ceiling on Credit Expansion	82
4260	विदेशों से लौट रहे ारतीय राष्ट्रिकों के लिये उदार बनाई गई योजना के अंतर्गत मशीनों के आयात के लिये आवेदन पत्र	Applications for Import of Machinery under the Liberalised Scheme for Indian Nationals returning from Abroad	82
4261	पूंजीगत वस्तुओं का आयात	Import of capital goods .	83
4262	जीवन बीमा निगम में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और अधिक व्यक्तियों की भर्ती	Decentralisation of Powers and Recruitment of more hands in LIC . . .	83
4263	नई कम्पनियों द्वारा शेयरों का नियतन	Allocation of Shares by new Companies	84
4264	वर्ष 1973-74 में आयात/निर्यात की मात्रा	Volume of Imports/Exports during 1973-74 . . .	84-85

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4265	चाकुलिया (बिहार) हवाई अड्डे का उपयोग	Utilisation of Chakulia Aerodrome (Bihar) . . .	85
4266	आई० टी० डी० सी० एम्पलाइज यूनियन की मांगें	Demands of ITDC Employees Union	85-86
4267	तिलहनों का सट्टा व्यापार	Speculative Trade in Oil Seeds	86
4268	वर्तमान तेल संकट के कारण भारतीय जूट की वस्तूओं की मांग	Demand for Indian Jute Goods due to Current Oil Crisis .	86
4269	मारुति लि० के निदेशक के नियंत्रणाधीन कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by companies under the Directors of Maruti Ltd.	86-87
4271	राज्य व्यापार निगम के कुछ विपणन प्रबंधकों द्वारा स्थानीय बाजार में अरंडी के तेल की बिक्री	Sale of Castor Oil in Local Market by some Marketing Managers of STC . .	87
4272	एयर इंण्डिया के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against Officers of Air India	87
4273	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बिना जमानत ऋण दिया जाना	Grant of Loans by Nationalised Banks to Educated Unemployed without Security .	88
4274	पांचवीं योजनावधि में भारत द्वारा विदेशी ऋण का भुगतान	Repayment of India's Foreign Debt in Fifth Plan period .	88
4275	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से व्यापार	Trade with South-East Asian countries	88-89
4276	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	89
4277	न्यूजीलैंड को निर्मित वस्तु ों का निर्यात	Export of manufactured goods to New Zealand . . .	89
4278	बम्बई में जल सप्लाई योजना के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance from World Bank for water supply scheme in Bombay	89-90
4279	भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिये समेकित महंगाई भत्ता	Consolidated Dearness Allowance for Employees of ITDC	90
4280	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने में कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in granting loans by Nationalised Banks in Himachal Pradesh . .	90-91
4281	हिमाचल प्रदेश में किसानों और उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loans advanced to farmers and Industrialists in Himachal Pradesh	91
4282	हिमाचल प्रदेश के चाय उद्योगों को होने वाली कठिनाइयां	Hardships suffered by Tea Industry of Himachal Pradesh	91-92
4283	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा धन-राशि का प्रत्यावर्तन	Repatriations by Indian Oxygen Limited	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4284	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के भवन के निर्माण में हुई प्रगति	Progress made in construction of building of RBI . .	92
4285	मूल्यों में सामान्य वृद्धि	General rise in prices .	93
4286	ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार संबंधों का विकास	Development of special trade relationships with U.K. .	93
4287	राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट का लिया जाना	Overdrafts by States	94
4288	ऊनी, रेशमी तथा सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात	Production and export of woollen, silken and cotton clothes .	94-95
4289	कपड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Textile Industry	95
4290	स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के सेवा काल को बढ़ाया जाना	Extension of service to Chairman, SBI	95
4291	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में जालसाजी	Frauds in State Bank of Bikaner and Jaipur	95-96
4292	राजधानी में पर्यटक-गाइड की आय	Income of Tourist Guides in the Capital	96-97
4293	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में वाशिंग्टन में सम्मेलन	Conference on World Economic Situation in Washington .	97
4294	इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्रणाली का पुनर्गठन	Re-organisation of Pilot Training and licensing system in Indian Airlines	97-98
4295	हथकरघा उद्योग की आयातित रूई की मांग	Demand of Imported Cotton by Handloom Industry . .	98
4296	हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों के विकास के लिए टर्किश टावल और स्पोर्टस् शर्टस् को सुरक्षित करना	Reservation of Turkish Towels and Sports Shirts for Development of Handlooms and Powerlooms Sector . .	98
4297	पर्यटन संवर्धन में सांस्कृतिक परम्परा का महत्व	Importance of Cultural Heritage in Tourism Promotion .	98-99
4298	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्रेता ऋण योजना लागू करना	Introduction of Buyers' Credit Scheme by IDBI . . .	99-100
4299	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पत्रिकाओं तथा तकनीकी पत्रिकाओं का आयात	Import of Journals and Technical Magazines through STC	100
4300	अशोक होटल तथा अकबर होटल में कर्मचारियों के वेतन मान	Pay Scales in Ashoka and Akbar Hotels	101
4301	इलाहाबाद बैंक, पटना	Allahabad Bank, Patna .	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4302	पूर्वी रेलवे के धनबाद डिविजन के डाक्टरों द्वारा आयकर के निर्धारण के लिये भरी गई आयकर विवरणियां	Statement of Income filed by Doctors of Dhanbad Division of Eastern Rail way for Income Tax Assessment . . .	101–102
4303	बम्बई में अवैध सामान की बरामदगी	Seizure of Contraband Articles in Bombay	102
4304	भारतीय परियोजनाओं के लिये नार्वे से सहायता	Assistance from Norway for Projects in India . . .	102
4305	चाय बोर्ड की वित्त योजना	Finance Scheme of Tea Board .	102–103
4306	फरवरी, 1974 के दौरान बैंक की जमा राशि में कमी	Decline in Bank Deposits during February, 1974 . . .	103
4307	चाय/काफी के निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings by Tea, Coffee Exports . .	104
4308	राजस्थान में उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Industries in Rajasthan .	105
4309	राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्वनियोजन योजनाओं के अधीन प्राप्त आवंदन-पत्रों की मंजूरी	Clearance of Applications received by Nationalised Banks under self-employment schemes	105
4310	विदेशी पर्यटकों का सरकारी होटलों में रहना	Occupancy of Public Sector Hotels by Foreign Tourists .	106
4311	जूट मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Jute Mills	106–107
4312	जूट मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्ताव	Proposal to increase productions of Jute Mills . . .	107
4313	त्रिपुरा में जूट मिलें स्थापित बरनक करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Jute Mills in Tripura	107
4314	संकटग्रस्त जूट मिलों को अधिकार में लेने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to take over sick jute Mills	108
4315	पांचवीं योजना के दौरान जूट मिलों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव	Proposal to Modernise Jute Mills during Fifth Plan . . .	108
4316	चौथी योजना में पर्यटक होटलों की स्थापना का लक्ष्य	Target of Opening Tourist Hotels during Fourth Plan . .	108
4317	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में नये हवाई अड्डे स्थापित करने का लक्ष्य	Target of setting up New Airports during the First Year of Fifth Plan	109
4318	आस्ट्रियाई व्यापार दल का दौरा	Visit by Austrain Trade Team .	109
4319	टैक्सटाईल मशीनरी का आयात	Import of Textile Machinery .	110
	दिनांक 7–12–1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3795 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to U.S.Q. 3795 dated 7-12-1973	110

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
5 लाख मीटरी टन उर्वरक की कमी का समाचार—	Reported shortfall of 5,00,000 tonnes of Fertilizers—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	. 110 व 112
श्री शाहनवाज खां	Shri Shah Nawaz Khan	. 111–112, 113–114, 115 व 116
संसद भवन में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में	Re. Medical Facilities in Parliament House . .	. 116–118
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	. 118–119
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	. 119–120
विधयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Bill as passed by Rajya Sabha—	
(एक) गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill .	120
(दो) आर्थिक अपराध (परिसीमाकाल का लागू न होना) विधेयक	Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Bill .	120
सभा का कार्य	Business of the House	. 120–123
श्री जी० ए० अप्पान, संसद सदस्य द्वारा आमरण अनशन के बारे में	Re. Fast unto Death by Shri G. A. Appan, M. P. . .	123
लेखा अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1974–75-पारित	Demands for Grants on Account (Gujarat), 1973-74—Passed .	124–129
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1974–74—पारित	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1973-74—Passed	129–131
गुजरात विनियोग विधेयक, 1974—पुरः-स्थापित और पारित	Gujarat Appropriation Bill, 1974—Introduced and Passed	131–132
अनुदानों की मांगें (रेल) 1974–75—	Demands for Grants (Railways) 1974-75—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	. 132–134
श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan	. 134–135
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	. 135–136
श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	136
श्री ए० एस० कस्तूरे	Shri A. S. Kasture .	. 136–137
श्री गोविन्द दास रिछारिया	Shri Govind Das Richhariya .	137
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	137–138
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	138
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	. 138–141 व 142–143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विनियोग (रेल) विधेयक, 1974—पुरःस्थापित—	Appropriation (Railways) Bill, 1974—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	144–145
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	145
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 & 1	145
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	145
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 17, आदि का संशोधन) श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय द्वारा	Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2, 17 etc.) by Dr. Laxminarain Pandeya . . .	146
(दो) हिन्दू विवाह (संशोधन विधेयक) (धारा 13 और 15 का संशोधन)—श्री मधु लिमये द्वारा	Hindu Marriage (Amendment) Bill (Amendment of Section 13 and 15) by Madhu Limaye . .	146
(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियां) (आदेश संशोधन) विधयक—श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill by Shri C. K. Chandrappan . . .	146
परिसीमन (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 9क) का अतः स्थापन)—श्री मधु लिमये द्वारा वापिस लिया गया—	Delimitation (Amendment) Bill —withdrawn Insertion of new section 9-A by Shri Madhu Limaye—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . .	147
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya .	147
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandye . .	147
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	148
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	148
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	148–149
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	149
खान (संशोधन) विधेयक—(धारा 12, 64 आदि का संशोधन), श्री एस० सी० सामन्त द्वारा वापिस लिया गया—	Mines (Amendment) Bill—withdrawn Amendment of 12, 64 etc.) by Shri S. C. Samant—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta .	150
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya .	150–151

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	151
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi .	151
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma .	151-152
नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक (धारा 10, 20 आदि का संशोधन)	Coir Industry (Amendment) Bill (Amendment of Sections 10, 20 etc.)	153
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion— .	
स्कूटर्स इंडिया लिमिटड, लखनउ द्वारा निर्मित स्कूटरों की विक्रय एजेंन्सियां—	Dealership for Scooters Manufactured by Scooters India Ltd., Lucknow—	
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	153-154
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . . .	155-156

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 22 मार्च, 1974/1 चैत्र, 1896 (शक)
Friday, March 22, 1974/Chaitra 1, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री टी० सी० साखरे की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है। उनका स्वर्गवास 18 मार्च, 1974 को नागपुर में हुआ। वे 74 वर्ष के थे।

श्री साखरे तत्कालीन बम्बई राज्य के बान्दरा निर्वाचन क्षेत्र से 1952–53 के दौरान प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे। वह निगम और राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे।

हमे उनकी मृत्यु पर बहुत दुःख है और मुझे विश्वास है कि सदन सन्तप्त परिवार को सान्तवना देने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण उनकी मृत्यु पर दुःख प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़े हों।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निधन सम्बन्धी उल्लेख के बारे में विचार विमर्श करना चाहता हूं। अन्य संसदों में अपवाद परिस्थितियों के अतिरिक्त निधन सम्बन्धी उल्लेख प्रस्तुत नहीं किए जाते। लेकिन जब वे प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उनमें केवल मात्र उल्लेख ही होता है। और सभा के सदस्यगण फिर मौन खड़ी हो जाती हैं। हम यहां उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। मेरा विचार इस बारे में सब दलों के नेताओं अथवा सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी समिति से विचार विमर्श करने का है। मैंने इस विशेष विषय पर अन्य संसदों के कार्य का अवलोकन किया है। वहां इस बारे में विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : While coming to the House, we are stopped at the gate. It has happened thrice with me. There is a 'police raj' throughout the precincts of Lok Sabha. When we go to leave the visitors, they are unnecessarily harassed. There were only eight people posted in the plain clothes in Lok Sabha in 1959 but now their strength is 120. When we go to collect the passes for our guests, we are told that there is no space in the gallery. We are always treated like that.

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें यहां नहीं उठाई जानी चाहियें। इनके बारे में मुझे लिखा जा सकता है। कृपया सदन में प्रत्येक बात नहीं उठायें।

2—7LSS/74

Shri Hukam Chand Kachwai : Once Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Sharma were stopped. Old members are also stopped.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस बारे में लिखें और जानकारी दें। कृपया ऐसे ही न बोलने लगें। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Vithal Bhai stated that only one man will remain in the gallery in the plain clothes, but now there are 120 people in the gallery. When there is the Watch & Ward Staff of Lok Sabha to look into all the matters, what is the necessity of police there ? If the police have to be posted in such a large number, the watch and ward staff should be removed. The policemen searched our visitors.

अध्यक्ष महोदय : हमें अपनी सुरक्षा के लिये विशेष सुरक्षा उपाय करने पड़ते हैं। अगर कोई बात होगी, तो आप यही कहेंगे कि स्पीकर ने सिक्युरिटी का क्या इंतजाम किया।

Dr. Laxminarain Pandeya : When there were certain members, the policemen asked them about their names and Division Numbers.

अध्यक्ष महोदय : हमें पूरी सावधानी बरतनी पडती है। हमारे स्वयं के सुरक्षा कर्मचारी हैं। हमे सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether you have permitted so many policemen to be posted in plain clothes in the gallery ? Do they sit there with your permission ? Do you enquire regarding the number of policemen sitting in the gallery. Our guests are refused passes and they are told that there is no space in the gallery whereas the policemen in large numbers sit there.

Dr. Laxminarain Pandeya : When there is a fullfledge Watch and Ward Department, why the policemen are posted there ?

Shri R. R. Sharma : 120 policemen are present in the gallery, when the Watch and Ward Department already exists, what is the necessity of keeping these policemen there ?

अध्यक्ष महोदय : वे प्रतिनियुक्ति पर होंगे अथवा इसी प्रकार की अन्य नियुक्ति पर होंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में शुष्क पत्तन

*404. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन स्थापित करने पर कितनी धन राशि खर्च होगी ;

(ख) इस परियोजना के क्रियान्वित होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस परियोजना को व्यावहारिक स्वरूप देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दिल्ली के समीप शुष्क पत्तन की स्थापना की प्रस्थापना में 2.57 करोड़ रु० के पूंजीगत व्यय तथा 25 लाख रु० के आवर्ती व्यय की व्यवस्था है। ये अनुमान 1970 में लगाए गये थे।

(ख) तथा (ग) इस आपत्ति के कारण कि दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना से दिल्ली महानगर क्षेत्र में जनता का अन्त: प्रवाह बहुत बढ जाएगा तथा इससे इस क्षेत्र के विकास के लिये मास्टर योजना बिगड़ जाएगी, शुष्क पत्तन की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया है कि दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन की स्थापना नहीं की जा रही है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जनता का अन्त:प्रवाह बहुत बढ जायेगा और बृहद योजना पर भी इसका विपरीत प्रभाव पडेगा । अन्य देशों में शुष्क पत्तन कैसी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और ये दो बातें वहां प्रभावी नही होती । मैं यह जानना चाहता हूंकि इस बारे में वास्तविक कठिनाईयाँ क्या हैं ?

श्री ए० सी०जार्ज : जैसा कि मैं अपने उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लेख कर चुका हूं, शुष्क पत्तन स्थापित करने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है क्योंकि नगर और देश योजना विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया था कि ऐसा करने से प्रस्तावित क्षेत्रों, विशेष रूप से तुगलकाबाद में जनता का अन्त: प्रवाह बहुत बढ जायेगा । मैं ऐसी सम्भावना से इंकार नहीं कर रहा हूं । मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि विश्व के समस्त भागों में शुष्क पत्तन हैं । लेकिन जब हमें इस प्रकार शुष्क पत्तनों की स्थापना करनी पड़ती है तो हमें विभिन्न विभागों द्वारा व्यक्त मतों पर भी ध्यान देना होता है । हमने विभिन्न विभागों से सलाह ली थी और नगर और देश योजना विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि प्रस्ताविक स्थान के तुगलकाबाद में होने के कारण जिसे हम अन्यथा उपयुक्त समझते हैं, जनता के अन्त:प्रवाह में भारी वृद्धि की सम्भावना हो जायेगी । हम उक्त आपत्ति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं शुष्क पत्तन की स्थापना की सम्भावना से इंकार नहीं कर रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है क्योंकि इन कारणों से हम इस विषय पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं । हम आपत्ति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि वर्तमान बड़े पत्तन शुल्क पत्तन की स्थापना के विरोधी है और इसकी स्थापना के विरूद्ध उन्होंने गुप्त अभियान आरम्भ किया हुआ है?

श्री एस० सी० जार्ज : मेरे विचार से वर्तमान पत्तन, सम्भवतया बम्बई को, जिसका यातायात शुष्क पत्तन की ओर थोड़ा सा मुड़ जायेगा, इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी । इससे वहां भीड़-भाड़ में कमी होगी । मुझे निहित स्वार्थों द्वारा इस मामले में किये जा रहे गुप्त अभियान की कोई जानकारी नहीं है ।

Dr. Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister will consult the planners of the World or the Socialist Countries where dry ports have been established so that the shortcomings experienced by them may be removed or there are experts in our own country whose services are to be utilized to remove the shortcomings ?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार में रूस अथवा किसी अन्य देश के साथ कोई विचार विमर्ष नहीं किया गया था । यह बात उठाई गई थी कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना हो सकती है । अन्यथा कोई रुकावट नहीं है । हम इस आपत्ति को दूर करने के लिए आशावान हैं ।

Dr. Laxminarain Pandeya : The hon. Minister has stated that they have not given up the idea of establishing dry port and it is under consideration. The same plea is being given for the last several years. If you think that there should be dry port then will you take a final decision that this will be established in two or three years or it will be established or not established ? Can the Government give such time limit ?

श्री ए० सी० जार्ज : सबसे पहली बात यह है कि यह सुझाव केवल वर्ष 1969 में दिया गया था । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मामला लगभग 12 वर्षों से लटक रहा है । मैं स्वीकार करता हूं कि इस सुझाव पर विचार करने में विलम्ब हुआ है । वाणिज्य मंत्रालय समझता है कि यह एक सही

प्रस्ताव है, इससे उत्तरी क्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और काश्मीर लाभान्वित होंगे। इस नए औद्योगिक क्षेत्र में अनेक इंजीनियरिंग कारखाने स्थापित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र से अधिक निर्यात करने की सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके विस्तार में मत जाइये।

श्री ए० सी० जार्ज : हम इसको स्थगित नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं माननीय सदस्यों को संगत प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा तो उत्तर भी संगत आना चाहिए। अनावश्यक रूप से लम्बा उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे उत्तर से अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मोटे तौर पर बता सकती है कि इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? किन विशेष सुविधाओं पर विचार किया जायगा?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं निश्चित समय बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा। हम इस मामले में शीघ्र निश्चय करेंगे।

जापान के एक सरकारी प्रतिनिधी मंडल का दौरा

\+

*405. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ने फरवरी, 1974 में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किस विषय पर बातचीत हुई तथा क्या निर्णय किये गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

फरवरी, 1974 में जपान से कोई सरकारी शिष्टमण्डल भारत नहीं आया। तथापि 21 से 29 जनवरी, 1974 तक की अवधि में, जापान सरकार द्वारा नियुक्त एक सर्वेक्षण दल भारत आया था जिसमें वहां के वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा आर्थिक आयोजन अभिकरण और जापान के आयात निर्यात बैंक के अधिकारी शामिल थे। जापान सरकार 1973-74 के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये एक संयंत्र के पक्के वायदे के आधार पर और आने वाले दो वित्तीय वर्षों 1974-75 और 1975-76 के लिये एक एक संयंत्र के वायदों के आधार पर, पांचवीं आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में तीन उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय में से 32.9 अरब येन (वर्तमान विनिमय दर पर 93.7 करोड़ रुपये) तक का वित्तपोषण करना पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

2. सर्वेक्षण दल की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपनी सरकार को उस परियोजना के बारे में सिफारिशें देना था जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऋण दिया जाएगा।

3. दल ने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तथा परियोजना प्राधिकारों और इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया।

दल ने अपनी रिपोर्ट जापान सरकार को पेश कर दी है। जापान सरकार ने अब प्रस्ताव किया है कि वर्तमान वर्ष के लिये ऋण भटिण्डा उर्वरक परियोजना के लिए दिया जाय, जो कि हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इस प्रथम संयंत्र के लिये ऋण करार पर जल्दी ही हस्ताक्षर होंगे जिसमें ऋण राशि और शर्तें निर्धारित की जायेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि जापान की सरकार ने पांचवी योजनावधि के दौरान तीन उर्वरक संयंत्रों के लिए 32.9 बिलियन येन तक का विदेशी मुद्रा व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया है। जापान की सरकार किन शर्तों पर ऋण दे रहे हैं? पहला संयंत्र भटिंडा में स्थापित किया जायेगा। क्या वह बताएंगे कि पांचवीं योजनावधि में अन्य दो संयंत्रों को कहां स्थापित किया जायेगा तथा किसको प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। एक स्थान है पानीपत और दूसरा मथुरा। जहां तक ऋण का संबंध है, इसको 25 वर्षों में वापिस किया जायेगा जिसमें अनुग्रह अवधि 7 वर्ष की है तथा ब्याज दर चार प्रतिशत है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जापान से आए सरकारी प्रतिनिधि मंडल में वित्त, विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग तथा आर्थिक योजना एजेन्सी के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। क्या उर्वरक संयंत्रों के बारे में समझोतों के अलावा किसी अन्य मामले पर विचार विमर्श हुआ? क्या यह सच है कि जापानी दल ने तेल की खोज में भारत को सहायता देने की पेशकश की है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस दल ने केवल उर्वरक संयंत्र के बारे में बातचीत की थी।

Shri Ramavatar Shastri : It has been said that Japan will give foreign exchange worth Rs. 98 crores and 7 lakhs for establishing three fertilizer plants. I want to know the total foreign exchange to be spent on the three plants?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक बाद के दो संयंत्रों का संबंध है, इस समय यह कहना कठिन है कि इनकी लागत कितनी आयेगी परन्तु एक बात निश्चित है कि वे पहली परियोजना के लिए 11 बिलियन येन देने के लिए सहमत है। समूची विदेशी मुद्रा इकट्ठी नहीं दी जायगी, कुछ मुद्रा बाद में दी जाएगी।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फारस की खाड़ी के देशों को विशेषज्ञों का एक दल भेजने का प्रस्ताव

+

***408. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री चन्द्रभालमनी तिवारी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने के लिए फारस की खाड़ी के देशों को विशेषज्ञों का एक दल भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह दल कब भेजा जायेगा; और

(ग) इन पर्यटकों के लिए, सेवाओं का सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत के लिये पर्यटन यातायात को प्रोत्साहित करने के लिये निकट भविष्य में बेरूत में एक पर्यटन कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। खाड़ी के राज्य भी इस कार्यालय के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत होंगे।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : हमें यह बताया गया है कि सरकार का विचार मध्य पूर्व के देशों को एक दल भेजने का है। चूंकि मंत्री महोदय इससे इन्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया है अथवा नहीं किया है।

डा० सरोजिनी महिषी : 22 फरवरी, 1974 को, जब भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष प्रेस सम्मेलन में बोल रहे थें, तब उनसे पूछा गया था कि क्या खाड़ी के देशों से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने केवल यह उत्तर दिया हैं कि वे खाड़ी के देशों को एक अध्ययन दल भेजना चाहेंगे जो उस क्षेत्र से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास करेगा। इस बारे में कोई ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है, परन्तु आगामी तिमाही में इन देशों को जाने का विचार है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस तथ्य को देखते हुए कि मध्यपूर्व के देशों में पर्यटकों को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं, सरकार का विचार इस क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र खोलने के अलावा यहां से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

डा० सरोजिनी महिषी : इन देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम का एक प्रस्ताव खाड़ी के देशों को एक अध्ययन दल भेजने का है। इसके अलावा बेरूत कार्यालय इन सभी देशों सम्बन्धी कार्य संभालेगा। एयर इंडिया भी इन क्षेत्रों को भ्रमण किराया दे रहा है। सामान्य किराये से 30 प्रतिशत कम किराया लिया जा रहा है ताकि इन देशों के पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित किया जा सके और वे सीधे भारत आएं।

फटे पुराने नोटों को नष्ट करना

*409. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कर्मशियल बैंकों ने रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वे फटे-पुराने नोटों के नष्ट करने में असमर्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों ने इसके क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) कारण ये बताये गये हैं कि कर्मचारियों की कमी है और उनके पास एकत्रित नोटों का निपटारा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला।

(ग) साधारणतः वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नोटों को दुबारा जारी किये जा सकने वाले और जारी न किये जा सकने वाले नोटों में छांट कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को भेजें। दिसम्बर, 1973 में बैंक ने विशेष अपवाद के रूप में नोटों की इस प्रकार की छंटाई करने से छूट दी थी। जब कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने अपने अधिशेष नकदी शेष के निपटारे की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार का आवेदन किया था।

Shri Y. P. Mandal : The hon. Minister has stated that it is due to the paucity of staff and insufficient time, then whether overtime will be given to get the work done ? If they do not want to make further recruitment then what are the difficulties in getting this work done on overtime so that notes valued at about Rs. 1000 crores in Bombay, Ahmedabad and other places may be weeded out properly ?

श्री के० आर० गणेश : साधारण तया रिजर्व बैंक यह अपेक्षा करता है कि बैंकों द्वारा दुबारा जारी किये जा सकने वाले और जारी न किय जा सकने वाल नोटों को अलग किया जाना चाहिए। रिजर्व

बैंक द्वारा 1973 में आरम्भ किये गये कुछ उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों को कठिनाई का अनुभव हुआ और उन्होंने रिजर्व बक से बिना छंटाई करके नोट देने की अनुमति प्राप्त की। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह काम कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देकर कराया जा सकता है। बैंकों ने निश्चय ही इन समस्याओं को ध्यान में रखा है। चूंकि ऐसे नोट बहुत बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं इसलिए उन्होंने सोचा कि रिजर्व बैंक और उसकी शाखाओं को ऐसे नोट शीघ्रता से देने के लिए यहीं बेहतर तरीका है।

Shri Y. P. Mandal : The hon. Minister has stated in Part (c) of the reply that the Bank waived it in case of certain commercial banks. It means that this is not applicable to other banks, what are the reasons of this discrimination ? He has stated "...... duly sorted into reissuables and nonissuables. In December, 1973, such sorting of notes was waived by the bank as a special case on being approached by certain commercial banks for faciltating disposal of their surplus cash balances."

I want to to know the reasons of this discrimination ?

श्री के० आर० गणेश : इन वाणिज्यिक बैंकों ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से आवेदन किया था कि वे दुबारा जारी किये जा सकने वाले और न जारी किये जा सकने वाले नोटों को अलग अलग करने की स्थिति में नहीं हैं, अतः रिजर्व बैंक ने उन्हें अनुमति दे दी थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated in his reply that notes are not sorted out due to the paucity of staff. In that case, are they going to make fresh recruitments ? During December last, sorted notes amounting to 6 lakhs of rupees from a bank were stolen which were later on recovered in Madhya Pradesh. May I know whether it is a fact that besides sorted notes bank do not take notes of the denomination of Rs. 10, Rs. 5 and Re. 1 from the traders and if they take, they take it on commission ? Will you make such arrangements that they may accept these notes ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the original question. The question is "Inability to weed out certain currency notes". Your question is irrelevant.

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला, कि क्या हम और अधिक कर्मचारियों को रखेंगे या नहीं। मैंने बताया है कि ये अस्थायी समस्या है कि नोट किसी खास समय में इकट्ठे हो जाते हैं। बैंक इसके लिए और अधिक कर्मचारी नहीं रख सकते हैं। वे पता लगाते हैं कि उचित तरीका क्या है और रिजर्व बैंक नियमों के संगत उपबंधों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करते हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है मैं नहीं समझता कि यह मूल प्रश्न से उठता है और न इस संबन्ध में मेरे पास तथ्य है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sorted notes, which the banks reject, worth Rs. 6 lakhs were stolen, which were later on recovered..

Mr. Speaker : How the subject of theft regarding Madhya Pradesh has come in it. यह संगत प्रश्न नही है। यह केवल पुराने नोटों को नष्ट करने के बारे में है।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि एक रुपये के नोटों के स्थान पर सिक्के चलाए जाएंगे और यदि हां, तो इसमें कितना व्यय आयेगा ?

श्री पीलू मोदी : क्यों ?

श्री के० आर० गणेश : इस मामले पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जा रहा है। इस पर वहां चर्चा की गई थी तथा यह निर्णय किया गया है कि इस बात की आगे जांच की जाये कि इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या फटे-पुराने नोटों की छटनी का कार्य पहले रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था तथा बाद में यह कार्य अन्य बैंकों को सौप दिया गया। क्या रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने सरकार को इस आशय का ज्ञापन दिया था कि यह कार्य रिजर्व बैंक में ही होना चाहिये तथा अन्य बैंकों को नहीं दिया जाना चाहिये और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में थोड़ा सा भ्रम है। बैंकों को ऐसे नोट अलग-अलग करने होते हैं जिन्हें पुन: जारी किया जाये और जिन्हें जारी न किया जाए। जहाँ तक फटे-पुराने नोटों को रद्द किये जाने का सवाल है उस समय यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक तथा इसकी विभिन्न एजेंन्सियों द्वारा ही किया जा रहा है। इस काम को अन्य बैंकों को सौंपने की बात विचाराधीन है।

अनुग्रह पूर्वक मुआवजे के लिए दावों का शीघ्र मूल्यांकन करने के लिए किए गए उपाय

*410. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाक युद्ध में और उसके बाद भूतपूर्व पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित की गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजें के दावों का शीघ्र मूल्यांकन करने और उनके लिए भुगतान करने के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) भूतपूर्व पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए (एक) कंपनियों को, और (दो) व्यक्तियों को दी गई मुआवजों की कुल राशि के अद्यतन आंकड़े क्या हैं; और

(घ) उक्त मुआवजों के लिए और (एक) व्यक्तियों और (दो) कंपनियों के दावों की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) अधिकांश मामलों में दावेदार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। अत: सांपार्श्विक साक्ष्य स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है। दावों के मूल्यांकन के लिए मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन करने के लिए शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक और पश्चिम बंगाल सरकार के दो अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया है। पैनल कलकत्ता में कार्य करेगा।

(ग) कम्पनियों को 2.85 करोड़ रु० तथा एकाकी व्यक्तियों को 0.19 करोड़ रु० की कुल राशि का अनुग्रह भुगतान किया गया।

(घ) एकाकी व्यक्तियों के लगभग 4000 दावे और कम्पनियों के लगभग 600 दावे निपटाने बाकी हैं।

श्री समर गुह : मैंने जो प्रश्न पूछे थे वे विशिष्ट और स्पष्ट थे किन्त उन सभी का उत्तर नहीं दिया गया। अत: मैं अपनी बात की कुछ व्याख्या करना चाहूंगा।

विभाजन के समय, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को उनकी वहाँ छोड़ी गई सम्पत्ति का मुआवजा दिया गया था। उस समय सम्पत्ति और जन संख्या का पूर्णरूप से तबादला किया गया था। किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के मामले में यह स्थिति नहीं रही। 1950 के नेहरू-लियाकत

समझौते के अनुसार, जिन शरणार्थियों ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ा उन्होंने अपनी भूतपूर्व जन्मभूमि में अपनी सम्पत्तियों का अधिकार अपने पास रखा। किन्तु 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् उन सभी सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया गया। उत्तर में इस तथ्य का हवाला नहीं दिया गया। एक वर्ष तक प्रयत्न करने के पश्चात एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से मुझे कुछ जानकारी मिल सकी। सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी के अनुसार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये 200 दावेदारों को 1.42 करोड़ रुपया दिया गया तथा भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान के दावेदारों को लगभग। 1.04 करोड़ रुपया दिया गया है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर ली है? इस बात के क्या कारण है कि 1.42 करोड़ रुपयों में से पूर्वी बंगाल के मूल निवासियों को केवल 70,000 रुपये दिये गये हैं और शेष 80 प्रतिशत धनराशि उन व्यक्तियों को दी गई है जो वहाँ केवल व्यापार करने के लिये गये थे? दूसरे, क्या यह सच है कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के बीच सम्पत्ति की अदला-बदली के कारण सभी सम्पत्तियों को पाकिस्तान सरकार ने या तो जब्त कर लिया या उनको अर्जित कर लिया? इसके पश्चात् भी पश्चिम पाकिस्तान के व्यापारियों में से दावेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपया क्यों और किस प्रकार दिया गया? ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास अथवा पंजाव में नहीं हैं वरन्, कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर में हैं। इन कम्पनियों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि दी गई हैं। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं। क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ? पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिये जाने के क्या कारण हैं? लगभग 65 लाख शरणार्थियों को मुआवजे से वंचित रखा गया है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

श्री ए० सी० जार्ज : पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की यह समस्या 1965 के पश्चात् ही संगत है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने अपनी छोड़ी गई सम्पत्ति का अधिकार अपने पास रखा तथा वे अपनी सम्पत्ति को इच्छानुसार बेच सकते थे, या बदल सकते थे। इस लिये उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। निष्क्रांत सम्पत्ति कानून पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये लागू नहीं होता। 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् उस सम्पत्ति को तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया। इस से स्पष्ट होता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दी गई मुआवजे की राशि में क्यों विषमता हो गई। माननीय सदस्य ने दिये गये मुआवजे के बारे में कुछ विषमता का उल्लेख किया है। नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं: पूर्वी पाकिस्तान से आई 285 कम्पनियों तथा 129 व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में 1.85 करोड़ रुपये दिये गये हैं और पश्चिम पाकिस्तान से 58 कम्पनियों और 269 व्यक्तियों को 1.18 करोड़ दिये गये हैं। इन मुआवजों का निर्णय सावधानी से जांच पड़ताल करने के पश्चात ही किया गया था तथा मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री समर गुह : गम्भीर शिकायतें हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : यदि माननीय सदस्य हमें यह शिकायतें उपलब्ध कराने की कृपा करें तो हमें उनकी जांच करने में प्रसन्नता होगी। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को अपेक्षित लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने थे। अधिक निर्धन व्यक्तियों को सुविधा देने के लिये तीन सदस्यीय पैनल बनाने का निर्णय किया गया था—चेयर मैन शत्रु समत्ति का अभिरक्षक, और पश्चिम बंगाल सरकार के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक न्यायिक अधिकारी और एक भूमि रिकार्ड अधिकारी। इन तीन व्यक्तियों को साम्पार्श्विक साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार दिया गया जिससे वे इसकी जांच पड़ताल कर सकें तथा सिफारिश कर सकें। हम इस मामले को यथा सम्भव शीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे।

श्री समर गुह : क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये 65 लाख शरणार्थियों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का दावा करने का अधिकार है? मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उनकी सारी सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दी गई है। मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार केवल 4,000 आवेदन पत्र अनिर्णित हैं

और इनमें से 80 प्रतिशत आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के हैं। इससे ज्ञात होता है कि प्रचार कार्य में गम्भीर त्रुटि है। क्या कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय को दिल्ली और बम्बई से कलकत्ता, आगरतला अथवा गोहाटी में अंतरित किया जाएगा ? क्या कोई प्रेस विज्ञाप्ति जारी की जाएगी जिसमें जिन व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं है उन्हें इसकी जानकारी मिल जाए तथा वे अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के लिये आवेदन पत्र दे सकें।

श्री ए० सी० जार्ज : जब अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के बारे में 1970 में निर्णय किया गया था तो देश भर में सभी समाचारपत्रों में चार विज्ञापन दिये गये थे। उसके पश्चात् दो विज्ञापन और दिये गये थे और हमारे पास 6,000 आवेदन पत्र आये। दूसरे, 1957 के पश्चात् निष्क्रांत सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय स्थापित नहीं किया गया था, यह युद्ध के दौरान भी विद्यमान था। यह बम्बई में था। अब कलकत्ता में एक कार्यालय है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। मेरे विचार से कार्यालय को बंबई से अंतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : 99.9 प्रतिशत आवेदक पूर्वी पाकिस्तान के हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं कह रहा हूं कि शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी था। हमने कलकत्ता में एक कार्यालय खोला है जो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है।

श्री समर गुह : यदि वह यह वायदा करें कि वहाँ एक कार्यालय खोला जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री ए० सी० जार्ज : कलकत्ता में कार्यालय है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या यह सच है कि बंगला देश बनने के पश्चात् बहुत से ऐसे आवेदकों ने, जो शत्रु सम्पत्ति के लिये दावा नहीं कर सके, बंगला देश की जनता के साथ बातचीत आरम्भ कर दी है तथा उनमें से कुछ वापस चले गये हैं ? क्या बंगला देश की उत्पत्ति के पश्चात् ऐसी शिकायतों का निपटान करने वाले कार्यालय को शत्रु सम्पत्ति कार्यालय कहा जाना चाहिये ?

श्री ए० सी० जार्ज : महोदय ! बांगला देश सरकार ने यह घोषणा की है कि उनकी सरकार उत्तराधिकारी सरकार नहीं है और उनकी यह घोषणा उचित है। यह बहुत नाजुक मामला है और हम बंगला देश की सरकार के साथ विचार-विमर्श भी कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या पाकिस्तान के साथ हुए गत युद्ध के पश्चात् इसके अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों की श्रेणियों की पुनः भाषा बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri R. R. Sharma : The hon. Minister in his statement placed on the Table of the House has said that 4,000 claims of individuals are outstanding. May I know the time by which these outstanding claims would be disposed of and whether any time limit has been fixed ?

श्री ए० सी० जार्ज : चूंकि साम्पाश्विक अथवा मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य लेने की प्रक्रिया जटिल है --आशा है माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे--अतः इसमें कुछ समय लगेगा। इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री माधुर्य्य हालदार : बंगला देश सरकार के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बधों को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार उन शरणार्थियों को, जिनकी गैर-सरकारी सम्पत्ति वहाँ रह गई है, यह अनुमति देगी अथवा बंगला देश सरकार से उनको यह अनुमति देने के लिये कहेगी कि जो पश्चिम बंगाल में अथवा देश के किसी अन्य भाग में बस गये हैं, वे बंगला देश में अपनी सम्पत्ति बेच सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है। प्रश्न नितांत भिन्न है। आपने एक सुझाव दिया है।

वर्ष 1973 में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दुर्घटनाओं के लिये दी गई मुआवजे की राशि

*411. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए और मुआवजे की कितनी राशि दी गई ; और

(ख) मुआवजे की राशि तय करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) वर्ष 1973 के दौरान एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचित सेवाओं की दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को, मृत्यु अथवा घायल होने पर अदा की गई मुआवजे की राशि को, तथा मुआवजे की राशि तय करने के लिये अपनाये गये मानदण्ड को दिखानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1973 के दौरान एयर-इंडिया का कोई विमान घातक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। 1973 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान घातक दुर्घटना का शिकार हुआ। इस दुर्घटना में शिकार होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या तथा मृत्यु अथवा घायल होने पर अदा की गई मुआवजे की राशि नीचे दर्शायी गई है :

दुर्घटना का ब्यौरा	विमान में सवार व्यक्तियों की कुल संख्या		मृत			घायल		
	यात्री	कार्मिक	यात्री	कार्मिक	कुल	यात्री	कार्मिक	कुल
मद्रास/दिल्ली उड़ान के परिचालन के दौरान 31 मई, 1973 को बोइंग-737 विमान वी० टी०-ई०ए०एम० दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।	58	7	43	5	48	15	2	17

अब तक अदा किये गये मुआवजे की राशि इस प्रकार है :

	कार्मिक	यात्री
वी०टी०-ई०ए०एम०	5 लाख रुपये।	25 दावों के मामले में 21,51,825 रुपये अदा किये गये। शेष दावों की जांच की जा रही है।

दुर्घटना में ग्रस्त यात्रियों के बारे में वाहक के दायित्व का निर्धारण "कैरिज बाय एयर ऐक्ट" में किये गये विधान के अन्तर्गत किया जाता है जो नीचे दिया गया है :—

विवरण	अन्तर्देशीय वाहक		अन्तर्राष्ट्रीय वाहक	
	1 अप्रैल, 1973 से पूर्व	1 अप्रैल, 1973 से	वारसा कन्वेंशन के अन्तर्गत निर्धारित सीमा	हेग प्रोटॅकॉल के अन्तर्गत निर्धारित सीमा
1	2	3	4	5
1. यात्री की मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी अक्षमता पैदा करने वाली शारीरिक चोट लगने पर ।	यात्री की आयु यदि 12 वर्ष अथवा अधिक है तो 42,000 रुपये; 12 वर्ष से कम आयु के यात्री को 21,000 रुपये	यात्री की आयु यदि 12 वर्ष अथवा अधिक है तो 1,00,000 रुपये 12 वर्ष से कम आयु के यात्री को 50,000 रुपये	1,25,000 फ्रैंक (65,000 रुपये)	2,50,000 फ्रैंक (1,30,000 रुपये)
2. अस्थायी अक्षमता पैदा करने वाली शारीरिक चोट लगने पर ।	40 रु० प्रति दिन अथवा 8,000 रुपये जो भी कम बने ।	100 रु० प्रति दिन अथवा 20,000 रुपये जो भी कम बने ।	1,25,000 फ्रैंक (65,000 रुपये)	2,50,000 फ्रैंक (1,30,000 रुपये)
3. पंजीकृत असबाब और सामान	80 रुपये प्रति किलोग्राम	125 रुपये प्रति किलोग्राम	250 फ्रैंक (130 रुपये) प्रति किलोग्राम	250 फ्रैंक (130 रुपये) प्रति किलोग्राम
टिप्पणी : उपर्युक्त आधार पर मुआवजे जी राशि जहां कहीं 1,00,000 रु० से कम बनेंगी वहां स्वत: यह राशि इतनी कर दी जायगी ।				
4. यात्रियों के पास सामान	250 रुपये प्रति यात्री	500 रुपये प्रति यात्री	5000 फ्रैंक (2600 रु०)	5000 फ्रैंक (2600 रु०)

जहां तक विमान कार्मिकों का संबंध है उनके कानूनी वारिसों को अदा की गई मुआवजेकी राशि इस प्रकार है :—

कप्तान	80,000 रु० तथा मूल वेतन का 36 गुणा ।
फर्स्ट अफसर	70,000 रु० तथा मूल वेतन का 36 गुणा ।
केबिन परिचारक	42,000 रु० तथा मूल वेतन का 36 गुणा ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या मुआवजे को भुगतान में अनुचित विलम्ब किया गया है, यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

श्री राजबहादुर : 21 मामले तय कर दिये गये हैं तथा शेष 22 मामलों की विभिन्न स्तरों पर जांच पड़ताल की जा रही है । हमारी यह इच्छा नहीं है को किसी भी मामले में अनुचित विलम्ब किया जाए । हमें कुछ वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मंत्री महोदय के उत्तर से ज्ञात होता है कि 25 दावे तय कर दिये गये हैं। शेष मामलों पर कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले का उल्लेख करें तो मैं जानकारी दे सकता हूं। यदि वे किसी विशिष्ट मामले के बारे में मुझे पत्र लिखें तो मैं उनका आभारी होऊंगा। हम यथासम्भव कार्यकुशलता से इन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मान लीजिये, किसी यात्री के पास अन्तर्राष्ट्रीय टिकट है। वह इण्डियन एयर-लाइंस से यात्रा करता है तथा वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति का दावा इण्डियन एयर-लाइंस मुआवजा अधिनियम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अथवा मुआवजे से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय कारणों के आधार पर ? क्या कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई दावा . . .

श्री राज बहादुर : यदि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान है तो उसका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जायेगा।

श्री वयालार रवि : मैं ऐसे यात्री की बात कह रहा हूं जिस के पास अन्तर्राष्ट्रीय टिकट है और जो दुर्घटना में मर जाए। क्या इण्डियन एयरलाइंस में कोई ऐसा मामला हुआ है ?

श्री राज बहादुर : जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं।

श्री वयालार रवि : मुझे डा० कुरूप से सम्बन्धित एक मामले की जानकारी है जिसमें इंडियन एयरलाइंस ने दावे का निपटारा करने से इंकार कर दिया है।

श्री राज बहादुर : डा० कुरूप का मामला जीवन बीमा निगम को सौंपा गया है और उक्त मामला जांचाधीन है।

एक माननीय सदस्य : इस मामले से जीवन बीमा निगम का क्या सम्बन्ध क्या है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बालदण्डायुतम के मृत्यु सम्बन्धी मुआवजे के दावे का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है और उक्त दावे के निपटारे में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक उक्त मामले का सम्बन्ध है, इंडियन एयरलाइंस का दिवंगत सदस्य के परिवार के सदस्यों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। दावे के निपटारे में कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे ही अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होंगे, मुआवजे के दावे का निपटारा कर दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह एयर इंडिया से यात्रा कर रहे थे लेकिन चूंकि उनके पास श्री लंका से विमान-टिकट था, इसलिये उनके दावे का निपटारा नहीं किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : इस मामले में उनकी पत्नी के अलावा लगभग सात व्यक्तियों ने दावे किये हैं। नियमों के अनुसार, बहन, माता, पिता और यहां तक कि चचेरी बहनों को भी दावा करने का अधिकार है। अतः इन सबने दावे किये हैं। इन्डियन एयरलाइंस का श्रीमती बालदण्डायुतम से पत्र व्यवहार चल रहा है। उनसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने अभी तक उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण इस मामले में विलम्ब हो रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों का यहां तो निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप वकील हैं। इस मामले में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र क्यों आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे सब कानून भुला दिया है ।

श्री पी० वेंकटसुबय्या : जब पत्नी मुआवजे का दावा करती है, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है ?

Shri M. C. Daga : The Government pays Rs. 80,000 as compensation on the death of a Captain whereas only Rs. 42,000 are paid as compensation on the death of a Cabin Attendant. I want to know as to why there is this difference between one life and another ?

Shri Raj Bahadur : There is no difference between one life and the other. There is no doubt about it. So far as the question of compensation is concerned, consideration is given to the pay of the person concerned and we try to follow international conventions in this matter. Besides, we pay compensation according to the Act passed by this very House in 1972.

Shri M. C. Daga : More compensation should be paid to the low paid staff.

Shri Raj Bahadur : There is no question of any difference. The compensation is paid according to the Act passed in 1972. Almost every body gets compensation of rupees one lakh.

श्री भागवत झा आजाद : उत्तराधिकार के मामले में यदि पत्नी, पुत्री, माता, तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के लिये दावे किये जाते हैं, तो क्या पत्नी को इस मामले में कोई प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो इण्डीयन एयर लाइंस ने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र क्यों मांगे हैं ? क्या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति को न्यायालय में जाकर काफी धन व्यय करना पड़ेगा ? शायद वह बेचारी विधवा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये इतना अधिक धन व्यय करने की स्थिति में न हो । सरकार उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पर इतना अधिक जोर क्यों दे रही है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक इण्डीयन एयर लाइंस का सम्बन्ध है, वह न्यायालय का स्थान नहीं ले सकता । पारस्परिक विरोधी दावों के मामले में न्यायालय में ही निर्णय हो सकता है । दावें की वैधता के लिये उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है । इण्डीयन एयरलाइंस के लिये न्यायालय का कार्य करना सम्भव नहीं ।

सामान्यबीमा निगम के कर्मचारियों से बातचीत के द्वारा समझौता करने के बारे में निदेश जारी करना

+
***413. श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री वी० मायावन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों से बात चीत के द्वारा समझौता करने के बारे में इस बीच निदेश जारी कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी आन्दोलन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विवादास्पद मामलों को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहटगी) : (क) और (ख) विविध बीमा निगम कर्मचारियों ने कुछ दिन के लिये सांकेतिक हड़ताल और बारी बारी से भूख हड़ताल की थी । मध्यावकाश में प्रदर्शन भी किये गये थे ।

वेतनों को युक्तिसंगत बनाने और उन में सुधार करने से सम्बन्धित विवाद को सुलझाने की दृष्टि से विविध बीमा निगम, सम्बन्धित युनियनों के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच नहीं है कि इस मामले में मतभेद कम हो गये हैं और मामला ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि निगम अथवा मंत्रालय के थोड़े से सहयोग से मामला हल हो सकता है? क्या मंत्रालय ने कर्मचारियों की कठिनाइयां सुनने के बाद इस समस्या पर विचार किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रीमती सुशीला रोहटगी : अभी सामान्य बीमा निगम और कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई है। अभी सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मं ी श्री चव्हाण जीवन बिमा निगम की भांति इस मामले को भी हल करने के लिये हस्तक्षेप करेंगे? मेरे इस सुझाव के पीछे निगम के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जीवन बीमा निगम के मामले में मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने दोनों पक्षों की सहायता करने का प्रयास किया था। मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं बिना जिम्मेवारी लिये दोनों पक्षों की सहायता कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें कर्मचारियों और निगम के बीच समझौता होना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही बम्बई में लिया जायेगा? यदि नहीं, तो मैं धमकी दिये बिना यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रदर्शन होंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं श्री बनर्जी के माध्यम से कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में अनावश्यक रूप से कठिनाई उत्पन्न न करें। निगम का इरादा इस मामले में सौहार्दपूर्ण समझौता करने का है। इस सम्बन्ध में दोनों ओर से सहयोग मिलना चाहिये। इस समस्या का हल दोनों पक्षों को खोजना चाहिये।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या माननीय मं ी नियोजक और कर्मचारियों के बीच समझौते के लिये अपने पद का सदुपयोग करते हुए बात-चीत के द्वारा समझौता करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने पालिसियां ली हुई हैं उन पालिसीधारियों को न्यूनतम सुविधाएं मिलती रहें, जो कि उन्हें काफी समय तक नहीं मिलती हैं, जैसे कि प्रीमियम की रसीद देना, क्योंकि 'धीरे काम करो' और 'न्यूनतम कार्य स्तर' की स्थिति चल रही है?

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें कुछ जानकारी दी है।

श्री एस० बी० गिरी : देश में हमें इस प्रवृति का अनुभव हो रहा है कि यहां तक कि हड़तालें होने की स्थिति में भी सरकार विवादों को हल करने का प्रयास नहीं कर रही है और जब कभी कोई आन्दोलन अथवा हिंसक घटना घटती है तब सरकार सामने आती है और समझौता होता है। इस मामले में मैं जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री स्थिति गम्भीर होने से पूर्व हस्तक्षेप करेंगे और समझौता करायेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शायद इस मामले में माननीय सदस्य को तथ्य की जानकारी है। हम बिना हस्तक्षेप किये दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार कभी सामान्य बीमा कर्मचारियों की महंगाई के पूर्ण निष्प्रभावीकरण के लिए महंगाई भत्ते की मांग को स्वीकार करने पर लगभग सहमत हो गई थी? यही मुख्य विवाद है। इसको हल किय बिना कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि हां, तो इस मामले में श्री चव्हाण की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस बारे में सरकार अपनी प्रतिक्रिया बता सकती है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बता सकता हूं कि सरकार ने उक्त स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि क्या महंगाई भत्ता ही केवल ऐसा मामला है जिस पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। इस बारे में उन्हें अवश्य स्पष्टीकरण देना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में अन्य मामले भी हैं। लेकिन यह मामला निस्सन्देह महत्वपूर्ण है।

Suggestions from Economists of the Country to Combat Inflation

+

***414. Shri Sukhdeo Prasad Verma :**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the suggestion of 140 eminent economists of fifty universities of the country that the money circulation should be curtailed by 30 per cent ;

(b) whether they have submitted any suggestions to Government also and if so, the facts thereof ; and

(c) the reactions of Government to these suggestions ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रोफेसर श्री सी० एन० वकील ने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेज कर उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में लगे अर्थशास्त्रियों की ओर से "मुद्रा स्फीति पर रोक लगाने की नीति पर ज्ञापन" नाम की एक पुस्तक भेजी है। इस पुस्तिका में आपके प्रश्न के भाग (क) के सुझाव के अलावा मुद्रा स्फीति पर रोक लगाने के कई अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। इन सुझावों को सरकार ने नोट कर लिया है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has said that Shri Vakil has given a suggestion supported by 140 eminent economists. I want to know whether some other suggestions have been given in addition to that and if so, what are they ?

Secondly, I want to know whether the suggestions given will be helpful in reducing the inflation. In case the Government agrees to those suggestions, I want to know what action Government propose to take in this matter ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समिति ने प्रश्न में निर्दिष्ट सिफारिश के अतिरिक्त अन्य सिफारिशें भी की हैं। उन सब सिफारिशों का मेरे लिये उल्लेख करना बहुत कठिन होगा। उन्हें एक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है। सम्भवतया माननीय सदस्य उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि उन्हें वह प्राप्त नहीं होती है, तो मैं उन्हें उक्त पुस्तिका सप्लाई कर दूंगा।

जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह कहना बहुत कठिन है कि हमने उनके सुझावों को स्वीकार किया है अथवा नहीं, क्योंकि ये सुझाव शिक्षाविदों के एक महत्वपूर्ण निकाय द्वारा दिये गये हैं। उन पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और उन पर विचार किये बिना मैं यह नहीं कह सकता कि हमने उन्हें स्वीकार किया है अथवा नहीं।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has said that he has noted the suggestions. The Government agrees that some important suggestions have been given. I want to know whether there are some such suggestions, the implementation of which would be useful for the country and if it is so, what are the details thereof ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ सुझाव बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिये गये हैं। उन पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि क्या वह व्यवहारिक हैं अथवा नहीं अथवा उन्हें स्वीकार किया जा सकता है या नहीं अथवा वे सम्भाव्य हैं या नहीं। उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किये बिना यह कहना कि हम उन्हें स्वीकार करते है अथवा अस्वीकार करते हैं अपने तथा देश के साथ अन्याय करना होगा।

श्री वेंकट सुबय्या : सरकारी उपक्रमों में अधिकतम उत्पादन करने के लिये सबसे आवश्यक कार्यवाही उनकी पूरी प्रतिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करना है। क्या इस बारे में डा० मिन्हास और एक अन्य अर्थशास्त्री द्वारा आज के समाचार पत्र में प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया कि पांचवीं प्रकाशित पंचवर्षीय योजना जिसका प्रारूप तैयार किया गया है, उसके आरम्भ होने की सम्भावना नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने आज के समाचार पत्र में उक्त वक्तव्य नहीं देखी है। मैं व्यस्त होने की कारण उक्त वक्तव्य नहीं देख सका। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। योजना के बारे में ये कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, योजना आरम्भ हो गई है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हमें यह मालूम हुआ है कि सरकार प्रो० वकील और अन्य प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों द्वारा दिये गये ज्ञापन के महत्वपूर्ण सुझावों पर सक्रियता और ईमानदारी से विचार कर रही है। मामले की अत्यावश्यकता और देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए क्या सर-कार उन सुझावों पर विचार करने के बाद कम से कम कुछ अर्थशास्त्रियों प्रो० वकील और अन्य व्यक्तियों की बैठक बुलायेगी और उनसे विभिन्न विषयों पर स्वयं विचार विमर्श करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत उपयोगी सुझाव है।

Regular Air Service to Raxaul or Muzaffarpur

***415. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Avaiation** be pleased to state :

(a) whether North Bihar with a population of more than two crores does not have any air services ;

(b) whether Government are considering the question of introducing a regular air service to Raxaul or Muzaffarpur ; and

(c) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) Due to its tight fleet position and the very adverse operational economics, Indian Airlines was compelled to discontinue its service to Muzaffarpur. The matter will be considered when the fleet position improves. There is no proposal to start an air service to Raxaul.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether the Government intends to start air services for two crore people of North Bihar ? It takes them one and a half to two hours to cross the river Ganga by a steamer. The railway lines generally remain closed there. If the Government is of the opinion that that service would run in loss then may I know whether Calcutta, Bombay, Madras and Delhi constitute the whole country ? In that case two and a half crore population should be excluded from the Indian Territory. I want to know whether the hon. Minister can give an assurance regarding starting the said air service ?

Shri Raj Bahadur : I appreciate the feelings expressed by the hon. member. He has given expression to intense by painful feelings. I assure him that that air service has not been discontinued intentionally, we have been forced to do so under the present circumstances, you have noticed that ever certain air services, which are running in.

3—7 L.S.S./74

profit, have to be curtailed due to increase in oil prices. The price of oil has increased from Rs. 700 per k. litre to Rs. 1750 per k. litre. Even viscount air services could not be maintained due to this fact. I have asked the chairman of Indian Airlines to restart the air service for Muzaffarpur at an early date.

Shri Bibhuti Mishra : The Cabinet is jointly responsible. The Government has invested seven or eight thousand crores of rupees in Public undertakings and still they are running in losses. The railways are also running in losses which the Government is bearing. The Government should not curtail the air service meant for two and a quarter crore people of North Bihar. Is the Government prepared to do that ?.

Shri Raj Bahadur : I will look into this suggestion, the hon. member has stated that about two and a quarter crore people will be benefitted by this service. In my view very few people will be benefitted by this service.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विभिन्न देशों द्वारा भारतीय उपकरणों की मांग

*406. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये ब्रिटेन में काफी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत एक मास में अनेक ब्रिटिश विशेषज्ञ भारत आए थे और उन्हें भारतीय माल की अच्छी किस्म का विश्वास हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो ब्रिटेन को क्या वस्तुएं निर्यात की जाएंगी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ब्रिटेन को अनेक जीनियरी मदों का पहले ही निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) एक भारतीय निर्यातकर्ता औद्योगिक समूह के आमन्त्रण पर ब्रिटिश निर्माताओं के एक दल ने उनके कारखानों का दौरा किया । अच्छी क्वालिटी के बारे में विश्वस्त होकर उन्होंने डीजल इंजनों, पम्पों तथा संचार उपस्करों में रुचि दिखाई । भारतीय फर्म को कुछ क्रयादेश दिये गये हैं ।

इण्डियन एयरलाइंस को एयर इण्डिया के साथ मिलाने का प्रस्ताव

*407. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स को निकट भविष्य में एयर इण्डिया के साथ मिलाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या लाभ होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चालू खातों पर ब्याज देना

*412. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू खातों पर ब्याज का भुगतान न्यूनतम मासिक बची रकम पर न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) ब्याज की दरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बैंक, जमा रकमों पर, चालू खातों पर ब्याज नहीं देते। चालू खाते के धारकों को उन्हें दी जाने वाली कुछ प्रकार की सुविधाओं के खर्च को देखते हुए कोई ब्याज नहीं दिया जाता। वे जितने भी चाहे चैक काट सकते हैं और जितनी रकम निकालना चाहें, निकाल सकते हैं और उन्हें चैकों के संग्रह तथा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है।

भारत और क्यूबा के बीच व्यापार

*416. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत और क्यूबा के बीच व्यापार नगण्य है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्यूबा के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ बनाने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) बेहद दूरी, क्यूबा से हमारे आयात-हित की और हमारे यहां से क्यूबा के आयात-हित की मदों की अप्राप्यता जैसी स्पष्ट मजबूरियों के बावजूद सरकार व्यापार के विस्तार की संभाव्यताओं का पता लगाने में निरन्तर कार्यरत है।

Disbursement of Pensions at Residences of Pensioners

*417. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to make arrangements for the disbursement of pension to the pensioners at their residences keeping in view their difficulties ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : Arrangements already exist under which pensioners drawing pension up to Rs. 100 per month can, on request, receive their pension at their residences through postal money order at Government cost. In addition, those drawing monthly pension exceeding Rs. 100, but not exceeding Rs. 250 can also request for remittance of pension through postal money order at their own expense.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं के कार्यकरण में गिरावट

*418. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सभी सेवाओं के कार्यकरण में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा तत्काल क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, बैंकों के क्रियाकलापों का तेजी के साथ और बड़े पैमाने पर विस्तार होने और उसके परिणामस्वरूप उनके साधनों, विशेष रुप से उनकी जनशक्ति पर पड़ने वाले दबाव के कारण उनके द्वारा की जाने वाली सेवा की किस्म पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन उनकी बराबर यही कोशिश रही है कि उनके ग्राहकों की सेवा की किस्म में सुधार करने के उपयक्त उपाय अपनाये जायें, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र और

विषय में उचित रूप से परिवर्तन करना, तकनीकी, अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को भरती करना, फार्मों और प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण किया जाना, प्रादेशिक और शाखा स्तर पर शक्ति प्रदत्त कर दिया जाना, और ग्राहकों की सेवा में सुधार करने की बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और प्रबन्धक के बीच सम्बन्धों में सुधार करना।

चाय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति

***419. श्री राम प्रकाश :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके मूल्यों को स्थिर करने के लिए एफ०ए०ओ० से कोई सहायता मांगी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973 के दौरान लन्दन निलामियों में चाय की जो कीमतें रहीं, उनके अनुसार चाय की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का रुख 1972 की कीमतों की तुलना में वृद्धि की ओर रहा है।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में चाय की कीमतों को ऐसे स्तरों पर स्थिर करने और सुधारने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियां बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जो उत्पादकों को लाभकारी और उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित हों।

लम्बे रेशे की रूई का आयात

* 420. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, मिश्र, सूडान तथा अन्य देशों से लम्बे रेशे की रूई का आयात करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 और वर्ष 1973 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी गांठों का आयात किया गया ;

(ग) यह आयात कुल कितने मूल्य का हुआ ; और

(घ) इसी अवधि में प्रतिवर्ष आयात की गई रेशे की रूई से बने धागे से निर्मित कपड़े का कितने प्रतिशत कपड़ा निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष आयात की गई रुई की गांठों की संख्या तथा उनका मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

(लाख गांठों में जबकि प्रत्येक गांठ 180 कि०ग्रा० की है)

रूई वर्ष सितम्बर व अगस्त	आयात	मूल्य करोड रु० में
1970–71	8.51	109.85
1971–72	7.44	101.73
1972–73	4.42	64.90

(घ) आयातित लम्बे रेशे की रुई से उत्पादित धागे से बना लगभग 10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत कपड़ा प्रत्येक वर्ष उसी अवधि में निर्यात किया गया है ।

परामर्शदात्री फर्मों को वित्तीय सहायता

***421. कुमारी कमला कुमारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परामर्शदात्री फर्मों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ताकि ये फर्में भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निर्यात प्रयास हेतु विपणन विकास निधि से सहायता अनुदान संबंधी संहिता को हाल ही में संशोधित किया गया है और उसमें निर्यात में लगी हुई सलाहकार फर्मों को वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई है । मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

भारतीय निर्यात संगठनों की फैडरेशन, नई दिल्ली के यहां पंजीकृत भारतीय सलाहकार संगठनों द्वारा विदेशों में सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की योजना के लिये निधि से अनुदान निम्नलिखित कार्य-कलापों के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित दरों पर दिये जा सकते हैं ;

(क) विदेशों में बाजार अध्ययन करने के लिए 60 प्रति शत दर पर ।

(ख) विदेशी कार्यालय खोले जाने के लिए—स्थान तथा स्टाफ संबंधी खर्च का 25 प्रति शत पहले वर्ष के लिए और 20 प्रति शत दूसरे वर्ष के लिए ।

(ग) प्रचार अभियान

(i) विदेशों में प्रयोग के लिए प्रकाशनों जिनमें जर्नलस, डाइरेक्ट्रीस, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, फोल्डर्स आदि शामिल हैं, के निकालने के निवल व्यय का 50 प्रति शत बिक्रियों तथा विज्ञापनों से प्राप्त राशि का हिसाब लगाने के बाद; और

(ii) ब्रांड प्रचार पर होने वाले व्यय का 25 प्रति शत ।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

***422. श्री राम कंवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विभिन्न देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में काफी गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार ने उन विभिन्न कारणों की जांच की है जिनके परिणामस्वरूप सिले-सिलाएं वस्त्रों के निर्यात में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कपड़ा उद्योग में लगे बड़े व्यापार गृह

*423. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा बनाने के उद्योग में लगे कुछ बडे व्यापार गृह, विशेषकर दिल्ली क्लाथ मिल्स ग्रूप, लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक कपड़ा बना रहे;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में मद 23 के रूप में विनिर्दिष्ट वस्त्र उद्योग के मामले में प्रत्येक एकक की क्षमता धागे के उत्पादन हेतु तकुओं की संख्या और कपड़े के उत्पादन हेतु करघों की संख्या के आधार पर व्यक्त की जाती है। लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर उद्योग में एकक अनुकूलतम उत्पादन कर सकते है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उद्योगों के प्रबन्ध के लिये व्यावसायिक व्यक्ति

4120. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल व्यावसायिक व्यक्तियों की नियुक्ति से ही यह सुनिश्चित हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का प्रबन्ध सरकार द्वारा समूचे रूप में निर्धारित नीतियों के अनुसार हों ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) यह ठीक है कि उच्च स्तर के कार्य निष्पादन के लिए व्यावसायिक कुशलता का अधिक महत्व है परन्तु कुछ अन्य बातें भी हैं, जो इसके लिए निहायत जरूरी हैं। उच्चतम प्रबन्धकों की योग्यता, नेतृत्व प्रदान करने और मिलजुल कर एक टीम के रूप में उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की प्रेरणा देने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कर्मचारियों में काम के प्रति निष्ठा। उद्देश्यों की स्पष्टता, कारगर नियंत्रण, मूल्यांकन करने के सौद्देश्य तरीके तथा वातावरण निर्माण करने वाली अन्य बातें भी सामूहिक प्रयत्नों को सफल बनाने में भूमिका अदा करती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी उद्यमों को ये सलाह दी है :—

(i) आन्तरिक संवर्गों का विकास ;

(ii) आवश्यक प्रवीणता प्राप्त करने के लिए भर्ती की उचित नीति तैयार करना;

(iii) सौद्देश्य मूल्यांकन करने और पुरस्कार देने के तरीके अपनाना; और

(iv) ऐसा प्रबन्ध विकास कार्यक्रम अपनाना जिसमें प्रशिक्षण, आजीविका आयोजन और कार्य संवर्धन पर जोर दिया गया हो ।

Stocks of Groundnut and other Essential Commodities seized in Rajkot (Gujarat)

4121. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that raids were carried out on 300 places in Rajkot District (Gujarat) recently and huge stocks of groundnut and other essential commodities were seized ;

(b) the value of goods seized ; and

(c) the action taken by Government against the hoarders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Information has been called for from the Government of Gujarat and will, on receipt, be laid on the Table of the House.

रुई की वसूली

4122. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई की कुल वसूली का 90 प्रतिशत से अधिक भाग केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्र से ही लिया जाता है जब कि अन्य स्थानों से इसकी वसूली नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं और भारतीय रुई निगम ने रुई की दो लाख गांठों का खरीदने में तथा विभिन्न राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में अब तक कुल कितनी राशि व्यव की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने भारतीय रुई निगम को सलाह दी है कि उसकी नीति अपनी खरीददारियों को इस प्रकार फैलाने की होनी चाहिए जिससे रुई उगाने वाले विभिन्न राज्यों में समान रूप से खरीदारियां हों। चूंकि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बाजारों में रुई की फसल जल्दी आ जाती हैं अत: भारतीय रुई निगम ने अब तक जो खरीददारियां की हैं उनमें से मुख्यत: इन्हीं राज्यों से खरीददारियां की गई हैं । अन्य राज्यों में भारतीय रुई निगम ने खरीददारियां शुरू कर दी हैं और जितने वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार वह बराबर खरीददारी करता रहेगा ।

एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की बैंक सेवा में अनारक्षित रिक्त पदों पर नियुक्तियां

4123. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एमरजन्सी कमिशन प्राप्त अधिकारियों की बैंक सेवा में अनारक्षित रिक्त स्थानों पर सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति पर आरम्भिक वेतन निर्धारित करने के मामले में उनकी सैनिक सेवा पर ध्यान नहीं दिया है, जैसाकि भारत सरकार के दिनांक 1 जनवरी, 1972 के मंत्रिमण्डल सचिवालय कार्यालय के ज्ञापन संख्या 9/24/71-ई०एस०टी०एस० (सी०) में परिकल्पित है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मामलों को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू न किए गए जिन सरकारी आदेशों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है वे आवेश क्रियान्वित किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं भेजे गए थे ।

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे 9 मामले हैं ।

Loan Given by Agricultural Refinance Corporation to Industries in Madhya Pradesh

4124. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the loan given by the Agricultural Refinance Corporation to the various industries connected with agricultural production in Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) the progress made in this regard and the results achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) The Agricultural Refinance Corporation is primarily *a refinancing agency* providing financial assistance to eligible institutions, namely, Central Land Mortgage Banks, State Cooperative Banks and the scheduled commercial banks which are shareholders of the Corporation, Financial assistance from Agricultural Refinance Corporation will be available for manufacturing and processing activities only when they form part of total agricultural development programme. In Madhya Pradesh, as at the end of December, 1973, 57 schemes comprising minor irrigation, land development, farm mechanisation, storage and market yards etc. involving Rs. 44·17 crores have been sanctioned by Agricultural Refinance Corporation. Of this, Rs. 7·36 crores have so far been disbursed.

Project Allowance to Employees of Central Public Works Department

4125. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any project allowance is given to the employees working in Madhya Pradesh in the Income Tax and Posts and Telegraphs Departments of the Central Government ;

(b) if so, at what rate ;

(c) whether the employees of the Central Public Works Department posted in Madhya Pradesh are also given the project allowance ; and

(d) if so, at what rate and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) Project allowance is granted to employees working in connection with specified projects at undeveloped and out of the way places. It is sanctioned on fulfilment of certain conditions. Admissibility of project allowance in individual cases would accordingly depend upon fulfilment of the requisite conditions. The complete information desired is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible. According to available information, however, the Income-tax staff stationed at Jagdalpur in Bastar District of Madhya Pradesh, covered by the Dandakaranya Project, and the CPWD staff employed in the Bank Note Press Project at Dewas in that State are in receipt of a project allowance.

Central Assistance for Opening Tourist Reception Centre at Selected Tourist Centres in Madhya Pradesh

4126. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sought financial assistance from the Central Government for opening a Tourist Reception Centre at each of the selected tourist centres in the State ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) Government of Madhya Pradesh have proposed construction of a Tourist Reception Centre at Khajuraho. This project may be considered for inclusion in the list of the schemes to be taken up in the Fifth Five Year Plan, subject to availability of funds, feasibility report and finalisation of the 'Master Plan' for integrated development of Khajuraho. The India Tourism Development Corporation has recently added 40 rooms at a cost of Rs. 32·50 lakhs at Khajuraho Hotel. The Department of Tourism has already taken up a water supply scheme at Khajuraho at an estimated cost of Rs. 7·46 lakhs.

Madhubani Art Exhibition

4127. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Madhubani Art Exhibition has been very popular in foreign countries and orders to the tune of Rs. 47 lakhs have already been received from foreign countries ; and

(b) if so, whether Government propose to formulate schemes to organise such exhibitions to make the Indian works of art popular in foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Orders only of a few lakh of rupees are reported to have been placed.

(b) Organisation of handicrafts exhibitions abroad is a regular feature of export promotion.

Air Agreement with Kuwait

4129. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the broad outlines of the agreement entered into between India and Kuwait regarding air services ;

(b) the foreign exchange likely to be earned by India as a result thereof ; and

(c) whether the number of tourists from Kuwait to India will increase as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Agreed arrangements relating to air services with Kuwait which were formally signed in Delhi on the 23rd February, 1974 were negotiated and agreed upon in early 1971 and were given effect to from May, 1971. The arrangements provide for the operation of five services a week by Air India to/through Kuwait and by Kuwait Airways to/through India (Bombay or Delhi). Air India is also entitled to operate with Boeing 747 aircraft. In terms of foreign exchange, sale revenue earned by Air India from Kuwait was approximately sterling £0·662 million in 1971-72 and sterling £0·694 million in 1972-73.

(c) The tourist arrivals from Kuwait has increased from 553 during 1972 to 1006 in 1973. The number is likely to increase further as a result of promotional efforts.

संगठित क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अतिरिक्त धन

4130. श्री एम० कतामुत्तू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठित क्षेत्र की बढ़ती हुई ऋण सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अतिरिक्त धन प्रदान कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो औद्योगिक कम्पनियों को वित्तीय सहायता देते हैं, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मुख्यत: बाजार ऋणों/भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों पर निर्भर रहते रहे हैं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम के लिये जो पात्र संस्थाओं द्वारा किये गये कृषि ऋणों के बदले इन संस्थाओं को ऋण देता है, चालू वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ताकि वह उन

विभिन्न कृषि विकास परियोजनाओं के लिये वचनबद्ध रकमों को पूरा कर सके जिनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दी जाती है। इस ऋण में से 29.50 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का भुगतान किया जा चुका है और आशा है कि शेष रकम का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही कर दिया जायेगा ।

पटसन उत्पादन करने वाले देशों की 13 फरवरी, 1974 को रोम में हुई बैठक

4131. श्री एम० कतामुतू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादन करने वाले देशों की 13 फरवरी, 1974 को रोम में हुई बैठक में भारत के किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) मुद्राओं की समता दर में परिवर्तन को देखते हुए कच्चे पटसन के निर्यात हेतु सूचक कीमत में वृद्धि स्वीकार की गई। ऊर्जा संकट के प्रभाव की संक्षेप में समीक्षा की गई और विकास के फलितार्थो का सविस्तार अध्ययन करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया।

दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में तीसरे आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

4132. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यद्यपि दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय कर लिये हैं तब भी अधिकांश मंत्रालयों/कार्यालयों में उन्हें क्रियान्वित करने के लिये अब तक प्रशासनिक निर्णय नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कार्यालयों सहित उन मंत्रालयों एवं कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन में नये वेतन-मानों के अनुसार वेतन निर्धारित नहीं किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को नये ग्रेड के लाभ देने और नये वेतनमानों में वेतन निर्धारित करने हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के श्रेणी ii, iii और i के सामान्य वर्गों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 13 नवम्बर 1973 को अधिसूचित किये गये थे। उसके बाद अब तक बहुत से मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे इन श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में 8 और अधि- सूचनाएं जारी की गई हैं। रेल और रक्षा मंत्रालयों ने भी अपने अधीन विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में इसी प्रकार अधिसूचनाएं जारी की है। वाणिज्य मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और परिवार नियोजन, खाद्य, खान तथा विज्ञान एवं औद्योगिकी विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन शेष कर्मचारियों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करने संबंधी कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिसूचनाएं जारी होने के तुरंत बाद, अधिसूचित वेतनमानों के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन नियतन के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। परंतु, कर्मचारियों को प्रवर्तमान वेतनमान अथवा संशोधित वेतनमान स्वीकार करने का विकल्प देने के लिए तीन महीने (कुछ मामलों में बढ़ा कर पांच महीने) का समय दिया गया है। इसलिए वेतन नियतन को पूरा करने के लिये कोई निश्चित तारीख तय करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गले सड़े नोट स्वीकार करना

4133. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालयों में राष्ट्रीयकृत बैंक भी गले सड़े नोट लेने में हिचकिचा रहे हैं; और यदि हां, तो क्या सभी बैंकों को ऐसे नोट स्वीकार करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में मैले नोटों को बदल कर नये नोट देने के सम्बन्ध में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं जैसी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और इस के अभिकरणों जैसे राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और इसके सहायक बैंकों में उपलब्ध हैं। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में नोट बदले जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त सुविधाओं के दिये जाने का सम्बन्ध है, इन बैंकों में करेंसी चेस्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति होने के तुरन्त बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। यह निर्णय किया गया है कि एजेंसी सम्बन्धी कार्यों को विभिन्न दौरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को सोंपा जाय।

वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता

4134. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल कितनी किश्तें दी गई ;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में जिस तारीख को वह देय हुआ था उसके एक महीने या इसके बाद इसका भुगतान किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में महंगाई भत्ता किस किस तारीख को देय था, और

(घ) क्या कर्मचारियों को बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1973–74 में अब तक महंगाई भत्ते की चार किश्तें मंज़ूर की जा चुकी हैं। एक और किश्त देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख), (ग) और (घ) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर करने के प्रयोजनार्थ (सामान्य) औद्योगिक श्रमिकों के लिये, 1960 को आधार मान कर, श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने और सूचकांक के संकलन का कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा 50 केन्द्रों में किया जाता हैं जिसमें समय लगता है। जब ये आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं तब महंगाई भत्ता बढाने पर सरकार निर्णय लेती है। इस प्रक्रिया में, जिस तारीख से अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय होता है और जिस तारीख को उसके आदेश जारी किये जाते है, उनके बीच समय अंतराल अवश्य हो जाता हैं परंतु प्रत्येक मामले में आदेशों को उसी तारीख से लागू किया जाता है जिस तारीख से अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय होता है और बकाया रकम का तदनुसार भुगतान किया जाता है।

Outstanding Amount of Income-tax in Delhi

4135. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the outstanding amount of Income-tax to be realised by Government in Delhi at present ;

(b) the amount of Income-tax realised during the last two years ; and

(c) the steps being taken by Government to realise the arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amount of gross and net arrears of Income-tax (including corporation-tax) outstanding as on 31-12-1973 in the Commissioners' charges in Delhi is as follows :—

Amount Gross arrears	Amount Net arrears (In crores of Rs.)
65·61	46·54

(b) The amount realised out of arrears in these charges by cash collection during the financial years 1971-72 and 1972-73 is as follows :—

Financial Year	Amount (In crores of Rs.)
1971-72	6·07
1972-73	7·21

The total amount of income-tax (including corporation-tax), realised in the Commissioners' charges in Delhi during the last two years is as follows :—

Financial Year	Net collection of Income-tax (In crores of Rs.)
1971-72	104·17
1972-73	135·19

(c) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :—

(1) Levy of penalty u/s 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the assessee u/s 226(3).

(3) Attachment of money in courts u/s 226(4).

(4) Distraint and sale of movable property u/s 226(5).

(5) Issue of Recovery Certificate u/s 222.

(6) Attachment/sale of movable/immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil Prison.

Items imported from West Germany during 1971 to 1973

4136. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the estimated value in Indian rupee of the articles to be imported from West Germany during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : In the context of the present international trading environment and in view of the many imponderables and variables in the situation, it is difficult to estimate the value of goods to be imported from West Germany during the financial year 1974-75. However, during April, 1973-August, 1973 imports from West Germany amounted to around Rs. 5997 lakhs as against imports of above Rs. 6475 lakhs during April 1972—August, 1972.

Payment of Interest on Loan Received from France

4137. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of French loans outstanding against the Government of India at present ;

(b) the amount of money paid by India during 1972-74 by way of interest on loans received from France ; and

(c) the amount likely to be paid during 1974-75 by way of interest on the loans ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The amount of French loans outstanding against the Government of India as on 31st December, 1973 is Rs. 111·23 crores.

(b) The amount of interest paid during 1972-73 was Rs. 3·56 crores. The estimated amount of interest payable during 1973-74 is Rs. 4·57 crores.

(c) The estimated amount of interest to be paid during 1974-75 is Rs. 7·39 crores.

Export of goods to Rumania

4138. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the goods exported to Rumania during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 ;

(b) the value of Indian currency of the goods exported ;

(c) the future plan and policy of Government in regard to export of goods to Rumania ; and

(d) the estimated value of the goods proposed to be exported from India to Rumania during the year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) :

(a) A statement is attached.

(b) 1970-71 . . . . . . Rs. 137·0 million.

1971-72 . . . . . . Rs. 111·4 million.

1972-73 . . . . . . Rs. 159·3 million.

(c) Government's policy is to increase and diversify exports to all the countries including Rumania. To attain this objective, various measures like participation in the trade fairs, sponsoring of trade delegations etc. are regularly undertaken.

(d) Trade Plans with East European countries are drawn up on calendar year basis. The value of exports to Rumania envisaged in 1974 trade plan is of the order of Rs. 450 million.

STATEMENT

Principal Commodities exported to Rumania during 1970-71, 1971-72 and 1972-73.

1. Coffee.
2. Spices (Black pepper).
3. Mica.
4. Iron Ore and concentrates.
5. Manganese ore and concentrates.
6. Natural gums, resins, balsam and lac.
7. Leather.
8. Cotton Yarn.
9. Iron and Steel.
10. Manufactures of metal.
11. Made-up articles wholly or chiefly of cotton.
12. Jute mfrs.
13. Cashew kernels.
14. Oil cakes.

बालचन्द्रम समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना

4139. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ कच्चे माल के बारे में बालचन्द्रम समिति के प्रतिवेदन को शीघ्र क्रियान्वित करने के बारे में निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जहां तक प्राथमिकता वाले लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा आकलित क्षमता के आधार पर आयातित कच्चे माल आदि के लाइसेंस दिये जाने की अनुमति देकर बालचन्द्रन समिति की सिफारिशें सामान्यतः लागू कर दी गई हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा की प्राप्यता में बाधाएं होने से उसी तरह की सुविधाएं गैर-प्राथमिकता वाले लघु उद्योगों को दिये जाने के बारे में अभी विचार नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें अनेक सुविधाएं और रियायतें दी गई हैं, उदाहरणार्थ निर्यात किये गये माल के 25 प्रतिशत तक माइल्ड स्टील और अलौह धातुओं की हकदारियां बढ़ाना, आयात हकदारियों का हिसाब लगाने के आधार को उदार बनाना, किसी भी पार्टी को देय लाइसेंसों के अधिकतम मूल्य में वृद्धि करना, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों और पिछड़े इलाकों में स्थापित उद्योगों को फलन फूलने का अवसर देना।

वायर रोप उद्योग के निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली राज-सहायता में कटौती

4140. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायर रोप उद्योग के निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली राज-सहायता में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसका वायर रोप के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) इस्पाती तार के रस्सों पर संशोधित निर्यात सहायता पर्याप्त समझी जाती है और इस मद के निर्यातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंक परियोजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में कूओं के निर्माण, नलकूप लगाने तथा कृषि के विकास के लिए दिया गया ऋण

4141. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन जिलो के नाम क्या है जिन्हें वर्ष 1973-74 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक परियोजना द्वारा कूओं के निर्माण, नलकूप लगाने तथा कृषि के विकास के लिए ऋण दिया गया है; और

(ख) ऐसी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के उपरान्त अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं द्वारा, जिलावार, कितनी एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कुओं के निर्माण, नलकूप लगाने तथा कृषि के विकास के लिए सामान्यत: सभी जिलों को ऋण दिये गये हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की खाता संख्या और ऋणों की रकम तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 1973 को ऋणों की बकाया रकम नीचे दी गयी है :--

(रुपयों में)

	खाता संख्या	बकाया रकम
1. कुओं और नलकूपों को खोदने तथा गहरा करने के लिए	1347	4244
2. पम्प सैटों और आयल इंजनों की खरीद के लिये	4469	13218
3. भूमि संरक्षण और भूमि विकास योजनाओं के लिए	164	877

इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक भी मध्यप्रदेश कृषि ऋण परियोजना के अन्तर्गत एक जोरदार लघु सिंचाई विकास कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनकी सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से सम्बद्ध) द्वारा की जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत 35 जिले आयेंगे जिनमें कुल 60.45 करोड़ रुपये के ऋण देने का कार्यक्रम है। जिसमें से सहभागी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 20.93 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारी भूविकास बैंक तथा भाग लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपेक्षित ऋण देने के कार्यक्रमों के साथ इन जिलों का नाम अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-6515/74.**]

(ख) मध्यप्रदेश कृषि ऋण परियोजना के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं से कुल 1.50 लाख हैक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचेगा। जिसमें 0.33 लाख हैक्टेयर ऐसी भूमि शामिल है जो परियोजना के अन्तर्गत पहली बार सिंचाई से लाभान्वित होगी।

कपड़ा उद्योगों में अधिक पूंजी लगाने के लिये वातावरण पैदा करना

4142. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग में अधिक पूंजी लगाने का वातावरण पैदा करने के लिये नीति निर्धारित करने हेतु कोई पहल की है ;

(ख) क्या सरकार ने बड़े उद्योग गृहों की कपड़ा मिलो के बारे में विशेष कर छूट और लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाने की आवश्यकता को महसूस किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्रोसेस करने की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और टैरी टावर, केनवस, वाइड विथ और कोरडूयूरोय लूम, बुनाई मशीनों जैसे विशेष उपकरण लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है जो बेहतर निर्यात क्षमता के साथ कपड़ा उत्पादन के लिये बटेसन पर कार्य कर उपयुक्त हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूती वस्त्र उद्योग ने गत दो वर्षों में घरेलू तथा निर्यात बाजारों में तेजी आने के कारण खासा लाभ कमाया है और इससे उसे अपने अन्दर से ही पर्याप्त साधन मिल जाने चाहिए ।

(ख) बड़े उद्योग गृहों के स्वामित्व के अधीन वस्त्र मिलों के सम्बध में लागू लाइसेंस नीति में कोई मूल संशोधन करने का विचार नहीं है ।

(ग) सरकार ने पहले ही विशेष फैब्रिक्स जैसे कि टेरी तोलिए, केनवस, बड़े अर्ज वाले फ्रैब्रिक, आदि के उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता प्राधिकृत करने के लिये कदम उठाये हैं । स्पन यार्न पर कार्य किये जाने के लिये निटिंग मशीनें लगाने की अनुमति भी सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात अभिमुख विविधीकरण के उद्देश्य से दी जा रही है । प्रोसेसिंग सुविधाओंकी स्थापना के लिये भी प्रोत्साहन दिया जा रहा रहा है ।

केरल सरकार द्वारा तीर्थ स्थलों के विकास के लिये सहायता का अनुरोध

4143. श्री वलायार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में तीर्थ स्थानों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड से, जो कि एक सांविधिक निकाय है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका सम्बन्ध शबरिमला, पम्पा, अरण्मुला, वर्गला, तिरुवल्लम, आलवाई, एट्टुमानूर, वैक्कम और नेय्याट्टिकरा में तीर्थ यात्रियों के लिये आवास, पानी और बिजली आपूर्ति, शौच व स्नान सुविधाओं, डाक्टरी सुविधाओं एप्रोच मार्गों के निर्माण, आदि के रूप में 7.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुविधायें प्रदान करने से है । साधनों की परिसीमाओं एवं अन्य प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुये केन्द्रीय सरकार देवस्वम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बृहत् योजनाओं के लिये निधि उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है ।

तथापि केरल सरकार द्वारा शबरिमला और गुरूवायूर मंदिरों में पर्यटन सुविधायें प्रदान करने की स्कीमें राज्य के पर्यटन विषयक पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं ।

Misuse of Funds for Famine Relief Works in M. P.

4144. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been any misuse of the money provided by Central Government for famine relief work in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) if so, the total money misused ; and

(c) the reaction of Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) No Central assistance has been given to the Government of Madhya Pradesh for drought relief works in 1970-71 and 1971-72. No instance of mis-utilization has come to the Centre's notice in regard to assistance released to the State Government for drought relief expenditure in 1972-73.

साधारण खनिज पदार्थों के निर्यात में विस्तार

4145. श्री राजदेव सिंह :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कुछ साधारण खनिज पदार्थों के निर्यात में विस्तार की बड़ी सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रमबद्ध आयोजन आवश्यक मूलभूत ढांचे और पत्तन सुविधाओं के विकास से इन खनिज पदार्थों के निर्यात में कई गुना वृद्धि हो सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां। अवस्थापना सम्बन्धी तथा पत्तन सुविधा को सुधारने हेतु सरकार ने पहले ही कई विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। उन विकासात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप छोटे खनिज पदार्थों के निर्यातों को लाभ होगा।

सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढाने हेतु प्रयासों को दुगना करने के लिए उपाय

4146. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढाने हेतु प्रयासों को दुगना करने के उपायों पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों की संचालन सम्बन्धी और प्रबन्धकीय दक्षता में सुधार करने के उपाय किये जा रहे है। सरकार इन उद्यमों के कार्यचालन की लगातार समीक्षा करती है और इसने, उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ करना ;

(ii) संयंत्र और निगम स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करना ;

(iii) संयंत्र प्रबन्ध में सुधार करना ;

(iv) अनुरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापों का विकेन्द्रीकरण करना ;

(v) संतुलन बनाए रखने और अड़चनें दूर करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(vi) सामग्री प्रबन्ध अभिप्रेरण, उत्पादन के आयोजन और नियंत्रण में सुधार करना ;

(vii) संचालन की सामायिक समीक्षा और नियंत्रण के लिये उपयुक्त तंत्र व्यवस्था करना ;

(viii) बेहत्तर निगम आयोजन ;

(ix) अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों तथा अन्य तकनीकी सेवाओं को सुदृढ करना ;

(x) बिक्री और विणन प्रयासों को सुदृढ करना ;

(xi) औद्योगिक संबंधों में सुधार करना ; और

(xii) एक से अधिक पालियों की व्यवस्था ।

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने का प्रस्ताव

4147. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिये धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित धन की अधिकतम सीमा क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा देने के लिये जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वह इस प्रकार है कि विभिन्न मंत्रालयों आदि की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पैट्रोलियम, तेल, चिकनाने के पदार्थ, उर्वरक, इस्पात आदि के लिये राशि निर्धारित कर दी जाती है। आयातित कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में अधिक वद्धि के कारण इन वस्तुओं की आवश्यकताओं का विशेष महत्व हो गया है। चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के स्तर का निर्धारण, अर्थव्यवस्था की आयात संबंधी कुल आवश्यकताओं और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के संदर्भ में जितनी जल्दी हो सकेगा किया जायेगा ।

Memorandum from Opium Growers Association, Partapgarh

4148. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum dated the 10th December, 1973 from the Afim Utpadak Krashaka Sangh, Partapgarh, Rajasthan (Opium Growers Association) listing therein the problems of opium cultivators ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to promote the opium cultivation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) A memorandum from the Opium Growers Association, Rajasthan has been received by the Government and the various suggestions made therein are under examination. However, the Government has already taken the following steps :

(i) In 1972-73, the price of opium payable to the cultivators was substantially enhanced ;

(ii) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale, and this provides for incentive to a cultivator tendering a higher yield of opium per hectare ;

(iii) Cash awards are given in each opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium ;

(iv) Demonstrations are arranged for educating the cultivators in the use of pesticides and fertilizers ;

(v) The Departmental Officers help the poppy cultivators in procuring good seeds and also keep liaison with concerned State authorities so as to assist in the fair supply of fertilizers and pesticides required by them;

(vi) Experimental farms have been set up in some of the growing areas for conducting experiments on poppy seeds, soil and fertilizers etc., with a view to improving the yield and quality of opium. Results obtained from these experiments will be used for imparting guidance to the poppy cultivators for increasing their output of opium.

तमिलनाडु में लोक नेताओं के विरुद्ध आरोपों संबंधी ज्ञापन का प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया जाना

4149. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'थिकट्स ब्रिगेड' नामक एक संगठन ने प्रधान मंत्री को उनके सितम्बर, 1973 के दौरे के समय राजभवन मद्रास में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें तमिलनाडु के कुछ लोक-नेताओं के विरूद्ध आरोप लगाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) इस ज्ञापन में श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा विदेशी मुद्राविनिमय नियमों का उल्लंघन किए जाने के कुछ आरोप हैं । इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि आयकर विभाग उनकी तरफ बकाया करों की बहुत बड़ी रकम को वसूल नहीं कर रहा है ।

(ग) आरोपों की जांच की जा रही है और यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अमरीका और अरब देशों को माक्षिक (पाइराइट) के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4150. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से अमरीका और अरब देशों को माक्षिक (पाइराइट) के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा है ;

(ख) प्रतिबन्ध लगाये जाने से पूर्व उन देशों को कितना माक्षिक निर्यात किया जाता था ; और

(ग) किन कारणों से इस धातु के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये राज्य सरकार से कहा जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रूस से उर्वरकों की सप्लाई

4151. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ सम्पन्न करार के अनुसार भारत उसे पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के बदले चमड़ा, सूती वस्त्र, तम्बाकू, मूंगफली तथा चाय की सप्लाई करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त करार के अनुसार रूस से कितने मूल्य के सामान का आयात करने का तथा कितने मूल्य के सामान का निर्यात करने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) 1974 के लिये भारत-सोवियत व्यापार संस्था में सोवियत संघ को चमड़े के जूते, सूती वस्त्र, तम्बाकू, ए०पी०एस० मूंगफली तथा चाय के निर्यात और सोवियत संघ से पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरकों के आयात की व्यवस्था है । इसमें इनके अलावा अनेक अन्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात की भी व्यवस्था है ।

(ख) संस्था में निम्नलिखित व्यापार-परिणाम की व्यवस्था है :

सोवियत संघ से आयात . . .	लगभग 353 करोड़ रु०
सोवियत संघ को निर्यात . . .	लगभग 317 करोड़ रु०

इलाहाबाद बैंक, पश्चिम बंगाल की चितरंजन एवेन्यू ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध आरोपों की जांच

4152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक (पश्चिम बंगाल) की चितरंजन एवेन्यू ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरूद्ध आक्षेपों की कोई जांच की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उसकी कलकत्ता स्थित चितरंजन ऐवेन्यू शाखा द्वारा स्वीकृत कुछ अनियमित अग्रिमों के संबंध मे जांच करने के बाद, शाखा प्रबंधक से उचित समय पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके उत्तर का इंतजार किया जा रहा है। बक ने यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच कार्यालय भी इस मामले में जांच कर रहा है ।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण

4153. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक में सरकारी निदेशक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक श्रमिक वर्गो से संबंधित निदेशकों से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में जानकारी छिपाते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक बोर्ड, जिसमें उनके कर्मचारी-निदेशक भी शामिल होते हैं, प्रत्येक अशोध्य और/या संदिग्ध माने गये खाते के सम्बन्ध में बैंक के सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था की स्वीकृति देता है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

चाय बागानों को दी गई राज-सहायता

4154. **श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न चाय बागानों को, चायबागान-वार, कितनी राशि के ऋण और राज सहायता दी गई ; और

(ख) क्या आवेदकों ने इन ऋणों और राज सहायता का उपयोग किया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली की सिंधिया हाउस ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध कथित आरोप

4155. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली की सिंधिया हाउस ब्रांच के भूतपूर्व मैनेजर के विरूद्ध कथित आरोपों की कोई जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो आरोपों का स्वरूप क्या है और अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या सम्बद्ध अधिकारी को एक कार के साथ पदोन्नति दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) इलाहाबाद बैंक ने रिपोर्ट दी है कि बैंक के कानूनी लेखापरीक्षकों और इसके निरीक्षकों द्वारा की गयी जांच पड़ताल के आधार पर इसकी नयी दिल्ली की सिंधिया हाऊस शाखा द्वारा दिये गये अग्रिमों के संबंध में की गयी कुछ गल्तियों का पता चला है। अत: उस समय जो प्रबन्धक काम कर रहा था उसे बैंक के द्वारा आरोप-पत्र भेजा गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है। बैंक ने यह रिपोर्ट और दी है कि प्रबन्धक को पदोन्नत नहीं किया गया था बल्कि निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने से काफी पहले सामान्य रूप से उसका तबादला उसी पद पर किसी दूसरी शाखा में कर दिया गया था। इस शाखा में, बैंक के कारबार को बढाने के लिए प्रबन्धक को कार के उपयोग की सुविधा पहले से ही प्राप्त थी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन के लिये एक मंजिल की सजावट

4156. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अकेले चेयरमैन के उपयोग के लिये बम्बई में एक पूरी मंजिल की सजावट करने तथा उस में फर्नीचर लगाने पर 1.5 लाख रुपये खर्च किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टैट बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि बम्बई में बैंक की नयी प्रशासनिक इमारत की कोई मंजिल केवल अध्यक्ष के प्रयोग के लिये नहीं रखी गयी है। इस इमारत की अठारहवीं मंजिल में बोर्ड का कमरा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और तीन उप-प्रबन्ध निदेशकों के कमरे, इन वरिष्ठ कार्यकारियों के साथ नियुक्त सचिवीय कर्मचारियों के कमरे तथा साथ ही दर्शकों और सेवा-सुविधाओं जैसे लिफ्ट, प्रतीक्षालय, शौचालय के लिये स्थान है। सब मिला कर इस मंजिल में 19 कमरे हैं जिसमें से एक कमरा अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

स्टैट बक ने आगे सूचित किया है कि जनवरी, 1972 में इस भवन में भयंकर अग्निकांड के परिणामस्वरूप हुई क्षति के परिणामस्वरूप 18 वीं मंजिल सहित कुछ मंजिलों की सजावट व साजसज्जा फिर से करनी पडी। बताया गया हैं कि पूरी अठारहवीं मंजिल को सुसज्जित और फर्निश करने पर 6.90 लाख रुपये व्यय किये गये।

31 मई, 1973 को पालम हवाई अड्डे के निकट हुई बोइंग विमान दुर्घटना के विमान चालक और सहचालक का सेवा से मुक्त कर दिया जाना

4157. श्री भागीरथ भंवर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1973 को पालम हवाई अड्डे के निकट हुई बोइंग विमान दुर्घटना के विमान चालक और सह-चालक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या उनको सेवा से मुक्त करने की सिफारिश जांच आयोग ने की थी ;

(ग) क्या बोइंग कम्पनी ने इस विमान के चालक को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसको कमाण्डर के रूप में नियुक्त करने के क्या मुख्य कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस ने उड़ान कार्मिक सेवा नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत इस भाग्यहीन उड़ान के कमांडर (कैप्टेन जी० पी० बी० नायर) तथा सह विमान चालक (कैप्टेन बी० एन० रेड्डी) की सेवायें 6 अगस्त, 1973 से समाप्त कर दीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रारम्भ में यथेष्ट प्रगति न होने के कारण कैप्टेन नायर का बोइंग प्रशिक्षण लगभग 15 घंटे के बाद बन्द कर दिया गया था। परन्तु उत्तरवर्ती प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा कर लेने तथा उड़ान टेस्टों को पास कर लेने पर उसके लाइसेंस का कमांडर के रूप में विधिवत् पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) कर दिया गया था।

कर्नाटक के लिये कृषिक पुनर्वित्त निगम की योजनाएं

4158. **श्री राम प्रकाश :**
श्री रामभगत पासवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषिक पुनर्वित्त निगम ने कर्नाटक के लिये 159 योजनाएं मंजूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने दिसम्बर, 1973 के अन्त तक कर्नाटक राज्य में 159 योजनाओं की स्वीकृति दी थी ?

(ख) फरवरी, 1974 के अन्त तक निगम द्वारा स्वीकार की गयी 161 योजनाओं के सम्बन्ध में, जिनके लिये कुल 87.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी है, श्रणी वार ो ब्यौरे प्राप्त हैं उनके अनुसार 20 योजनाएं छोटी सिंचाई के लिये, 16 योजनाएं भूमि विकास के लिये, 99 योजनाएं पौधारोपण बागवानी के लिये, 7 योजनाएं फार्म यन्त्रीकरण के लिये, 5 योजनाएं मुर्गी पालन के लिये, 7 योजनाएं डेरी विकास के लिये, 1 योजना भेड़ प्रजनन के लिये, 4 योजनाएं मालगोदामों तथा मा िट यार्डों के लिये और 2 योजनाएं मछली-पालन के लिये हैं।

दिल्ली में शुष्क बंदरगाह

4159. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्मन्त्रालय में मतभेदों के कारण दिल्ली में शुष्क बन्दरगाह स्थापित करने का कार्य रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने इनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस आपत्ति के कारण कि दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना से दिल्ली महानगर क्षेत्र में जनता का अन्तः प्रवाह बहुत बढ़ जाएगा तथा इससे इस क्षेत्र के विकास के लिये मास्टर योजना बिगड़ जाएगी, दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नेपाल को चोरी छिपे खाद्यान्न का ले जाया जाना

4160. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कुछ किसान नेपाल तथा नेपाल होते हुए तिब्बत की चोरी-छिप खादयान्न ले जा रहे है ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी तस्करी के किसी मामले का पता लगाया है ; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा तिलहनों को चोरी-छिपे अन्य देशों को ले जाना

4161. श्री भान सिंह भौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा तिलहनों को बड़ी मात्रा में बांगला देश, पाकिस्तान तथा नेपाल को चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को प्राप्त हुई गुप्त सूचना से, नेपाल, पाकिस्तान तथा बांगला देश को तेल तथा तिलहनों की बड़े पैमाने पर किसी प्रकार की तस्करी होने का पता नहीं चलता।

(ख) भारत-नेपाल तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा तेल तथा तिलहनों का कोई मामला नहीं पकड़ा गया परन्तु, पिछले दो वर्षों के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भारत-बंगला देश सीमा पर पकड़े गये तेल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

1972 . . .	64,000 रु० (लगभग)
1973 . . .	1,900 रु०

Increase decrease in Export of Certain Commodities

4162. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri S. F. Damani :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the commodities which registered a decrease in export last year ;

(b) the value of increase or decrease in the exports ; and

(c) the remedial measures taken in regard to decrease in exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) The principal commodities which registered a decline/increase in exports during 1972-73 over the preceding year were as follows :—

Items showing decline :

Items	Rs. (crores)
Spices	7·1
Sugar	16·9
Tea	9·0

Items	Rs. (crores)
Manganese ore	1·9
Jute manufactures (including yarn)	15·3
Iron and steel	2·4

Items showing increase

Items	Rs. (crores)
Handicrafts	37·9
Cotton piece goods	24·3
Oil cakes	34·6
Vegetable oils	17·1
Tobacco unmanufactured	18·8
Fish and fisn preparations	12·5
Coffee	10·9
Cotton yarn and thread	7·0
Leather and leather manufactures	84·9
Engineering goods.	16·4

(c) Government have taken a number of measures to promote exports. These includes strengthening of the production base, especially in the export oriented industries, supply of imported raw materials through import replenishment licensing, removal of capacity constraints, abolition and reduction of export duties, grant of draw back of import/excise duties, grant of compensatory support in selected cases, priority allocation of scarce raw materials and generation of export surpluses through fiscal and other devises.

Supply of Railway Coaches to Foreign Countries

4163. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries which placed orders with India during the last six months for the supply of Railway coaches ; and

(b) the amount of foreign exchange likely to be earned by India as a result of these agreements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) An order for supply of 30 Railway coaches and spares valued at Rs. 2·475 crores has been received from Philippines.

बम्बई के बी०ई०एस०टी० उपक्रम द्वारा अमरीका से संगणक मशीनें खरीदे जाने के लिये अधिक मूल्य दिया जाना

4164. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बी०ई०एस०टी० उपक्रम को अमरीका से खरीदी संगणक मशीनों के लिये अधिक मूल्य देना पड़ा था ;

(ख) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में विलम्ब के कारण बी०ई०एस०टी० उपक्रम की यह हानि हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि बी०ई०एस०टी० उपक्रम के अनुमोदन या परामर्श के बिना ही आयात लाइसेंस सीधे भारत स्थित अमरीकी कम्पनी की ब्रांच/एजेंट को दे दिया गया था और इससे सौदेबाजी करने में कथित रूप से रूकावट आ गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को आयात आवेदनपत्र सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के माध्यम से 24–4–1973 को प्राप्त हुआ था और आवेदनपत्र के अनुसार लाइसेंस, प्राधिकार पत्र सहित, 27–4–1973 को जारी कर दिया गया था ।

(ग) लाइसेंस, बी०ई०एस०टी० के एक अधिकारी के अनुरोध पर प्राधिकार पत्रधारी को दे दिया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ कम्पनियों द्वारा पूंजी बढ़ाना

4165. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी पूंजी कितनी कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय से 2 मार्च, 1974 को जारी की गयी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, निम्नलिखित 11 कम्पनियों को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 666.77 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गयी थी :

कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
(1)	(2)
1. मैसर्स मौदीपान लिमिटेड	150.00
2. मसर्स मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०	92.11
3. मसर्स अजित मिल्स लि०	5.49
4. मैसर्स न्यू गुजरात काटन मिल्स लि०	60.00
5. मैसर्स एफ० सी० सौंधी ऐण्ड कं० (इ) प्रा० लि०	0.48
6. मैसर्स भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	200.00
7. मैसर्स स्टीलसवर्थ प्रा० लि०	13.19
8. मैसर्स गेस्ट कीन विलियम्स लि०	25.00
9. मैसर्स डेक्कन फार्मर्स ऐण्ड डिस्टिलरीज लि०	50.00
10. मैसर्स एस० आर० पी० टूल्स लि०	20.00
11. मैसर्स यू० पी० ऐसबेस्टस लि०	50.00
जोड	666.77

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

4166. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में सरकारी क्षेत्र में कितने औद्योगिक एककों को स्थापित करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) उनको किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा तथा उसमें राज्य का कितना भाग होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में, इस समय पंजाब में केवल एक निर्माण एकक है। यह है भारतीय उर्वरक निगम का नांगल एकक। इस एकक में किये गये निवश (सकल पूंजी) की रकम में, 218 लाख रुपये की वृद्धि हो गयी है जो 31-3-1969 में 3238 लाख रुपये से बढ़कर 31-3-1973 को 3456 लाख हो गयी । पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में किसी अन्य निर्माण एकक के स्थापित किये जाने की मंजूरी नहीं दी गई है । भटिंडा में भारतीय उर्वरक निगम के अधीन एक यूरिया परियोजना पर विचार किया जा रहा है जिस की अनुमानित लागत 117.5 करोड़ रुपये है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर की छूट

4167. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हो रहे औद्योगिक कारखानों को और प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्ष तक उनके 20 प्रतिशत लाभ पर कर की छूट दिये जाने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने गंभीरता से विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1973, जिसे सदन में 3 सितम्बर 1973 को पेश किया गया था, के खंड 9 का उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 में 1 अप्रैल 1974 से एक नई धारा 80 एच० एच० जोड़ना है। इस नई धारा के अन्तर्गत ऐसे निर्धारिती को जो किसी विनिर्दिष्ट पिछड़े इलाके में कोई नया औद्योगिक उपक्रम या होटल का व्यापार स्थापित करता है, उसकी कुल आय की संगणना में उतनी रकम की कटौती पाने का हक होगा जो ऐसे लाभों तथा अधिलाभों के 20 प्रतिशत के बराबर होगी । पिछड़े इलाकों को आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है जिसे इस विधेयक के खंड 15 के अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 में अन्तर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। जिन मामलों में 31 मार्च 1973 के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्पादन आरंभ करता है अथवा होटल चालू होता है उनमें यह कटौती, जिस पूर्ववर्ती वर्ष में औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्पादन आरंभ करता है अथवा होटल चालू होता है उसके पूर्व व र्ष के संगत कर निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस कर निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए दी जायेगी । तथापि, जहां 1 अप्रैल 1973 से पूर्व किन्तु 31 दिसम्बर 1970 के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान ने निर्माण अथवा वस्तुओं का उत्पादन शुरु कर दिया है अथवा होटल चालू हो गया है, वहां जिन कर-निर्धारण वर्षों के लिए कटौती दी जानी है उनकी संख्या में उतने निर्धारण वर्ष घटा दिए जाएंगे जो 1 अप्रैल 1974 से पूर्व समाप्त हो चुके है। यह कटौती तभी दी जायेगी जब औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा होटल व्यवसाय, नई धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेंगे ।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1973 सदन की प्रवर समिति के समक्ष है ।

Export of Iron Ore and Manganese Ore through M. M. T. C.

4168. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether mnganese ore and iron ore are exported through M. M. T. C. ;

(b) if so, the names of those countries to which these items are mostly exported ; and

(c) the figures of export and per metric tonne export price of these two minerals during the last three years—year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The names of the countries to which iron ore and manganese ore are mostly exported are as under : —

Iron Ore : Japan, South Korea, Taiwan, Romania, Czechoslovakia, Poland, Hungary and Bulgaria.

Manganese Ore : Japan, South Korea, U.S.A., France, Belgium and Czechoslovakia.

(c) It will not be in business interest to disclose the export prices.

छोटे खनिजों का निर्यात

4169. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष छोटे खनिजों के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खनिज उद्योग ने देश के निर्यात व्यापार तथा अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में छोटे खनिजों की भूमिका का विश्लेषण किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्लेषण के क्या निष्कर्ष निकले ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां । विश्लेषण के अन्तर्गत अवस्थापना सम्बन्धी तथा पत्तन सुविधाओं में सुधार करने के लिये अनेक विकासात्मक कार्यक्रमों और परिवहन, खनन, वित्त आदि क्षेत्रों में रियायतों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं ।

पड़ौसी देशों को सहायता

4170. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी और विकासशील देशों ने 1974 में भारत से कितनी सहायता मांगी है ;

(ख) सरकार मांगी गयी सहायता में से कितनी दे सकती है ; और

(ग) यह सहायता देने के लिये क्या उपबन्ध किया गया है या किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) पडौसी और विकासशील देशों द्वारा भारत से लगातार सहायता विशेष रूप से तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है और इस लिए यह बताना कठिन है कि 1 जनवरी, 1974 से 20 मार्च, 1974 के बीच ली गयी सहायता का मूल्य क्या है । सरकार सहायता के अनुरोधों को उस मात्रा तक पूरा करने का प्रयत्न करती है जितनी कि हर वर्ष बजट में व्यवस्था की जाती है ।

(ग) 1974-75 के दौरान विभिन्न देशों को ऋणों और अनुदानों के संबंध में की गयी प्रस्तावित बजट व्यवस्था की रकमें इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
(i) ऋण	40.76
(ii) अनुदान	31.88

देश में इंण्डियन एयरलाइन्स द्वारा माल ढोने की क्षमता का उपयोग

4172. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इण्डियन एयरलाइंस माल ढोने की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है जिसके कारण निर्यात संवर्धन सम्बन्धी उपायों में बाधा पहुंच रही है तथा इसके परिणामस्वरूप बड़े हवाई अड्डों पर माल इकट्ठा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) और (ख) हमारी राष्ट्रीय विमान कम्पनियों (एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस) में उपलब्ध क्षमता का माल ढोने के लिए सदा उपयोग किया जाता है। तथापि, बाह्य माल की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ी है और उपलब्ध क्षमता मांग की पूर्ति के लिए सदा पर्याप्त नहीं होती है।

एयर इण्डिया का इस वर्ष अप्रैल से भारत से यूरोप अथवा यू० के० तक प्रति सप्ताह केवल माल ढोने के लिये एक अतिरिक्त उड़ान परिचालित करने का इरादा है। कारपोरेशन चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जमा पिछले माल को ढोने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, अन्य परिचालकों के विमानों को किराये पर लेने की संभावना का भी पता लगा रही है।

वर्ष 1973-74 में बंगला देश से आयातित पटसन की मात्रा

4173. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में बंगला देश से कितनी मात्रा में पटसन का आयात किया गया ; और

(ख) इसका कुल मूल्य कितना है और उसका भुगतान किस रूप में किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973–74 के दौरान बंगला देश से कच्चे पटसन की 3,13,164 गांठों का आयात किया गया।

(ख) बंगला देश से आयातित कच्चे पटसन का मूल्य 1120.06 लाख टका है। बंगला देश से आयात सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत किये गये और भुगतान बंगला देश के पूर्तिकर्ताओं के नाम पर खोले गये पुख्ता अप्रतिप्राप्य ऋण पत्रों के माध्यम से किये गये।

आंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा प्रस्तावित ऋण

4174. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने देश को 1.3 करोड़ डालर का ऋण देना मान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत हाल ही में हस्ताक्षरित 24 जनवरी, 1974 के विकास ऋण करार की ओर है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ हिमाचल प्रदेश से ब/परिरक्षण और विपणन परियोजना के लिये भारत सरकार को लगभग 9.75 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये सहमत हो गया है। यह परियोजना, विभिन्न चरणों में पूरी होने वाली और एक समन्वित योजना का अंग है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सेब उद्योग के सामने परिवहन, संग्रहण परिरक्षण और बिक्री की समस्याओं को हल करना है। इसके अन्तर्गत, एक परिवहन केन्द्र का निर्माण करने, उसमें उपकरण लगाने, लगभग 12 पैकिंग केन्द्र खोलने, तीन संग्रहण केन्द्र स्थापित करने, चार ठण्डे गोदामों का निर्माण करने, सेब के रस को गाढ़ा करने का संयंत्र लगाने, सड़कों का निर्माण करने और उन्हें सुधारने तथा चुने हुए क्षेत्रों में हवाई केबल मार्ग का निर्माण करने के काम शामिल हैं।

यह ऋण, जिसकी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की मानक शर्तों के अनुसार की गयी है, 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जायेगा तथा उसपर एक प्रतिशत के 3/4 वार्षिक की दर से सेवा प्रभार लगेगा।

पोलैंड और सोवियत संघ को ऊनी कपड़ों का निर्यात

4175. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री वी० मयावन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड और सोवियत सं को उनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है और कब से ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस की सामान्य सेवा

4176. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री निहार लास्कर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने फरवरी, 1974 में तालाबंदी समाप्त होने के बाद अभी तक सामान्य सेवा शुरू नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सामान्य सेवा कब शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने 18 मार्च, 1974 से अपने सामान्य परिचालन पुनः प्रारंभ कर दिये हैं। संशोधित समयावली के अनुसार कुछ नगरों के लिये विमान सेवायें समाप्त कर दी गई हैं और कुछ अन्य नगरोंके लिये लेवा-आवृत्तियों में कमी कर दी गई है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार समझौता

4177. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री राम कंवर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ विशेष सम्बन्ध चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत उक्त समुदाय के साथ उपभोक्ता सहयोग सम्बन्धी समझौता करने के लिये बातचीत कर रहा है ; और

(घ) इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर हो जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) 17 दिसम्बर, 1973 को भारत ने यूरोपीय समुदाय के साथ एक वाणिज्यिक सहयोग करार पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिये हैं। करार के पाठ की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा पटल पर रख दी गई थी। करार पर हस्ताक्षर करते समय, दोनों पक्षकार, अन्य बातों के साथ साथ, सापेक्ष लाभ तथा आपसी हित के आधार पर एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अपनी बढ़ती हुई क्षमता की अधिकतम सीमा तक अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को समेकित करने, उन्हें गहरा बनाने और विविध रूप देने की इच्छा से प्रेरित हुए हैं ।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार वार्ता

4178. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए व्यापार वार्ता करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है ; और

(ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत तथा अफगानिस्तान के बीच एक व्यापार करार है जो इस समय फरवरी 1975 के अन्त तक वैध है। दोनों देशों का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि उनके बीच व्यापार बढ़े और उसका विविधीकरण हो । व्यापार करार के अन्तर्गत दी गई निर्यात तथा आयात की मदें करार की प्रति में दी गई है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये अनुग्रह–मुआवजा

4179. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से विस्थापित व्यक्तियों ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में घोषित अपनी सम्पत्तियों के लिए अनुग्रह-अदायगी हेतु आवेदन नहीं किया है ;

(ख) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई 'शत्रु सम्पत्तियों' के लिए अनुग्रहीत मुआवजे के बारे में कार्यवाही करने वाले कार्यालयों की वर्तमान स्थिति के कारण भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत-मुआवजे के प्रावधान का लाभ नहीं उठा सके ; और

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई शत्रु-सम्पत्ति के लिए अनुग्रहीत-मुआवजे के प्रभावी होने के दायरे के बारे में पूर्वी भारत के समाचारपत्रों में किसी नई अधिसूचना को जारी करने और उसका विज्ञापित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इसका पता नहीं है ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं ।

वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित करने के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति

4180. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान और उसके पश्चात् सम्पत्तियों को 'शत्रु सम्पत्ति' घोषित करने के कारण भूतपूर्व पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत में प्रभावित हुए (एक) व्यक्तियों और (दो) कम्पनियों की कुल संख्या के बारे में सरकार ने अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) (एक) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और (दो) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों की सम्पत्तियों और (एक) पश्चिमी पाकिस्तान और (दो) पूर्वी पाकिस्तान के भूतपूर्व पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में सम्पत्तियों के अनुमान का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या बंगला देश को मान्यता मिलने के पश्चात् (एक) बंगला देश और (दो) पाकिस्तान की सरकारों के साथ शत्रु सम्पत्तियों की समस्या के बारे में चर्चा हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी चर्चा का क्या परिणाम निकला ;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पाकिस्तान और बंगला देश की सरकारों के साथ बातचीत करने का है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास लगभग 6,000 दावे फाइल किये गये । इनमें से लगभग 1000 दावे कम्पनियों से संबंधित हैं और शेष व्यक्तिगत हैं ।

(ग) 109 करोड़ रुपये मूल्य के दावों में से 76 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्तियां भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान में स्थित हैं तथा 33 करोड़ रु० की सम्पत्तियां पश्चिम पाकिस्तान में हैं । अभिरक्षक में निहित 29 करोड़ रुपये मूल्य की पाकिस्तानी सम्पत्तियों में से 28 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्तियों का सम्बन्ध भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से है और 1 करोड़ रु० की सम्पत्तियां भूतपूर्वी पूर्व पाकिस्तान से संबंधित हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) तथा (छ) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनेक बार प्रस्ताव किया है कि दोनों में से किसी देश में जब्त की गई सम्पत्तियां लौटा दी जाएं लेकिन वह सरकार अभी तक विचार विमर्श करने के लिए सहमत नहीं हुई है। बंगला देश सरकार ने घोषित किया है कि वह उत्तराधिकारी सरकार नहीं है ।

पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रहीत मुआवजा

4181. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बटवारे के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की सम्पत्ति के बदले में उन्हें सम्पत्ति दी गई है अथवा उनके द्वारा भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में 'निष्क्रांत सम्पत्ति' के रूप में छोड़ी गई अपनी सम्पत्तियों के लिए उन्हें पूरा मुआवजा मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत मुआवजे के दावे स्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान में तथाकथित छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत-मुआवजे के लिए जाली दावे पेश किये गये हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया ;

(घ) क्या भारतीय नागरिकों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई शत्रु सम्पत्ति के दावों के बारे में कोई जांच करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पुनर्वास विभाग ने विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन (कुछ निष्क्रमणार्थी सम्पत्तियों से भी) मुआवजा दे दिया था ।

(ख) ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है जिनकी सम्पत्तियों पर पाकिस्तान सरकार ने 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान या उसके पश्चात् कब्जा कर लिया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत-मुआवजा

4182. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को उनके द्वारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई उनकी सम्पत्तियों के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों को अभी भी (एक) निष्क्रांत सम्पत्ति और (दो) घोषित शत्रु सम्पत्ति माना जाता है ;

(ग) क्या वर्ष 1950 के नेहरू-लियाकत अली समझौते के अनुसार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति पर अधिकारों के लिए हकदार हैं ;

(घ) क्या इस वजह से भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहीत-मुआवजे के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है ;

(ङ) यदि हां, तो अनुग्रहीत मुआवजे सम्बन्धी कार्यालय को दिल्ली और बम्बई में स्थापित करने के क्या कारण हैं ;

(च) क्या इन कार्यालयों को कलकत्ता स्थानान्तरित करने अथवा कम से कम वहां एक शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अप्रैल, 1950 के नेहरू-लियाकत पैक्ट के अन्तर्गत, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों पर उनके मालिकाना अधिकार बने रहे थे और वे जिस तरह से भी चाहें, अपनी सम्पत्तियों को बेच, आदान-प्रदान तथा निपटान कर सकते थे। अतः उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। निष्क्रांत सम्पत्ति से संबंधित विधियां पूर्वी पाकिस्तान में स्थित सम्पत्ति पर लागू नहीं होती। परन्तु 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय तत्कालीन पाकिस्तान सरकार द्वारा इन सम्पत्तियों को 'शत्रु सम्पत्तियां' घोषित किया गया था ।

(घ) जी हां ।

(ङ) से (छ) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही बम्बई में है और अब उप-अभिरक्षक का एक कार्यालय कलकत्ता में भी है ।

गत दो वर्षों में केरल में आरम्भ की गई होटल परियोजनाएं

4183. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कितनी होटल परियोजनाएं आरम्भ की गई ; और

(ख) इनके पूरा होने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, कोवालम में एक समेकित समुद्र-तटीय विहार-स्थल काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है जिसमें 100 कमरे का होटल तथा 40 कुटीरें सम्मिलित हैं ।

(ख) कुटीरें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 17 दिसम्बर 1972 को उन्हें चालू किया गया। भवन निर्माण सामग्री, जैसे, इस्पात तथा सीमेंट की प्राप्ति में कठिनाई के कारण होटल पूरा करने में कुछ देरी हो गई है परन्तु इसे मई 1974 में खोलने का कार्यक्रम है ।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को दिए गए ऋण

4184. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने बेरोजगार इंजीनियरों को अपने कारखाने या कारोबार आरम्भ करने के लिए ऋण दिए गए ; और

(ख) जिलावार उन्हें कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक, इस समय, बेरोजगार इंजीनियरों जैसी व्यापक श्रेणियों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन नहीं करते हैं। बेरोजगार इंजीनियरों को दिये जाने वाले अग्रिमों को सामान्यतः, छोटे पैमाने के उद्योग, व्यावसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्तियों और छोटे कारबार वाली प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के अन्तर्गत दिखाया जायगा।

उपलब्ध सूचना, जिसका सम्बन्ध पूरे केरल राज्य से है और जिस में जून, 1972 और जून, 1973 को ऋणकर्ताओं की इन श्रेणीयों के सम्बन्ध में ऋणकर्ता खातों/एककों की संख्या और अग्रिमों की बकाया रकमें दिखाई गई हैं, नीचे दी गयी हैं :—

(लाख रुपयों में) (आंकड़े अन्तिम हैं)

	छोटे पैमाने के उद्योग		व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति		छोटा कारबार	
	एककों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. जून, 1972 के अन्त में .	5391	3806	5233	84	2741	25
2. जून, 1973 के अन्त में .	9084	4316	9188	155	4204	53

रबड़ बोर्ड द्वारा आयोजित गोष्ठी

4185. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड ने केरल राज्य के कोट्टायम में 4 जनवरी, 1974 को एक गोष्ठी आयोजित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई और इस उद्योग के विकास के लिए रबड़ की खेती करने वालों को किए गए निर्णयों से क्या सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमं ो (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड ने रबड़ उद्योग के विभिन्न हितों के सहयोग में जनवरी, 1974 में रबड़ प्लांटर्स का एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें ये शामिल हैं। पौध प्रजनन, हेविया पोषण, टैपिंग, फसल बढ़ाना तथा उसका सदुपयोग, साधित करने संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार, तकनीकी विशिष्टियां, प्रौद्योगिकीय गुणधर्मों का परिरक्षण, 2000 ई० तक प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत का अनुमान लगाना और रबड़ बागान में प्रबन्ध संबंधी समस्याएं। सम्मेलन में पारित संकल्प में रबड़ की कीमतों में उर्ध्व-मुखी संशोधन, पुनर्रोपण उपदान दर में वृद्धि और रबड़ उपकर वसूली का 25 प्रतिशत अनुसंधान कार्य के लिए देना शामिल हैं।

सम्मेलन में इन संकल्पों को बागानों के दीघवधि हित में स्वीकार किया गया है। इसके प्रभाव का कोई भी अनुमान लगाने से पहले सरकार को इन पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करना होगा।

नई कपड़ा नीति

4186. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सरकार का नई कपड़ा नीति अपनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) एक संशोधित नीति विचाराधीन है।

स्वीकृत होटलों को अपनी विदेशी मुद्रा की आय का प्रचार और विदेशों में होटल उद्योग के संवर्धन पर पुनःनिवेश करने की अनुमति देना

4187. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की आय में होटल उद्योग द्वारा किये गये सराहनीय योगदान को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत होटलों को विदेशी मुद्रा की आय प्रचार और विदेशों में होटल उद्योग के संवर्धन पर पुनः निवेश की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित होटलों को 10 प्रतिशत तक की अपनी विदेशी मुद्रा की आय (बैंकर्ज प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित) को विदेशों में विज्ञापन और प्रचार, प्रोत्साही यात्राओं विदेश स्थित बिक्री कार्यालयों/अधिकरणों (एजेन्सियों) के रख-रखाव एवं होटल सेवाओं के लिये आवश्यक साधनों व उपस्कर के आयात के लिये, स्वदेशी सामान की उपलब्धता आदि की दृष्टि से अनापत्ति आदि जैसे सामान्य विनियमों की शर्तें पूरी होने पर, खर्च करने का अधिकार दिया गया है।

व्यापारियों द्वारा ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग

4188. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यापारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिली ऋण सुविधाओं के दुरूपयोग का सरकार को पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) व्यापारियों को बैंकों द्वारा वित्त प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, ऋणों के अंतिम उपयोग के बारे में बैंकों द्वारा जांच और पर्यवेक्षण किये जाने की पर्याप्त व्यवस्था है ताकि ऋण-सुविधाओं के दुरुपयोग को रोका जा सके। जब कभी ऋणों के दुरुपयोग के विशिष्ट मामले बैंकों द्वारा पकड़े जाते हैं या उनके ध्यान लाए जाते हैं बैंकों द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाये जाते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कड़े नियंत्रण लागू हैं जिनका प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ताकि बैंक-ऋणों का उपयोग इन वस्तुओं की जमाखोरी या सट्टेबाजी के लिए न किया जा सके।

कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

4189. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में सूती कपड़े के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से : और

(ग) गत दो वर्षों में वर्षवार सूती कपड़े के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मोटे तथा मध्यम दर्जे के (मिल-निर्मित) कपड़े की नियंत्रित किस्मों की कीमतों में मई, 1968 से संशोधन नहीं किया गया है। मोटे तथा मध्यम दर्जे के कपड़े (मिल निर्मित) की अन्य किस्में स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना के अन्तर्गत आती हैं तथा उनकी कीमतें नवम्बर, 1972 में चल रही कीमतों के स्तर पर उसमें 10 प्रतिशत जोड़

कर स्थिर कर दी गई है। फाइन तथा सुपर-फाइन सूती कपड़े (मिल निर्मित) की कीमतें पिछले एक वर्ष के दौरान बढ़ी हैं।

(ख) सूती कपड़े (मिल निर्मित) की फाइन तथा सुपर-फाइन किस्मों की कीमतों में वृद्धि के मुख्य कारण ये है :—(1) स्वदेशी तथा आयातित दोनों तरह की रुई की कीमतों में वृद्धि (2) मिलों के मजदूरी बिल में वृद्धि (3) बम्बई में बिजली की दर में वृद्धि तथा ईंधन व भट्ठी तेल उंची कीमतों जैसे कारणों से उपरी खर्चों में वृद्धि, और (4) नियंत्रित कपड़े के विनिर्माण में बढ़ती हुई हामियां आदि जिन्हें मिलें अन्य किस्मों से पूरा करने की कोशिश करती हैं।

(ग) 1972 तथा 1973 के दौरान सूती कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार था :—

(करोड़ मीटरों में)

वर्ष	मिल क्षत्र	विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	योग
1972 . . .	424.5	377.7	802.2
1973 . . .	413.6*	304.5 (जनवरी से अक्तूबर)	718.1

*अक्तूबर से दिसम्बर 1973 के उत्पादन के आंकड़े अनन्तिम हैं।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में असंगतियां

4190. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की जिन स्पष्ट असंगतियों की ओर विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों ने ध्यान दिलाया है, उन्हें ठीक कर दिया गया है ; और

(ख) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की 24 तथा 25 जनवरी 1974 को हुई पिछली बैठक में यह मान लिया गया है कि कर्मचारियों की सामान्य श्रेणियों से संबंधित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हो सकने वाली असंगतियों की जांच के लिए सरकारी प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित की जाय। परंतु यह बात स्पष्ट की गयी थी कि जिन मामलों में वेतन आयोग ने वेतनमानों के संबंध में निश्चित सिफारिशें की है उन मामलों में अंतर-विभागीय तुलनाओं के आधार पर होने वाली असंगतियों के तर्क के आधार पर संशोधनों के लिये किये गये अनुरोध पर विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा। यह भी मान लिया गया था कि असामान्य श्रेणियों के संबंध में ऐसी असंगतियों की जांच करने की दृष्टि से विभिन्न विभागीय परिषदों में भी इसी प्रकार की समितियां स्थापित की जायं। राष्ट्रीय परिषद की समिति पहले ही स्थापित की जा चुकी है और इसके सदस्यों द्वारा जो मामले उठाये जायेंगे उन पर विचार करने के लिए 22 मार्च 1974 को इसकी बैठक होगी। इस समिति/इन समितियों की रिपोर्टें प्राप्त होने पर सरकार इन पर विचार करेगी।

पटसन मिलों का अधिग्रहण

4191. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कतिपय पटसन मिलों का अधिग्रहण करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि मैसर्स लक्ष्मीनारायण जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी परिसमापन स्थिति में है तथा उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने कम्पनी के उपक्रमों सहित उसके बेचने के आदेश दिए थे । उन्होंने हाल ही में सुझाव दिया है कि प्रश्नाधीन पटसन मिल को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को अर्जी दी जाए ।

मध्यम और लघू उद्योग एककों को ऋण तथा अग्रिम

4192. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम और लघु उद्योग एककों को ऋण तथा अग्रिम देने की नीति को उदार बनाने के लिए कोई और हिदायतें दी गई हैं ;

(ख) क्या ये हिदायतें उन बेरोजगार इंजिनियरों और स्नातकों पर भी लागू होंगी जो लघु उद्योग लगाना चाहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन हिदायतों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) चालू कामकाज के दिनों के लिए रिजर्व बैंक ने ऋण नीति उपायों की घोषणा करते हुए ऐसे लघु उद्योग एककों को जिसमें बेरोजगार इंजीनियरों और स्नातकों द्वारा स्थापित एकक भी शामिल हैं तथा जिनकी कुल ऋण सीमा दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, आवश्यक न्यूनतम ऋण दर में छूट दे दी है इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक की ऋण जमानत योजना के अधीन आने वाले सभी लघु उद्योग एककों की आवश्यकता की बढ़ी हुई सीमा में छूट दी गयी थी । बैंकों को परामर्श दिया गया है कि ऋण संयम की सामान्य नीति के बावजूद वे लघु उद्योगों सहित प्राथमिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में पूरा करना जारी रखें और अब तक विकसित की गयी गति को बनाये रखें । जबकि रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोई और निर्देश जारी नहीं किये हैं, फिर भी लघु उद्योगों के सम्बन्ध में विशेषत: बेरोजगार इंजीनियरों और स्नातकों द्वारा लगाये गये लघु उद्योगों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा अपनी ऋण देने की नीति और प्रक्रिया का पुनर्निरीक्षण रखना जारी है ।

मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने में विलंब

4193. **श्री एस० एम० बनर्जी** :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 1973 में लागू नही किया गया है और इस वजह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सभी संगठनों ने इन सिफारिशों को 1 जनवरी 1973 से लागू करने की मांग की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय को लागू करने के आदेश अभी जारी नहीं किये गये हैं, क्योंकि नई दरों को लागू करने की तारीख तथा कार्यविधि संबंधी कुछ अन्य परिवर्तन करने के बारे में कुछ कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन

प्राप्त हुए थे। संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष ने भी यह मामला उठाया था और उनके अनुरोध पर इस मामले को राष्ट्रीय परिषद् की समिति को विचारार्थ भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित आदेश जारी किये जायेंगे।

Iran's Proposal for Setting up Development Fund

4194. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Shah of Iran had proposed for setting up a development fund for the developing countries for which an amount of more than 1000 million dollar was to be contributed by Iran ;

(b) the amount likely to be received by India out of this fund ; and

(c) the amount, if any, received by India from such funds during the last three months ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proposal is still in a preliminary stage. It is not possible to indicate, as of now, when the fund will be set up and the amounts that might be available for assistance to developing countries.

Disappearance of Essential Commodities on the eve of Presentation of Budget

4195. **Shri Bhagirath Bhanwar :**
Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that several commodities had disappeared from the market on the eve of the presentation of budget this year ;

(b) whether in view of the bitter experience of the past, any arrangements had been made to ensure that prices did not rise and unprecedented situation did not arise ;

(c) which commodities in particular had disappeared from the market ; and

(d) whether prominent among these commodities were the same which have been taxed by Government ?

The Deputy Minister of Commerce in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) It is a common feature that on the eve of the presentation of the Budget, some items generally classified as luxuries, on which indirect taxes are likely to be levied become temporarily unavailable in the market. This year also, some luxury items like T. V. sets, Air Conditioners, Refrigerators, Cigarettes, Cosmetics, toilet preparations and the like were out of the market.

Grant of Import/Export Licences

4196. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether issue of import and export licences have been restricted only to the people of particular places like Bombay, Madras and Calcutta and of a particular class in the country ; and

(b) if so, whether Government are formulating any scheme under which people of other backward areas, desirous of the undertaking import and export business, will be able to get licences therefor conveniently ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Advancing of Loans by Nationalised Banks to Start Business on Small Scale without Furnishing Sureties

4197. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the poor people who want to start business of small scale with less than ten thousand of rupees, are not given loans by the nationalised banks without furnishing sureties ;

(b) whether Government propose to formulate a suitable scheme to provide loans to them without sureties so that they may be able to earn their livelihood and repay the loans ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) On the basis of the recommendations of the Thakkar Committee which was set up in July, 1970 to review the working of special credit schemes of commercial banks with particular reference to employment potential, the Reserve Bank had advised all the commercial banks to ensure that no self-employed/small enterprise applicant was denied credit merely for want of a third party guarantee when the quality of the application was otherwise satisfactory. Banks also adopt a flexible approach in the matter of security in respect of small borrowers in the priority sector, and where the borrower is not in a position to furnish any security, any asset acquired by the borrower from out of the financial assistance given by the bank may be charged as security. In appropriate cases of loans to homegenous group of small borrowers, the banks also encourage furnishing of group guarantees in place of guarantees or sureties from third parties.

एशिया और अफ्रीका में विकास बैंक खोलने का प्रस्ताव

4198. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल उत्पादक अरब देशों का रशिया और अफ्रीका में करोड़ों डालर पूंजी वाले विकास बैंक खोलने का प्रस्ताव है जिसमें वे अपनी बढ़ी हुई तेल की आय लगाएंगी;

(ख) क्या सरकार के तेल में समृद्ध अरब देशों से तत्संबंधी ब्यौरा जानने के लिए सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले पर, तेल-उत्पादक देश स्वयं विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई स्पष्ट प्रस्ताव सामने नहीं आया है ।

गैर-सरकारी अनुसूचित बैंकों के डिपाजिट

4200. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी गैर सरकारी अनुसूचित बैंकों के नाम क्या हैं जिन में डिपाजिट एक करोड़ रुपये अथवा अधिक के हैं ;

(ख) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में इन में से प्रत्येक बैंक के डिपाजिट में कितनी राशियां थीं;

(ग) उपरोक्त वर्षों में इन प्रत्येक बैंक को कितना-कितना लाभ हुआ ; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक बैंक के प्रबन्ध निदेशकों और निदेशक मंडल के अध्यक्षों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6516/74**]

(घ) इन बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम अनुबन्ध 'ख' में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6516/74**]

Outstanding Amount of Foreign Debt

4201. **Shri B. S. Chowhan :**
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of loans of foreign countries outstanding against India as on 31st December, 1973 and the amount of interest paid by India thereon in November-December, 1973 ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : A statement giving the information is laid on the Table of the House.

Statement

Countrywise break-up of loans obtained by Government of India and outstanding on 31st December, 1973 and the amount of interest paid thereon in November and December, 1973.

(Rs. in crores)

Country	Outstanding amount on 31-12-1973 (at the erst-while IMF parity rates)	Interest paid during November 73 (Actuals)	Interest paid during December 73 (Actuals)
Loans Repayable in Foreign Currency Consortium Countries :			
Austria	17·00	..	..
Belgium	13·83	..	0·23
Canada	264·01	0·04	0·07
Denmark	9·65	..	..
France	111·23	0·38	0·76
Fed. Republic of Germany	523·26	..	9·26
Italy	15·80	..	..
Japan	364·05	..	0·69
Netherlands	76·49	..	..
Sweden	24·12	..	..
U. K.	800·98	4·86	0·30
U. S. A.	2400·17	4·21	6·53
I. B. R. D.	233·07	2·05	1·23
U. D. A.	1152·80	1·20	0·23
TOTAL	6006·46	12·74	19·30

Country	Outstanding amount on 31-12-1973 (at the erst-while IMF parity rates)	Interest paid during November 73 (Actuals)	Interest paid during December 73 (Actuals)
Non-Consortium Countries :			
Switzerland	19·42		0·63
Baharain	2·12		..
Quatar .	5·63	..	..
TOTAL .	27·17	..	0·63
Loans Repayable through Export of Goods :			
Czechoslovakia .	41·46		..
Poland .	16·49		..
U. S. S. R.	284·06	..	0·08
Yugoslavia . . .	8·83	..	..
TOTAL .	350·84	..	0·08
Loans Repayable in Rupees :			
Denmark	1·55	..	..
U. S. A. Other than P.L. 480* . . .	201·94	0·22	0·63
U. S. A. P.L. 480*	1493·29	3·31	0·22
TOTAL .	1696·78	3·53	0·85
GRAND TOTAL . .	8081·25	16·27	20·86

*The outstanding balances on these loans as on 18th February 1974 were fully prepaid on 18th February 1974 to the U.S. Government, in pursuance of the agreement on Public Law 480 and other funds between the Government of India and the Government of U. S. A. signed on 18th February, 1974.

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पुस्तकों का निर्यात तथा आयात

4202. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को पुस्तकों के आयात तथा निर्यात का कार्यभार सौंपा जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम को कीमती वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों के आयात का अल्पतम अनुपूरक कार्य सौंपा गया है जिससे इस व्यापार की सप्लाई स्थिति में सुधार हो सके और इस व्यापार में कुछ कदाचारों को दूर किया जा सके। राज्य व्यापार निगम को पुस्तकों के निर्यात का कार्य नहीं सौंपा गया है ।

इण्डियन एयरलाइंस को तालाबंदी के दौरान हुए घाटे को पूरा करना

4203. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलईस को हाल की तालाबंदी के दौरान हुए घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): स्वयं इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी परिचालनात्मक दक्षता में सुधार एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के लिये कई उपाय किये हैं। इन उपा ों के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है ।

इण्डियन एयरलाइंस को उड़ानों में विलम्ब के लिये विमान यात्रियों को मुआवजा देने का प्रस्ताव

4204. **श्री पी० जी० मावलंकर** क्या : **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की अनेक उडानों में प्रतिदिन विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब कितना होता है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस स्थिति में सुधार करने और सब दैनिक उड़ानों को फिर से सामान्य तथा नियमित करने के लिए कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का उन विमान यात्रियों को मुआवजा देने का प्रस्ताव है जिनका अक्सर विमानों के विलम्ब से चलने पर बहुत अधिक समय तथा धन बर्बाद होता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 1 जनवरी से 28 फरवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान कुल 5,143 उड़ानों में से 756 उड़ानों में 30 मिनट से अधिक अवधि के विलम्ब हुए थे, जिसके कारण नीचे दिये गये हैं :—

कारण	विलम्बित उड़ानों की सं०
इंजीनियरी	62
वाणिज्यिक	64
परिचालनात्मक	8
मौसम	101
परिणामी	472
विविध	42
विमन यातायात नियंत्रण	7
	756

(ग) इंडियन एयरलाइंस जहां तक उनका बस चलाता है, उडानों में विलम्ब के अवसरों को यथा संभव सीमा तक कम करने के हर सम्भव उपाय कर रही है ।

(घ) जी, नहीं । किन्तु कारपोरेशने मार्गस्थ केन्द्रों पर उड़ान के रद्द होने अथवा उनमें गड़बड़ होने पर एक रात्रिवास के लिये होटल आवास प्रदान करती है ।

सरकार और कपड़ा उद्योग के बीच मूल्यों और वितरण सम्बन्धा स्वैच्छिक मुल्य नियंत्रण योजना

4205. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और कपडा उद्योग के बिच मूल्यों और वितरण सम्बन्धी स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना पर विचार विमर्श चल रहा है ;

(ख) क्या इस नीति के निर्धारण में उपभोक्ता संगठनों और हथकरघा तथा विद्युतीकरण बुनकरों के संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार और कपड़ा उद्योग के बीच कीमतों और वितरण सम्बन्धी स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन इस उद्योग के कृत्रिम रेशम सैक्टर के बुनकरों में जो प्रमुखतः विकेन्द्रीकृत सैक्टर के हैं और उनमें हथकरघे तथा विद्युत करघे शामिल हैं, और विस्कोस फिलेमेंट यार्न के कत्तिनों के बीच आपस में बातचीत चल रही है जो 31-12-1973 को समाप्त हुए पूर्ववर्ती करार को जारी रखने के लिए हो रही है।

इण्डियन एयरलाईस के लिये उपयुक्त विमान खरीदने के लिए बातचीत

4206. श्री मधु लिमये : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिए उपयुक्त विमान खरीदने के लिए मंत्रालय ने अपनी बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है ;

(ग) क्या रूस भारत पर काफी अरसे से यह दबाव डाल रहा है कि वह इण्डियन एयरलाइंस के लिए रूस से कुछ विमान खरीदे : और

(घ) यदि हां, तो रूसी 'सेल्स ओफेन्सिव' (बिक्री के लिए दबाव) पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पयटन आर नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में किये गये एक प्रस्ताव के अनुसार इण्डियन एयरलाइंस ने लगभग बोइंग 737 की क्षमता के 29 अतिरिक्त विमान प्राप्त करने हैं। वर्तमान इंधन संकट को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन को यातायात प्राक्कलनों तथा परिचालन लागतों आदि का एक सर्वांगीण पुनर्मूल्यांकन करना होगा। तथापि, यातायात की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इण्डियन एयरलाइंस ने तीन बोइंग 737 विमानों का क्रयादेश दे दिया है।

(ग) और (घ) मैसर्स एविया-एक्सपोर्ट ने इण्डियन एयरलाइंस को टी० यू० 154 विमानों की बिक्री की पेशकश की है और कारपोरेशन इस का विस्तृत मूल्यांकन कर रही है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिलों के पुनः पूर्वप्रापणों (रीडिस्काउंटिंग बिल्स) के लिए योजना तैयार करना

4207. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिलों के पुनः पूर्वप्रापण (रीडिस्काउन्टिंग बिल्स) के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कपड़ा उद्योग को इससे सब से अधिक लाभ हुआ है ;

(घ) अन्य उद्योगों को क्या सहायता दी गई है ; और

(ङ) क्या यह सहायता निर्यात के सन्तोषजनक कार्य पर आधारित थी अथवा क्या इस पुनः पूर्वप्रापण (री-डिस्काउन्टिग) सहायता के लिए कोई अन्य शर्त थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, विलम्बित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों और उपकरणों से उत्पन्न हुण्डियों को फिर से भुनाने के लिए अप्रैल, 1965 में एक योजना को शुरू किया था। योजना की मुख्य बातें अनुबन्ध 1 में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--6517/74**]

(ग) और (घ) जी, हां। 31 जनवरी, 1974 तक कपड़ा उद्योग को 11412.55 लाख रुपये की सहायता की मंजूरी दी गयी थी जो योजना के अधीन स्वीकृत 22420.49 लाख रुपये की कुल सहायता का 50.9 प्रतिशत है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और सवितरित सहायता का उद्योगवार वितरण अनुबन्ध II में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०6517/74**]

(ङ) योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता को निर्यात के क्षेत्र में किए गए कार्य से नहीं जोड़ा गया है, फिर भी, देश से बाहर विदेशी कम्पनियों में सामान्य शेयरों के आवंटन के बदले निर्यात के लिए देशी मशीनों की खरीद के वित्त पोषण के लिए भी इस योजना के अधीन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विदेशी हवाई अड्डों पर एयर इण्डिया द्वारा इंधन लेने में कमी करना

4208. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने एयर इण्डिया से अनुरोध किया है कि वे विदेशी हवाई अड्डों से इंधन लेने में यथा सम्भव कमी करे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) बहुत सी विदेशी सरकारों ने कई हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय किमान-कम्पनियों द्वारा इंधन लने पर प्रतिबंध लगाये हैं। एयर इण्डिया द्वारा स्पष्ट विदेशी स्टेशनों पर, बेरूत तथा लंदन को छोड़ कर, अनुमत कोटे उन की सामान्य आवश्यकताओं के लिये आम तौर पर पर्याप्त हैं। परिणामतः एयर इण्डिया ने बेरूत के रास्ते अपनी साप्ताहिक सेवाओं को पांच से घटा कर तीन कर दिया है और उसकी भारत-यू० एस०ए० सेवाओं के लंदन-न्यूयार्क-लंदन सेक्टर को महीने में दो बार रद्द किया जाता है।

भारत ने विदेशी विमानकम्पनियों द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से इंधन लेने पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, नागर विमानन के महानिदेशक ने भारत से लिये जाने वाले ंधन की मात्रा में कमी करने पर सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के साथ एक बैठक की थी। उन से अनुरोध किया गया था कि वे भारतीय हवाई अड्डों से दिसम्बर 1973, जनवरी और फरवरी 1974 की महीनों में पिछले वर्ष के तीन महींनों की मात्रा के मुकाबले में 20% कम विमानन टर्बाइन इंधन लें। विमानन टर्बाइन इंधन के बारे में स्थिति का निरन्तर पुनरालोकन किया जा रहा।

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात से विदेशो मुद्रा की आय

4209. **श्री राम कंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात से कितनी विदेशी मु ा की आय हुई ;

(ख) विभिन्न प्रकार के सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों को नकद और अन्य प्रकार से दिये जा रहे प्रोत्साहनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इन प्रोत्साहनों में अब बहुत अधिक कमी कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इन प्रोत्साहनों में कमी का सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971, 1972 तथा 1973 के वर्षो के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 15.52 करोड़ रु०, 29.32 करोड़ रु० तथा 51.44 करोड़ रु० थी ।

(ख) से (घ) सिले-सिलाए सूती परिधानों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक भत्ते इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई द्वारा दिये जाते हैं और इन्हें वापस नहीं लिया गया है । तथापि, विदेशी बाजारों में निर्यातकों को उपलब्ध मूल्य प्राप्ति में हाल की वृद्धि को देखते हुए परिधानों और साथ ही सूती वस्त्रों की अन्य मदों पर नकद प्रतिपूरक भत्ते को घटाकर 1–10–1973 से लगभग आधा कर दिया गया है । हाल के महीनों के दौरान निर्यातों के रुख से यह संकेत मिलता है कि इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन की नकद सहायता में कमी से हमारे परिधान निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

अन्य प्रोत्साहन विद्यमान स्तरों पर ही दिये जा रहे हैं ।

चाय का निर्यात

4210. **श्री राम कंवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी चाय निर्यात की जा रही है ; और

(ख) क्या विभिन्न देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने की कोई योजनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल-अक्तूबर 1973 के दौरान 1001.5 लाख कि०ग्रा० चाय का निर्यात हुआ जब कि अप्रैल-अक्तूबर 1972 के दौरान 1229.6 लाख कि०ग्रा० चाय का निर्यात हुआ था ।

(ख) चाय का निर्यात बढाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं / उठाने का विचार है :––

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क का हटाया जाना ।

(2) 15 अप्रैल, 1970 से निर्यात के समय कीमत के अनुसार उत्पादन शुल्क में विविधरूपी छूट ।

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की अधिक संभाव्यता बढ़ाने के लिए लंदन, न्यूयार्क, ब्रूसेल्स, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यवाहियां करना ।

(4) स्थानीय ब्लैंडरों/पैकरों के सहयोग से चुने हुए विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ।

(5) विदेशों में उपयुक्त प्रचार साधनों के माध्यमों से विज्ञापन ।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(7) भारतीय चाय के हित को बढाने के लिए व्यापारियों तथा विशेषज्ञों के दौरों का आदान प्रदान ।

(8) पैकटों में बंद तथा ब्लैंडिड चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना करना ।

(9) अन्य हलके पेय पदार्थों के साथ-साथ एक पेय पदार्थ के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिए आयातक देशों में अन्य चाय उत्पादन करने वाले देशों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिल कर सामान्य संवर्धन में भाग लेना ।

पी० एल०–480 करार के अन्तर्गत अमरीका को निर्यात

4211. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने उन वस्तुओं की सूची भेजी है जिन्हें वह गत दिसम्बर में हुए पी०एल०-480 करार के अन्तर्गत भारत से मंगाना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो तैयार उत्पादों सहित इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी वस्तुओं को इस सूची से निकालने के लिये जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, सूची की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण भारत से चाय के निर्यात में गिरावट

4212. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में दक्षिण भारत से चाय के निर्यात में पहले वर्षों की तुलना में काफी गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दक्षिण भारत से चाय के निर्यातों में 18.4 लाख कि०ग्रा० की मामूली सी गिरावट आई और वे 1972 में 437.8 लाख कि०ग्रा० से गिर कर 1973 में 419.4 लाख कि०ग्रा० हो गए । गिरावट का मुख्य कारण कोचीन पत्तन श्रमिक में विवाद है ।

भारत–युगोस्लाविया द्वारा अन्य तीसरे देशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना

4213. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत तथा युगोस्लाविया द्वारा अन्य तीसरे देशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रयास आरम्भ कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत और युगोस्लाविया पारस्परिक सहयोग द्वारा तीसरे देशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए सहमत हुए हैं । कार्य क्षेत्रों का पता लगाने और सुनिश्चित क्षेत्रों तथा परियोजनाओं की जांच करने के कार्य के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था अपेक्षित थी । दोनों सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ तीसरे देशों में आर्थिक सहयोग संबंधी एक उप-समिति स्थापित करने का विनिश्चय कर लिया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को घाटा

4214. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनको इस समय घाटा हो रहा है तथा वे अपना घाटा कब तक पूरा कर लेंगे ; और

(ख) उनको घाटा होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वर्ष 1972 के अन्त तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को हानि नहीं हुई। बैंकों के वर्ष 1973 के खातों को, जो 31–12–73 को बंद किये गये थे, अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए, इस समय उनके कार्य-परिणामों के बारे में बताना कठिन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थापित किए गए औद्योगिक संयुक्त उपक्रम

4215. श्री मूलचन्द डागा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में कुल कितने औद्योगिक संयुक्त उपक्रम स्थापित किये गये; और

(ख) उन उद्योगों के नाम तथा संख्या क्या है जिन्होंने उत्पादन चालू कर दिया है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 56 प्रस्थापनाएं अनुमोदित की गई थीं।

(ख) अनुमोदित की गई 56 प्रस्थापनाओं में से 9 ने उत्पादन शुरू कर दिया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय सहयोगी	देश का नाम
1	वस्त्र . . .	मैसर्स आरके ग्रुप, बम्बई	मारिशस
2	टाइम तथा आटोमोबाइल चेनें .	मैसर्स एल०जी० बालकृष्णन् एंड ब्रदर्स, कोयम्बटूर	मलेशिया
3	साइकिल तथा औद्योगिक चेनें .	मैसर्स मुरूगप्पा एंड संस, मद्रास	,,
4	अंगराग तथा भेषजीय पदार्थ .	मैसर्स सिपला, बम्बई	,,
5	ताड़ तेल प्रभाजक संयंत्र .	मैसर्स बरार आयल इंडस्ट्रीज, बंबई	,,
6	स्टील फाउन्डरी . .	मैसर्स मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील बम्बई	,,
7	आटा मिल . . .	मैसर्स वैलेस फ्लोर मिल्स	फिजी
8	बिल्डर्स हार्डवेयर .	मैसर्स हिन्दुस्तान टूल इण्डस्टीज. बम्बई	यमन अरब गणराज्य
9	जलपान गृह . .	मैसर्स घई लाम्बा कैटरिंग कंसल्टेन्टस (प्रा० लि०)	संयुक्त राज्य अमरीका

एशिया '72 पर हुआ व्यय तथा उससे हुई आय

4216. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया '72 पर वास्तव में कुल कितना व्यय हुआ तथा उससे कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) क्या एशिया '72 के कारण विदेशों से कुछ वस्तुओं की सप्लाई के लिए आर्डर मिले और यदि हां तो किन-किन देशों से और कितनी-कितनी धनराशि की कौन-कौन सी वस्तुएं मंगाने के लिए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 28 फरवरी, 1974 तक एशिया 72 पर हुआ कुल व्यय 8.19 करोड़ रु० तथा उससे हुई कुल आय 2.23 करोड़ रु० तथा स्थायी परिसंपत्तियां लगभग 6.00 करोड़ रु० मूल्य की हैं ।

(ख) जी हां । एशिया '72 के दौरान सम्पन्न किए गए निर्यात क्रयादेशों का एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–6518/74।]**

पांचवीं योजना में राणकपुर पर्यटक केन्द्र (राजस्थान) के विकास का प्रस्ताव

4217. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला पाली, राजस्थान में राणकपुर नामक एक पर्यटक केन्द्र है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजनावधि में इसका विकास करने का है ; और

(ग) क्या वहां पर यात्रियों के लिए कोई शानदार होटल निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जिला पाली में राणकपुर में एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर स्तित है ।

(ख) पर्यटन विभाग राणकपुर में पहले ही बिजली की लाइन बिछाने के लिये 0.85 लाख रुपये का व्यय कर चुका है ।

(ग) राणकपुर में सरकारी क्षेत्र में फिलहाल किसी पर्यटक होटल की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रद्दी सूत के निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

4218. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी सूत के निर्यातक सप्लाई में अत्यधिक कमी और उसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण अपनी पहले की गई वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर पा रहे ;

(ख) क्या बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के कारण रद्दी के उत्पादन तथा मंडियों में आमद में गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को मृदु रद्दी सूत के निर्यात को प्रोत्साहन देने के विचार से इस पर निर्यात शुल्क घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस प्रकार की किसी कठिनाई की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) वेस्ट के उत्पादन और उस की आवक में कमी सामान्यत: कपड़ा मिलों की हड़ताल की अवधि में चलेगी ।

(ग) चूंकि यार्न के उत्पादन से सम्बन्धित स्वदेशी और निर्यात दोनों की जरूरतों के लिए काटन वेस्ट अपेक्षित है, अत: सरकार साफ्ट वेस्ट पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कमी जरूरी नहीं समझती ।

मध्य प्रदेश में व्यापारिक फर्मों द्वारा कपास उत्पादकों को ठगना

4219. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विशेष रूप से पेधुर्ना और बुरहानपुर की कुछ व्यापारिक फर्मों, जिन्होंने कपास के लिए 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य देने की पेशकश की थी, ने उत्पादकों को केवल अग्रिम किश्तें ही दी और ठेका की गई कपास की पूरी मात्रा को प्राप्त करने के बाद ये फर्में ला पता हो गयीं; और

(ख) क्या इन व्यापारिक-फर्मों का अब अता-पता नहीं हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम के कपड़ों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाना

4220. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेशम के कपड़ों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री कर की भेदात्मक दरों का, विशेष रूप से दिल्ली में निम्न दरों का अन्य राज्यों के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है और व्यापार व्यपवर्तित हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विक्रय-कर और राज्य अबकारी शुल्क की 4 क्षेत्रीय परिषदों की हाल में हुई संयुक्त बठक में रेशमी कपड़ पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया था । परंतु, इस मामले में कोई सामान्य एकमत नहीं था । आरंभ में 1961 में जो अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया था उसको 1965 में हटा दिया गया क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत कम था और साथ ही बड़ी संख्या में छोट छोट विद्युत करघा कारखानों पर नियंत्रण में प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो गयी थीं ।

(ख) जी नहीं । रेशमी कपड़े के व्यापार में बहुत बड़ा भाग हथकरघा रेशमी कपड़े का है जिस पर विक्रय कर की दर, हरियाणा को छोड़ कर, अन्य पड़ौसी राज्यों के मुकाबिले में दिल्ली में कम नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

मेवा का आयात

4221. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुस्थापित आयात गृहों द्वारा मेवा का आयात उनके सर्वोत्तम वर्ष के आयातों के 20 प्रतिशत तक आयात कर सकने तथा साथ ही साथ नये आयात कर्त्ताओं में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 25,000 रुपयों के मूल्य की मेवा का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या अफगानिस्तान में नियमित बैंककारी सुविधाओं के अभाव में आयातकर्ताओं को मेवा अथवा हींग की समस्त खरीद का अफगानिस्तान के निर्यातकर्ताओं को नकद भुगतान करना पड़ता है तथा यह कार्य वे गैर-सरकारी बाजार से अफगानिस्तान की मुद्रा खरीद कर सकते हैं जहां विनिमय की दर में काफी उतार-चढ़ाव रहत है, और यदि हां, तो इन परिस्थितियों में व्यापारियों को सरकार का विचार क्या सुविधायें देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष के दौरान मेवों के आयातों के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी नहीं है। पहले सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य को ही 'अनुमोदित आयातकों' के मामले में 'सर्वोत्तम वर्ष' के आयातों के 25 प्रतिशत तक और 'नये आयातकों' के मामले में 25000 रु० तक सीमित रखा गया है। लेकिन यदि 'अनुमोदित आयातक' को 'नये आयातक' वर्ग में सीमा शुल्क निकासी परमिट का दावा फायदेमंद लगता हो तो उसे इस प्रकार का दावा करने की छूट है लेकिन शर्त यह है कि वह 'अनुमोदित आयातक' के रूप में भी दावा नहीं करेगा।

(ख) दोनों सरकारों के बीच जिस व्यापार व्यवस्था पर आपसी सहमति हुई है उसके अनुसार अफगानिस्तान से किये गये मेवों और हींग आदि के आयातों का भुगतान उतने ही मूल्य के भारतीय सामान का निर्यात करके किया जाता है।

वस्त्र उत्पादन और निर्यात

4222. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी हां।

Use of Imported Cars by Ministers

4223. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of the Ministers using imported cars ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The following Ministers continue to use the imported cars which had been placed at their disposal earlier :

1. Shri Fakhrudin Ali Ahmed, Minister of Food & Agriculture.
2. Shri Y. B. Chavan, Minister of Finance.
3. Shri R. K. Khadilkar, Minister of Supply & Rehabilitation.
4. Shri Arvind Netam, Deputy Minister of Social Welfare.

It has been the policy of the Government to progressively reduce the use of imported staff cars, consistently with the demands of protocol and similar considerations. Instructions have been issued recently that except in the case of Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and India Tourism Development Corporation, in future, when any imported car becomes due for replacement it should be replaced by a car manufactured in India.

भारतीय पटसन निगम द्वारा कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में विपणन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

4224. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूच बिहार और जलपाइगुड़ी के जिलों में भारतीय पटसन निगम द्वारा कितने कार्यालय खोले गए हैं ;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम का विचार वर्ष 1974 में इन दो जिलों में और अधिक विपणन केन्द्र को खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दो जिलों में से प्रत्येक में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके वेतनमान, अर्हतायें तथा अनुभव क्या हैं तथा इनमें से कितने कर्मचारी कूच बिहार तथा जलपाइगुड़ी जिलों के हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० ०ि जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय जूट निगम के कार्यालय में नियुक्तियां

4225. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारतीय जूट निगम के कार्यालय में की गई नियुक्तियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाही की गई है ;

(ख) भारतीय जूट निगम के कलकत्ता स्थित मुख्यालय में विभिन्न वर्गों के कुल कितने कर्मचारी हैं, उनकी अर्हतायें क्या हैं और वे किस ढंग से नियुक्त किए गए हैं ;

(ग) कलकत्ता में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी हैं ; इसके कुल कितने एकक हैं और उनमें भर्ती का क्या ढंग है ; और

(घ) क्या नियुक्तियों में कृषकों और जूट उत्पादन परिवारों के शिक्षित व्यक्तियों के नामों पर समुचित विचार नहीं किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) 31-1-1974 को भारतीय पटसन निगम के मुख्यालय में 190 कर्मचारी थे (अधिकारी : 30 तथा स्टाफ : 160) उन्हें भर्ती की स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्त किया गया है तथा उनके पास पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं हैं ।

(ग) 31-1-1974 को कलकत्ता के बाहर भारतीय पटसन निगम के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 195 कर्मचारी थे तथा 30 डी पी सी में 150 कर्मचारी थे । उन्हें भर्ती की स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार भर्ती किया गया था ।

(घ) सभी आवेदकों के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया था ।

भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने का प्रस्ताव

4226. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने, निगम की असफलताओं के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराने और अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय पटसन निगम के कार्य-निष्पादन का पुर्नविलोकन बोर्ड स्तर पर तथा सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। चूंकि निगम स्थापना के दौर में है, अत: कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां सामने आई हैं और इसलिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य

4227. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा निर्धारित किये गये पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य से भी कम है और सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों की तुलना में भी वे बहुत कम रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्यों पर पुनर्विचार करने और न्यूनतम मूल्यों को अधिक लाभप्रद बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कृषि कीमत आयोग ने अपनी सिफारिशें करने से पूर्व सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखा और उसकी सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष के लिए आसाम बाटम किस्म की पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत 125 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित की गई थी। तथापि भारतीय पटसन निगम को निदेश दिया गया है कि अपनी कार्यवाही इस प्रकार करे कि कलकत्ता में आसाम बाटम किस्म के लिए औसतन कीमत 157.68 रुपये प्रति क्विटल सुनिश्चित हो जाये ।

(ख) तथा (ग) कृषि कीमत आयोग सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर इस समय आगामी मौसम के दौरान पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत के निर्धारण के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

तम्बाकू विकास बोर्ड द्वारा तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू की खरीद

4228. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों के कुल उत्पादन की खरीद करने के लिये और देश भर में तम्बाकू के लाभकारी मूल्य पेश करने के लिये एक तम्बाकू विकास बोर्ड अथवा निगम का गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) सरकार विभिन्न राज सहायता प्राप्त योजनाओं से पश्चिम बंगाल तथा आसाम के तम्बाकू उत्पादकों को बाहर रखने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी तथा पश्चिम बंगाल को राज सहायता प्राप्त योजनाओं तथा अन्य उपायों को पेशकश करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक सांविधिक तम्बाकू बोर्ड की स्थापना किये जाने का विचार है और बोर्ड के कार्य भी दर्शाते हुए आवश्यक विधान शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा ;

(ख) तथा (ग) सिगार रैपर तम्बाकू के विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना को, जसके अंतर्गत तम्बाकू सुखाने के आगार-सह-स्टोरेज कमरों का निर्माण करने, पौधों, कीटनाशक दवाओं और धूनी देने के लिए उपदान दिये जाने की व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा है। चूंकि तम्बाकू के विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना अंतर्गत प्रदान किये जा रहे उपदान निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हैं, अत: इस आसाम के बारे में लागू नहीं किया गया है जहां इस किस्म की पैदावार नहीं की जाती है।

न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया का बैंक आफ बड़ौदा में विलय

4229. श्री शंकर राव सावंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया का अप्रैल, 1961 में बैंक आफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था; और

(ख) खाते दारों की जमा राशि और उस पर ब्याज की कितनी प्रतिशत राशि तथा न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया के शेयरों की कीमत की कितनी प्रतिशत राशि बैंक आफ इण्डिया द्वारा अदा की गई है और कब अदा की गई है ;

(ग) इन दोनों 'श्रेणियों' के ऋणदाताओं को पूरी अदायगी कब की जाएगी ; और

(घ) विलय के समय न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया की आस्तियों और देनदारियों की कुल कीमत कितनी थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि एकीकरण के समय एकत्रित हानियों को निकाल कर परिसम्पत्तियों का शुद्ध पुस्तक मूल्य 288.9 लाख रुपये था जबकि बाहर की कुल देनदारियां 293.89 लाख रुपये और चुकता शेयर पूंजी 16.16 लाख रुपये थी। जब से एकीकरण की योजना चालू हुई है तब से लेकर बैंक आफ बड़ौदा द्वारा न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया के जमाकर्ताओं को यथा अनुपात की गयी अदायगी (जिसमें 250 रुपये की प्रारम्भिक अधिमान्य अदायगी शामिल नहीं है) 79.19 प्रतिशत है ।

जमा रकमों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया गया क्योंकि एकीकरण योजना के अन्तर्गत ब्याज देय नहीं है ।

न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया के शेयर धारकों को कोई अदायगी करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बैंक के जमाकर्ताओं को पूरी रकम अदा नहीं की गयी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यय में वृद्धि

4230. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया में निम्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी कितनी राशि व्यय की गई ;

(क) (एक) कर्मचारियों का वेतन; (दो) समयोपरि काम के लिए भुगतान; और (तीन) अन्य भत्तों के रूप में भुगतान ;

(ख) राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व के दो वर्षों में इनमें से प्रत्येक बैंक में उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) समयोपरि काम के भत्ते के भुगतान में भारी वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) समयोपरि भत्ते के रूप में बढ़ते हुए व्यय पर रोक लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकों से 1967, 1968, 1971 और 1972 के वर्षों के सम्बन्ध में जो सूचना मिली है वह संलग्न विवरण में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–6519/74**]

(ग) और (घ) बैंकों ने समयोपरि भत्ता दिये जाने के बारे में जो कारण बताए हैं वे मुख्यतः ये हैं :–

(1) काम की रफ्तार की वृद्धि के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि न होना क्योंकि भरती के बारे में औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी समय लग जाता है ;

(2) कुछ किस्म से काम का खास खास दिनों में ही होना ;

(3) काम की गति समान न होना तथा प्रत्येक दिन का काम उसी दिन पूरा करना;

(4) असाधारण रूप से कर्मचारियों का अनुपस्थित होना ;

(5) कर्मचारियों द्वारा काम के समय आन्दोलन किया जाना ;

(6) कर्मचारियों द्वारा सहयोग न किया जाना ;

(7) नियुक्त किये गये नये कर्मचारियों को काम में निपुणता प्राप्त करने में समय लगना ; और

(8) कर्मचारियों द्वारा यह जिद करना कि वे कुछ खास किस्म का काम तभी करेंगे जब उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जायगा।

बैंकों ने आम तौरपर यह सूचना दी है कि यद्यपि उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे समयोपरि भत्ता देना बिल्कुल बन्द कर दें, फिर भी उन्होंने समयोपरि काम पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कई उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :--काम की देखरेख ज्यादा सख्ती से करना, प्रत्येक कार्यालय तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिए समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, कार्य का वितरण समान रूप से करना और जिन शाखाओं में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो उनमें उनकी व्यवस्था करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर प्रभाव

4231. श्री शंकर राव सावंत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट किस प्रकार का है और उसके क्या परिणाम होंगे ;

(ख) इस संकट के कारण हमारी मुद्रा प्रणाली पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय संकट के दुष्प्रभावों से हमारे हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) अगस्त 1971 में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा डालर को सोने में बदले जाने को बन्द कर दिये जाने के बाद विनिमय दरों की व्यवस्थित प्रणाली में, जो ब्रिटेन वुड प्रणाली के अधीन प्रचलित थी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में अनिश्चितता आ गयी जिससे विनिमय दरों में बार बार परिवर्तन होने लगा और अल्पकालीन राशियों में सिट्टे बाजी की किस्म का भारी फेर बदल होने लगा। इस समय विश्व की मुख्य मद्राएं विनिमय दरों से मुक्त हैं क्योंकि घटबढ़ के मार्जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सहमति प्राप्त सीमाओं की अनुपस्थिति में उन मुद्राओं की विनियम दरों में अनिश्चितताएं आ जाती है ।

(ख) और (ग) भारत ने 18.9677 रुपये प्रति पौण्ड स्टर्लिंग की केन्द्रीय दर निर्धारित की है और स्टर्लिंग के सम्बन्ध में लेनदेन उन दरों पर किये जाते हैं जो केन्द्रीय दर से 2.25 प्रतिशत अधिक या कम के अनुमत मार्जिन के अन्तर्गत होती ह। परन्तु पौण्ड स्टर्लिंग से भिन्न मुद्राओं के लिए विनिमय दरों में घटबढ़ होती रहती है जो पौण्ड स्टर्लिंग के रूप में उनकी क्रास दरों पर निर्भर करती है। दिसम्बर, 1971 से निर्धारित केन्द्रीय दर के अपनाये जाने से, विदेशी मुद्रा के उस भाग को अलग कर के, जिस का मूल्य पौण्ड स्टर्लिंग के रूप में निर्धारित किया जाता है, विनिमय दर के प्रभाव को न्यूनतम करने में सहायता मिली है। मुद्रा बाजारों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के लिए विमानों का चयन

4232. श्री शंकर राव सावन्त :

श्री पी० ए० सामीनाथन् :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस दोनों को ही अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता है और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) क्या खरीदने के लिये विमानों का चयन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस चयन के क्या परिणाम रहे ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित प्रस्तावों के अनुसार एयर इण्डिया तीन चौड़े ढाँचे वाले अवध्वानिक (वाइड-बाडिड सब-सानिक) विमान और इंडियन एयरलाइंस बोइंग–737 के समान क्षमता वाले 29 अतिरिक्त विमान प्राप्त करेंगे। वर्तमान इंधन संकट को दृष्टि में रखते हुये दोनों कारपोरेशनों के लिये यातायात अनुमानों एवं परिचालन लागतों आदि का पूर्ण रूप से पूनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। तथापि यातायात सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इंडियन एयरलाइंस ने तीन बोइंग –737 विमानों के लिये क्रयादेश दे रखे हैं।

Submission of Report by Textile Commissioner

4234. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 385 on the 7th December, 1973 regarding earning of Rupees sixty lakhs illegally by a cloth mill of Gwalior and state :

(a) whether the report of the Textile Commissioner has since been received by Government ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) It has come to light that 40 bales of cloth "thans" for export to U. K., which were in yard fold pieces, were diverted to internal market as export rejects. By oversight, the conversion of length from yards into metres was overlooked while stamping the cloth for sale in the internal market. When the mistak came to the notice of the mill authorities, they took suitable measures, on their own, to refund the overpayment received by them. The total amount involved was Rs. 8,000 only and has already been refunded to the parties concerned.

Provision of know-how by M/s. J. K. Synthetics to Federal Republic of Germany

4235. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5794 on the 21st December, 1973 regarding provision of know-how by M/s. J. K. Synthetics to Federal Republic of Germany and state :

(a) whether information has since been collected ;

(b) if so, the broad features thereof ; and

(c) the date on which Government permitted Messrs J. K. Synthetics to export Ethylene Glycol know-how to German Democratic Republic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) M/s. J. K. Synthetics supplied Glycol recovery plant to West Germany for a total value of D. M. 247,000 being the price of the equipment and engineering including process description, PI-diagram, drawings, etc. The company have stated that the total price of D. M. 247,000 has been fully realised by them.

चांदी की चादरों का निर्यात

4236. श्री निहार लास्कर :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी के पासे, चांदी की चादरों और चांदी की प्लेटों का निर्यात करने का निर्णय तभी लिया गया था जब विश्व बाजार में चांदी के मूल्य बढ़ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने लाइसेंस जारीं किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) जी, हां ।

(ख) इसकी मात्रा के बारे में इस समय कोई अनुमान लगाना कठिन होगा ।

(ग) चांदी के निर्यात की सामान्य अनुमति निर्यात व्यापार नियंत्रण के अधीन दी गयी है । निर्यात करने के लिए, बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को वापस देश में लाये जाने की सामान्य शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा । चांदी के निर्यात के लिए किन्हीं विशेष लाइसेंसों की जरूरत नहीं होती ।

औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र द्वारा अर्जित व्यापार लाभ

4237. श्री निहार लास्कर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र की स्थापना के बाद से अब तक काफी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में इससे कितना व्यापार-लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र का विचार निर्यातक निर्माताओं को दुर्लभ आयातित कच्चा माल सप्लाई करने का है जिससे वे अपने निर्यात के प्रयासों को सुदृढ़ बना सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर, 1973) में 23.3 लाख रु० ।

(ग) जी हां ।

भारत में 14 नवम्बर, 1974 से होनेवाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

4238. श्री निहार लास्कर :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 14 नवम्बर, 1974 से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन-कौन से देशों के भाग लिये जाने की आशा है ; और

(ख) क्या इस बारे में पूरी व्यवस्था कर ली गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विश्व के उन सभी देशों को आमंत्रण पत्र भेज दिये गए हैं, जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं। अब तक बल्गारिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी, इराक, इटली, पोलैंड, रुमानिया, चैकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया ने मेले में भाग लेने संबंधी विनिश्चय सूचना दी है। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, अल्जीरिया और जापान मेले में भाग लेने के संबंध में मेला संगठन के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं। अन्य देशों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) मूलभूत अवस्थापना, जिसमें सड़कें, सेवाएं तथा उपयोगी व्यवस्थाएं शामिल हैं, पहले ही मेला स्थल पर विद्यमान हैं। भाग लेने वालों की किसी भी विशेष प्रकार की आवश्यकता के बारे में गुणावगुण आधार पर विचार किया जाएगा।

वर्ष 1972–73 के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

4239. श्री आर० एन० बर्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1972–73 में और जनवरी, 1974 तक देश से हुए हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के देशवार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि 1972–73 और अप्रैल 73 से जनवरी 74 तक रत्न तथा आभूषणों की वस्तुएं छोड़कर हस्तशिल्प की वस्तुओं के कुल निर्यात क्रमशः 5180.73 लाख रु० तथा 4534.52 लाख रु० मूल्य के हुए।

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं :

(1) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों पर आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है।

(2) उत्पादन के लिए प्रयोग किये गये आयातित कच्चे माल तथा संघटकों पर शुल्क की वापसी की व्यवस्था है।

(3) यदि माल भारतीय ध्वज वाले जहाज से भेजा जाता है तो हाथ से बुने हुए उनी कालीनों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात पर माल के एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत अथवा एक रुपया प्रति किलो, जो भी कम हो, की दर पर जहाज भाड़ा उपदान की अनुमति दी जाती है।

(4) उन कालीनों के निर्यात पर जिनका एफ०ओ०बी० मूल्य 150 रुपये और उससे अधिक प्रति वर्ग मीटर है, एफ०ओ०बी०मूल्य के 10 प्रतिशत के हिसाब से नकद सहायता दी जाती है।

(5) हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात गैर-परम्परागत वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण के जरिए निर्यातकों को विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(6) विदेशों में बाजार अवस्थाओं के अध्ययन के लिए बिक्री-सह-अध्ययन दल विदेश भेजे जाते हैं।

(7) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रदर्शन।

इण्डियन एयरलाइंस के जमीन पर काम करने वाले और विमान चलाने वाले कर्मचारियों को वार्षिक आय की तुलना में मजूरी तथा समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना

4240. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को वर्ष 1973 में समयोपरि भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइंस के ज़मीन पर काम करने वाले और विमान चलाने वाले कर्मचारियों की देश में उड़ानों से होने वाली वार्षिक आय के अनुरूप मजूरी का भुगतान किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 1—1—1973 से 31—12—1973 तक की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते अतिरिक्त उड़ान वेतन तथा छुट्टी वेतन के रूप में 347 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे का कारपोरेशन के वार्षिक राजस्व से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

बरास्ता मद्रास पोर्ट ब्लेयर के लिये इण्डियन एयरलाइंस सेवा

4241. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइंस सेवा सुविधा को बरास्ता मद्रास मार्ग पोर्ट ब्लेयर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या कोई परीक्षण उड़ानें की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Advancing of Loans by L. I. C. to Narmada Water Project

4242. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Loan, the Life Insurance Corporation has agreed to advance for the Narmada Water Project in Indore ; and

(b) the broad features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Dr. Sushila Rohatgi) : (a) and (b) The L. I. C. has indicated to the State Government that a loan not exceeding Rs. 7 crores could be considered for the Indore Water Supply Scheme after a thorough examination of all aspects of the project. Further details are awaited by L. I. C.

इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

4243. **श्री रानेन सेन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधकों ने कर्मचारियों को 23 नवम्बर, 1973 तक देय वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तालाबंदी की अवधि का कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जो कर्मचारी कार्य पर वापिस आ गये हैं उन्हें 23-11-73 तक का वेतन दिया जा चुका है। अन्य कर्मचारियों का भी वेतन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर कर्मचारी तालाबन्दी की अवधि के दौरान का वेतन पाने के हकदार नहीं हैं।

लौह अयस्क की सप्लाई के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये गये आर्डर

4244. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतियोगी मूल्यों पर लौह अयस्क की सप्लाई के लिय खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विभिन्न देशों से प्राप्त हुए आर्डरों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान को लौह अयस्क की सप्लाई के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई दीर्घ तथा अल्पावधि संविदाओं के अलावा विभिन्न ग्रेडों के 16 लाख टन लोह अयस्क को सप्लाई के लिए क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं जिसका पोतलदान सितम्बर 1973 से मई, 1975 के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों को किया जायेगा। 1974 के दौरान 4 लाख मे० टन की वैकल्पिक मात्रा सहित लगभग 30 लाख मे० टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिए भी बल्गारिया तथा रूमानिया से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इन संविदाओं में निर्यात कीमतें गत वर्ष प्राप्त की गई तत्संबंधी कीमतों से अयस्क के ग्रेड के 3 अनुसार 27 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक हैं।

Working Group on Beautification of Places Nearby to Agra, Fatehpur Sikri and Jaipur

4245. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a working group has been constituted for undertaking the work of beautification of the places nearby to Agra, Fatehpur Sikri and Jaipur ; and

(b) if so, the expenditure involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) In the discussions held with the representatives of the Governments of Rajasthan and Uttar Pradesh about improving the environment of monuments in the Agra-Fatehpur Sikri-Bharatpur-Deeg area and in Jaipur, it was suggested to them to formulate comprehensive proposals for the consideration of a Task Force to be set up under the Director General of Tourism. The expenditure on the improvements of these centres will be determined after the schemes have been finalised by the Task Force, which will also assign responsibilities to various agencies concerned for implementing the schemes.

सूती और ऊनी कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

4246. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन से आगामी पांच वर्षों में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने की समस्या का मूल्यांकन के लिये सरकारी तंत्र का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस उद्योग की इस समस्या की जांच के लिये सरकार स्वयं अपनी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन को परामर्श दिया गया था कि वह अपनी घटक मिलों से आगामी पांच वर्षों के लिए अपने आधुनिकीकरण कायक्रम तैयार करने के लिए कहे और वस्त्र आयुक्त को सूचित करे तांकि सरकार पांचवीं योजना अवधि में आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का वास्तविक अनुमान लगा सके।

(ख) जहां तक सरकार के प्रबंध वाली मिलों का संबंध है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकताओं का अनुमान पहले ही लगा दिया हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाना

4247. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस उद्योग ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये सरकार ने कितनी धनराशि दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात से क्रमशः 109.36 करोड़ रु०, 150.09 करोड़ रु० तथा 195 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ग) उन मिलों को छोड़कर जिनका प्रबंध सरकार के अधीन है उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वित्त व्यवस्था उद्योग के आन्तरिक स्रोतों तथा उपलब्ध संस्थागत वित्त-व्यवस्था से करनी होती है और इसलिए सरकार द्वारा इसे सीधे अंशदान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

31–10–1973 को भारत में सूती वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है :

क्रमांक	राज्य	मिलों की संख्या		
		कताई	मिश्रीत	योग
1	आंध्र प्रदेश	30	3	33
2	आसाम	2	—	2
3	बिहार	4	1	5

क्रमांक	राज्य	मिलों की संख्या		
		कताई	मिश्रीत	योग
4	गुजरात	27	90	117
5	हरियाणा	9	2	11
6	जम्मू तथा कश्मीर	1	—	1
7	कर्नाटक	19	11	30
8	केरल	23	5	28
9	मध्य प्रदेश	6	17	23
10	महाराष्ट्र	28	79	107
11	उड़ीसा	4	1	5
12	पंजाब	6	2	8
13	राजस्थान	10	11	21
14	तमिलनाडु	188	24	212
15	उत्तर प्रदेश	18	16	34
16	पश्चिम बंगाल	22	18	40
17	दिल्ली	—	4	4
18	पांडिचेरी	2	3	5
19	गोआ	1	—	1
	योग .	400	287	687

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

4248. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात लाइसेंसों के दुरूपयोग से संबंधित अपराधों के लिय दण्ड की व्यवस्था करने के लिये कानून में कोई संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में आयात लाइसेंसों के दुरूपयोग के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी प्रस्थापना है कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किए गए आदेशो में दण्ड संबंधी जो उपबंध हैं जिनके अतिरिक्त निर्यात व्यापार प्राधिकारियों को, ऐसे मामलों में फैसला सुनाने की शक्तियां दी जायें जहां आयात लाइसेंस के दुरुपयोग की बात सिद्ध गई हो। यह प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ख) 1154 ।

(ग) निर्दिष्ट अवधियों के लिए आयात लाइसेंसों/आयातित माल के लेने/आवंटनों से वंचित करके आयात नियंत्रण आदेश के अधीन कार्यवाही की गई है। इसके अलावा कतिपय मामलों में अभियोग चलाया गया है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के इन्सपैक्टरों द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का निरीक्षण

4249. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के इंस्पैक्टरों ने तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया ने भी 1973 में स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का निरीक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं और जालसाजियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने 1973 के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1972 को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थिति के विशेष संदर्भ में इस बैंक का निरीक्षण किया था। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है और जल्दी ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। निरीक्षण की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को पहले ही कुछ कमियों को दूर करने के लिए जोरदार और प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गयी है। और बैंक इस संबंध में पहले ही कार्यवाही कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि जहां तक धोखाधड़ी का संबंध है, बैंक ने स्वयंही रुपये वसूल करने के लिए अथवा सभी माम्लों में, गड़बड़ करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाहीं करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि उसने भी 1972 के अन्तिम भाग से 1973 की आरम्भिक अवधि तक निरीक्षण किया था और रिपोर्ट में बतलाई गई अनियमितताएं मुख्यतया, क्रियाविधि संबंधी हैं और उनको सुधारने के लिए कदम उठाये गए हैं। स्टैट बैंक के अनुसार, यद्यपि निरीक्षण रिपोर्ट में कोई भी जालसाजी का मामला नहीं दिया गया है तथापि कुछ धोखाधड़ी के कुछ मामले दिए गए हैं। स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को इनकी पहले से जानकारी थी और वह उन पर पहले ही कार्यवाही कर चुका था।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सतकर्ता अधिकारी द्वारा दिल्ली की स्थानीय शाखाओं के कार्यकरण की जांच करना।

4250. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सतकर्ता अधिकारी ने 1973 में दिल्ली स्थित स्थानीय शाखाओं तथा सरकारी लेखा सेक्शन के कार्यकरण की जांच की थी ; और

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर ने यह सूचित किया है कि इसके मुख्य सतकर्ता अधिकारी ने बैंक के सरकारी लेखा अनुभाग और नई दिल्ली शाखा में लेखन सामग्री की खरीद के संबंध में और बैंक की नई दिल्ली स्थित न्यू रोहतक शाखा द्वारा लघु औद्योगिक एककों को स्वीकृत कुछ अग्रिमों के संबंध में की गयी अनियमितताओं के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच कर ली है। बैंक के अनुसार उसकी रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां की हैं और इस सम्बन्ध में बैंक आगे की कार्रवाई के बारे में जांच कर रहा है।

नई पटसन मिलों की स्थापना

4251. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय युवा उद्यमकर्ता संगठन ने घरेलू खपत तथा निर्यात के लिये क्षमता बनाने के बारे में नई पटसन मिलों की, विशेष रूप से पत्तनों पर, स्थापना करने पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विभिन्न संगठनों द्वारा नई पटसन मिलें स्थापित करने के लिए सुझाव दिये गये हैं और फिलहाल मरम्मत करके आधुनिकीकरण के पश्चात् वर्तमान पटसन मिलों की जो क्षमता है तथा जो स्थापित की जा रही है, वह अनुमानित मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

पटसन उत्पादकों के हितोंकी देखभाल करने के लिये गठित की गई समिति का गठन तथा उसके कृत्य

4252. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादकों के हितों की देखरेख करने और रेशा (फाइबर) व्यापार के सुचारू कार्यकरण के लिये सुझाव देने के बारे में सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन से हैं और इसके कृत्य क्या हैं ; और

(ग) इसका प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) समिति में पटसन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में और वाणिज्य, वित्त तथा कृषि व सहकारिता के केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का प्रतिनिधि और भारतीय पटसन निगम के दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल थे । समिति का कार्य कच्चे पटसन के विपणन की समस्याओं की जांच करना और आगामी मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम के खरीद कार्यों के लिए नीति तयार करना था ।

(ग) समिति ने अपना प्रतिवेदन फरवरी, 1974 में प्रस्तुत किया ।

रुई के स्टाक के बारे में पुनः पाबन्दियां लगाना

4253. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुई की बढ़ती हुई कीमतें को काबू में रखने के लिये उसके स्टाक के बारे में पुनः पाबंदियां लगाने का है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ बड़ी, बड़ी मिलों में स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति ही गत कुछ सप्ताहों में लगातार तेजी के रुख के लिये जिम्मेदार है ; और

(ग) ऐसी स्थिति में, जबकि आयात कम होने की संभावना है और देश में फसल भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है और जबकि खपत में वृद्धि हो रही है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार बराबर स्थिति का पुनर्विलोकन कर रही है ।

पर्यटन को बढावा देने के लिये अभियान

4254. श्री महेंद्रसींह गील :

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढावा देने के लिये विदेशों में व्यापक अभियान शुरू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) विदेशों में भारत के लिये पर्यटन को प्रोत्साहन का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । हमारे पर्यटन कार्यालयों द्वारा प्रति वर्ष अपने विज्ञापन देने वाले अभिकरणों के साथ परामर्श करके उनके स्थानीय मार्केटों के ज्ञान से आधार पर विभिन्न देशों में पर्यटन अभिवृद्धिपुरक अभियान चलाये जाते हैं । हमारे अभियान अत्यंत सफल रहे हैं । जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि पर्यटक यातायात में विश्व की 8 से 9 प्रतिशत तक की वृद्धि के मुकाबले में भारत के संबंध में यह वृद्धि लगभग 20% रही । 1973–74 के दौरान भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों द्वारा विदेशों में प्रचार कार्य पर लगभग 95.7 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी है ।

खाद्यान्न वसुली के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा वित्त पोषण सुविधाएं

4255. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न वसूली के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा वित्त पोषण सुविधाएं दी जा रही हैं ; और

(ख) छोटे किसानों के लिये हाल में आरम्भ की गई व्यवस्था की विभिन्न दरों संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : (क) सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ वाणिज्यिक बैंकों के एक कंसार्शियम द्वारा भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को, अनाज की वसूली के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है । इस उद्देश्य से कि अनाज की वसूली के लिए वाणिज्यिक बैंकों की कंसार्शियम व्यवस्था के अन्तर्गत वितरण सम्यकरूपसे हो, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिसम्बर 1972 में बैंकरों की एक समिति बनायी थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि हैं ।

(ख) विभेदी व्याज दर योजना के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंक भूमिहीन मजदूरों को तथा उन किसानों को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण देते हैं जिनके पास सिंचितभूमि एक एकड़ तथा असिंचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक न हो । सरकारी क्षेत्र के बहुत से बैंकों ने व्याज की विभेदी दर की इस सामान्य योजना के अलावा, ऋण लेने वालों की जोत के आकार के आधार पर व्याज की वर्गीकृत दरों की योजनाएं शुरू की हैं ।

यद्यपि विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों में मामूली सी भिन्नता हैं,, किन्तु सभी बैंकों ने मूलतः उन छोटे किसानों को रियायती दरों पर ऋण देने का प्रयास किया है जिनके पास $2\frac{1}{2}$ एकड़ तक सिंचित भूमि तथा 5 एकड़ तक असिंचित भमि हो ।

कपास के उत्पादन, अनुसंधान और विपणन सम्बन्धी कार्यक्रम

4256. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत तथा अन्य सदस्य देशों को यह जानकारी दी है कि वह कपास के उत्पादन, अनुसन्धान, और विपणन सम्बन्धी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहायता देगा जिसमें यह कृत्रिम रेशा तथा विश्व मण्डियों में उपलब्ध अन्य स्थानापद्ध वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इससे भारत को किस प्रकार लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ने, कपास अन्वेषण और विकास के एकीकृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम प्रशासक के तथ्यों की जांच करने वाले मिशन की रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार को भेजी है और यह अनुरोध किया है कि विकास कार्यक्रम को भारत सरकार के विचारों से अवगत कराया जाए ताकि इस सम्बन्ध में विचार किया जा सके कि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम इस दिशा में कितनी और किस रूप में सहायता दे सकता है। इस रिपोर्ट को अगले महीने में लंदनमे होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक की कार्य-सूची में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम के मिशन की रिपोर्ट पर, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से विचार कर रहा है ।

वर्ष 1972–73 में राज्य व्यापार निगम और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आयातित कृत्रिम धागे का कुल मूल्य

4257. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में राज्य व्यापार निगम और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आयातित कृत्रिम धागे का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) जिन फर्मों को यह धागा दिया गया है उनके नाम क्या हैं और उसका किस्मतवार तथा मात्रावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या धागा अलाट करने के लिए कोई शर्त रखी गई थी और यदि हां, तो क्या; और

(घ) दोषी फर्मों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 322.57 लाख रुपये ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गुजरात के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों का विकास

4258. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों के विकास का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए गुजरात राज्य में चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषि) : (क) जी, हां।

(ख) ससनगीर वन्य जीव शरण स्थान को केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विकास के लिये चुना गया है।

ऋण देने की अधिकतम सीमा से निर्यात क्षेत्र को छूट

4259. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की अधिकतम सीमा से निर्यात क्षेत्र को ऋण की छूट देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी, 1974 के आपने परिपत्र में अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि निर्यात ऋण (जहाजों में लदान से पहले और बाद) में, जनवरी-सितम्बर, 1973 की अवधि के दौरान ऐसे ऋण के औसत स्तर से अधिक होने वाली वृद्धि को, अधिक कामकाज के चालू मौसम के दौरान अन्य भिन्न ऋण में वृद्धि के लिए पहले से निर्धारित कुल मात्रा संबंधी अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किया जायगा। निर्यात के क्षेत्र में बैंकों द्वारा किए गए कार्य को देख कर और इस बात की जांच करके कि बैंकों ने अपने ऋण को किन किन क्षेत्रों के लिए दिया है, रिजर्व बैंक भी, अपने विवेकानुसार, अलग अलग बैंकों को अधिक मात्रा में पुर्नवित्त संबंधी सुविधाएं मुहैया करेगा ?

विदेशों से लौट रहे भारतीय राष्ट्रिकों के लिये उदार बनाई गई योजना के अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिये आवेदन पत्र

4260. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से लौट रहे या विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से उदार बनाई गई योजना के अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) दिसम्बर, 1973 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए ;

(ग) अन्य किन वस्तुओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए ; और

(घ) कुल कितनी कीमत के लाइसेंस किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि 282 आवेदन पत्र प्राप्त हुए इनके आधार पर, योजना के अन्तर्गत अनुमत मशीनें और कच्चे माल के अयात के लिए 6.4 करोड़ रुपये के मूल्य के 211 लाइसेंस जारी किये गये।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

4261. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए एक नई प्रक्रिया चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया 1 जनवरी 1974 से लागू हो गई है ; और

(ग) इससे लाइसेंस जारी करने में होने वाले विलम्ब में किस सीमा तक कमी होगी ; और

(घ) नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० चार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) पूंजीगत माल के आयात के आवेदन पत्र निपटाने की क्रियाविधि सरल बना दी गई है जिससे कि लाइसेंस दिये जाने में होने वाला विलम्ब कम किया जा सके। संशोधित क्रियाविधि के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के सभी आवेदन पत्र, आयात किये जाने वाले माल के मूल्य के आधार पर, या तो औद्योगिक विकास मंत्रालय में विशेष रूप से गठित औद्योगिक अनुमोदन संबंधी सचिवालय द्वारा या अयात-निर्यात के मख्य नियंत्रक द्वारा सीधे लिये जायेंगे। ये प्राधिकारी उपयुक्त प्रायोजक प्राधिकारी से परामर्श करेंगे और इन आवेदन पत्रों को क्लियर करने के लिए ये मामले उपयुक्त पूंजीगत माल समिति के समक्ष रखेंगे। आवेदन पत्रों से संबंधित कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं के लिए यथा प्रायोजक प्राधिकारी से परामर्श, प्रायोजक प्राधिकरियों की सिफारिशों प्राप्त किये जाने और मामला पूंजीगत माल समिति के समक्ष रखे जाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। नई क्रियाविधि में यह निर्धारित किया गया है कि आवेदन पत्रों को उनके प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर निपटा दिया जाना चाहिये ।

जीवन बीमा निगम में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और अधिक व्यक्तियों की भर्ती

4262. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालिसी धारियों की कुशलतापूर्वक सेवा करते रहने के लिए जीवन बीमा निगम में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और अधिक व्यक्तियों की भर्ती के बारे में कोई सुझाव मिला है ; और

(ख) क्या गत दो वर्षों में व्यापार में हुई वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त व्यक्तियों की भर्ती की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन कार्य आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) तथा (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'जीवन बीमा प्रशासन' पर भारत सरकार को दिसम्बर 1968 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में, निगम के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने और प्रभागीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के कार्य-संचालन का विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश की थी ताकि पालिसीधारियों को अधिक अच्छी सेवा प्रदान की जा सके। पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत प्रभागीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण किया गया है।

जीवन बीमा निगम ने प्रभागीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के लिए विभाग वार कर्मचारी फार्मूला निकाला है। यह फार्मूला सुव्यवस्थित ढंग से चलाये जा रहे कार्यालयों में कार्य-भार एवं कर्मचारियों की तैनाती के अध्ययन पर आधारित है। वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने कर्मचारियों के कार्य से सम्बन्धित प्रतिमान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम के कुछ चुने चुने प्रभागीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में अध्ययन किया। कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा सुझाये गये प्रतिमानों पर जीवन बीमा निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

नई कम्पनियों द्वारा शेयरों का नियतन

4263. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कम्पनियां स्थापित करते समय शेयरों के नियतन के लिए दो माह की अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार को मैसर्स रनबेरी लेबोरेट्रीज लि०, नई दिल्ली द्वारा इस नियम का उल्लंघन किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या सरकार को यूनीक्रास टायर्स लि० बम्बई के विरुद्ध भी इस प्रकार की शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या शिकायतें मिली हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। जो कंपनियां जनता से लेने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती हैं वे अपने प्रास्पेक्टस में बराबर इस बात का उल्लेख करती हैं कि आवंटन-पत्र/खेद-पत्र उन मामलों में जहां कोई आवंटन नहीं किया जाता या आंशिक आवंटन किया जाता है, प्रत्यर्पण आदेश सहित अंशदान सूची बंद करने की तारीख से दो महीनों के भीतर भेज दिए जाएंगे। कुछ मामलों में कंपनियों यह भी निर्दिष्ट करती हैं कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में आवंटन पत्र/खेदपत्र ऐसी बढ़ाई हुई अवधि में भेज दिए जाएंगे जो उस सम्बद्ध स्टाक एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत की जाए जिसके द्वारा शेयर बेचे जाने हों।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) शिकायतों का संबंध दो महीनों की निर्दिष्ट अवधि में शेयरों का आवंटन/आवेदन-धन की वापसी किए जाने में विलम्ब होने से है। विलम्ब के बारे में जांच की गयी है। और मालूम हुआ है कि मेसर्स रैनबेक्सी लेब्रोटरीज लिमिटेड नई दिल्ली और यूनीकार्न लिमिटेड बम्बई के मामले में इस कारण विलंब हुआ कि निर्गम करने वाले बैंकरों और निर्गम-गृहों (इश्यू हाउसेस) ने अधिक संख्या में प्राप्त आवेदनों के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लिया क्योंकि दोनों निर्गमों के लिए अत्यावधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन दोनों मामलों में सम्बद्ध स्टाक एक्सचेंजों द्वारा समय बढाने की स्वीकृति दी गयी थी क्योंकि विलम्ब अप्रत्याशित परिस्थतियों के कारण हुआ था।

वर्ष 1973–74 में आयात निर्यात की मात्रा

4264. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में अब तक कुल कितनी मात्रा में निर्यात और आयात किया गया है ;

(ख) क्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा वस्तुओं के विविधिकरण के कारण हुआ है अथवा विनियम समता दर में परिवर्तनों के कारण हुआ है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जैसा कि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है 1973–74 वर्ष के लिए निर्यातों तथा आयातो के संबंध में नवीनतम आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1973 की अवधि के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान निर्यात (पुर्ननियातों सहित) 1691 करोड़ रूपये के हुये थे जबकि 1972 की उसी अवधि के दौरान 1391 करोड़ रूपये के हुए थे। दूसरी ओर अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान आयात कुल 1785 करोड़ रूपये के हुए जब कि

1972 को उसकी ही अवधि के दौरान 1237 करोड़ रुपये के हुए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि जबकि निर्यातों में लगभग 22% की वृद्धि हुई तो उसी अवधि के दौरान आयातों में 40 % से भी अधिक की वृद्धि हुई ।

(ग) तथा (घ) निर्मातों में वृद्धि निर्यातित माल के उच्चत्तर इकाई मूल्य तथा मात्रा दोनों ही के परिणामस्वरूप हुई है। आयातों को भी अनेक मदों जैसे कि कच्चा तेल, मशीनरी, उपस्कर, अलौह धातुएं, अखबारी कागज, उर्वरक आदि की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

चाकुलिया (बिहार) हवाई अड्डे का उपयोग

4265. **श्री भान सिंह भौरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सिंहभूम जिले में चाकुलिया के स्थान पर स्थित हवाई अड्डे का कई वर्षों से उपयोग नहीं किया गया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वहां के भवनों और उनमें लगे उपकरणों की देखभाल करने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) चाकुलिया हवाई अड्डे का, जोकि कलकत्ता हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में प्रयोग के लिए था, पिछले चार वर्षों से उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब यह इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विमानों के उपयुक्त नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग)

नागर विमानन विभाग का स्टाफ	
चौकीदार	3
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का स्टाफ	
चौकीदार	3
वर्क्स एसिस्टैंट	1
बेलदार	5
एसिस्टैंट आपरेटर	1
खलासी	1
एसिस्टैंट वायरमैन	1

आई०टी०डी०सी० एम्प्लाइज यूनियन की मांगें

4266. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली होटल्स वर्कर्स फेडरेशन और आल इण्डिया आई०टी०डी०सी० एम्प्लाइज यूनियन ने अपनी मांगें मनवाने के लिये 13 से 25 फरवरी, 1974 तक दिल्ली में भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों पर अनेक प्रदर्शन किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों के बारे में निर्णय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) उन की मुख्य मांगें थीं :—

(1) गम्भीर दुर्व्यवहार के आरोप में निलम्बित कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेशों की वापसी।

(2) अकबर होटल तथा भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन।

(ग) निलम्बित कर्मचारियों के मामलों पर सामान्य अनुशासन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

अकबर होटल के प्रबंधकवर्ग तथा यूनियनों के मध्य हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणामस्वरुप कर्मचारियो के वेतन संशोधित करने के लिए सहमति हो गई है। मुख्यालय के कर्मचारियों की यूनियनों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तिलहनों का सट्टा व्यापार

4267. **श्रीमती रोजा देशपांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों का सट्टा व्यापार अभी तक हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) मुख्य तिलहनों के सट्टा व्यापार को या तो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया है या देश में तिलहनों की कुल मिलाकर कमी के कारण वायदा बाजार आयोग बम्बई द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। वस्तुओं के सट्टा व्यापार का दमन करने के लिए कार्यपालिका व्यवस्था राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास है जिनको सट्टे की कार्यविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

वर्तमान तेल संकट के कारण भारतीय जूट की वस्तुओं की मांग

4268. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तेल संकट के कारण विदेशों में भारतीय जूट की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या आगामी वर्ष में अकेले जूट की वस्तुओं के निर्यात से 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां।

(ख) जबकि यह आशा की जाती है कि पटसन की वस्तुओं के निर्यातों से विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में अर्जित होगी, परन्तु इस स्थिति में बहुत सी अकल्पनीय बातों को देखते हुए सभी से यह नहीं बताया जा सकता कि अगले वर्ष पटसन के निर्यातों से ठीक-ठीक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। मात्रा नहीं बताई जा सकती ।

मारुति लि० के निदेशक के नियंत्रणाधीन कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

4269. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा स्थित मारुति एण्ड कम्पनी के कुछ निदेशकों के नियंत्रणाधीन कई कम्पनियों पर आयकर, निगम कर, सम्पत्ति कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन किये जाने का अभियोग लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट अभियोग हैं ; और

(ग) सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम के कुछ विपणन प्रबन्धकों द्वारा स्थानीय बाजार में अरंडी के तेल की बिक्री

4271. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, बम्बई के कुछ विपणन प्रबन्धकों ने निर्यात के लिये खरीदे गये अरण्डी के तैल को कुछ स्थानीय व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके स्थानीय बाजार में बेच दिया ;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजकोष को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इन अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इनमें से एक प्रबन्धक को एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ विदेश भेजा गया था और फिर मुख्यालय में नियुक्त कर दिया गया था, और यदि हां, तो निगम को हानि पहुंचाने के लिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) से (घ) मामले की राज्य व्यापार निगम द्वारा जांच की जा रही है ।

एयर इण्डिया के अधिकारियों के विरूद्ध आरोप

4272. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 31 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) एक नियंत्रक को केवल चेतावनी देकर छोड़ देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नियंत्रक के कब्जे में अपने, अपनी पत्नी तथा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम से आय के अनुपात से अधिक मूल्य की चल एवं अचल अभियों पाई गई हैं ; और

(घ) यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने तथा अभियोग चलाने हेतु न भेजने के क्या कारण हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कल्पितनाम से की गयी शिकायत में मुख्य आरोप एयर-इण्डिया बम्बई के ग्राउंड ट्रान्सपोर्ट डिवीज़न के नियंत्रक के विरूद्ध सत्य-निष्ठा का अभाव तथा पद का अनुचित लाभ उठाने के संबंध में थे ।

(ख) जांच से पता चला कि संबंधित अधिकारी ने कुछ अविवेकपूर्ण कार्य किये थे जिन के लिये उसे गंभीर चेतावनी दी गयी थी । चूंकि अधिकारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चला गया था इसलिए उस के विरूद्ध आगे कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) और (घ) अधिकारी, उसकी पत्नी तथा निकट संबंधियों के अधिकार में चल एवं अचल परिसम्पत्ति के बारे में एयर-इण्डिया के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। दोषारोपण करने वाली किसी ठोस सूचना के अभाव में उस के मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंपा गया था ।

Grant of Loans by Nationalised Banks to Educated Unemployed without Security

4273. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to formulate a scheme under which loan to the extent of Rs. 50,000 will be given by the nationalised banks without security to Engineers, Doctors or to other educated unemployed persons ;

(b) if so, when and how it will be implemented ; and

(c) the proposed terms and conditions of recovery of those loans ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) Public sector banks have drawn up several special credit schemes for catering to the requirements of the small borrowers in the different priority sectors. Many of the schemes are designed to assist specific categories of persons such as doctors, engineers etc. who may have viable projects. While the details of the schemes vary from bank to bank, by and large, the emphasis is on provision of credit on easy terms and on ensuring that credit is not denied to a borrower merely for want of adequate security.

Figures of the number of doctors or engineers assisted by public sector banks are not available separately, as these are generally included under the priority sector category "professional and self-employed persons". Under this category the total number of borrowal accounts upto the end of June 1973 was **1,07,343.**

Educated unemployed persons, including engineers and doctors are also now eligible for assistance from banks under the Half-a-million jobs programme. In terms of the guidelines issued by Government to the public sector banks, third party guarantees or collateral guarantees are not to be insisted upon as a matter of course, particularly in the case of small borrowers. As regards recovery of loans, banks are adopting a flexible approach. Apart from providing for repayment of loans over a longer period, the banks also grant an initial moratorium in deserving cases, taking into account the anticipated cash flow and other relevant factors.

Repayment of India's Foreign Debt in Fifth Plan Period

4274. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the percentage of the foreign loans proposed to be repaid during the Fifth Five Year Plan period ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : The percentage of foreign loans proposed to be repaid during the Fifth Five Year Plan period is about 22% on the estimated debt liability outstanding on 31st March, 1974.

Trade with South-East Asian Countries

4275. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number and names of the South-East Asian countries with whom India has entered into trade agreements during the last three to six months and the nature of these agreements ;

(b) the amount likely to be invested by Government of India in this regard ;

(c) the foreign exchange likely to be earned as a result thereof ; and

(d) the new steps proposed to be taken to enter into new type of trade agreements with these countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No new trade Agreement has been concluded with any South-East Asian country during the last six months.

(b) and (c) Do not arise.

(d) No new type of Trade Agreements are contemplated.

घाटे की अर्थव्यवस्था

4276. **श्री मधु दण्डवते : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौथी योजना के पहले चार वर्षों में घाटे की अर्थव्यवस्था 1975 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की दृष्टि में रखते हुये पांचवीं योजनावधि में घाटे की अर्थव्यवस्था न्यूनतम रखने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : ऐसा प्रस्ताव है कि पांचवीं आयोजना की अवधि के दौरान सरकार की मुद्रा और राजस्व संबंधी नीतियों के माध्यम से घाटे की वित्तव्यवस्था को कम रखा जाएगा ; इसके लिए साधन-संग्रह, बचतों, सार्वजनिक-ऋण और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंशदान पर जोर दिया जाएगा ; आयोजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप साधनों को कुशलता से काम में लाया जाएगा और राजस्व के क्षेत्र में अनुशासन बरता जाएगा तथा सरकारी खर्च पर अंकुश रखा जाएगा।

न्यूजीलैण्ड को निर्मित वस्तुओं का निर्यात

4277. **श्री मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड ने राष्ट्रमंडल सम्बन्धी सभी प्राथमिकताओं को बनाये रखने का आश्वासन देते हुये भारत से अधिक निर्मित वस्तुओं का आयात करना स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में न्यूजीलैंड को निर्यात के लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) न्यूजीलैंड सरकार ने एकपक्षीय रूप में फिलहाल ब्रिटेन के अलावा अन्य राष्ट्रमंडल देशों के लिए टैरिफ अभिमान बनाए रखने का विनिश्चय किया है। हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री और न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री के बीच हुए विचार-विमर्शों के दौरान यह अनुभव किया गया कि व्यापार मे काफी वृद्धि की गुंजाइश है जिससे दोनों देशों को लाभ हो सकता है।

(ख) आशा है कि वर्ष 1974–75 के दौरान न्यूजीलैंड को होने वाले निर्यात 11.75 करोड़ रु० तक पहुंच जाएंगे ।

बम्बई में जल सप्लाई योजना के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

4278. **श्री मधु दण्डवते : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक की बैठक में बम्बई में जल सप्लाई में वृद्धि करने के लिये महाराष्ट्र सरकार की 'भाटसाय' समेकित योजना के लिये अधिक मात्रा में सहायता देने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने उक्त प्रस्ताव में कोई रुचि दिखाई है ; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार ने बम्बई जलपूर्ति और मल निकासी परियोजना के लिए विश्व बैंक ग्रुप से लगभग 42 करोड़ रुपये (550 लाख डालर) का

ऋण लिया है। इस परियोजना पर 121 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना में ये काम शामिल है :—

(क) जलपूर्ति और जल वितरण व्यवस्था में सुधार। इसमें पिसे नामक स्थान पर पानी इकट्ठा करने तथा पंपिग केन्द्रों का निर्माण करने, पंजरपुर तथा भांडुप में पानी साफ करने के मंयंत्र लगाने जैसे काम शामिल हैं।

(ख) मल निकासी, मल शोधन तथा मल निपटान सम्बन्धी निर्माण कार्य। इसमें मल निकासी व्यवस्था का विस्तार करना, मल निकासी पम्पिग केन्द्रों का निर्माण करना तथा मल शोधन केन्द्रों को सुधारने के काम शामिल हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिये समेकित महंगाई भत्ता

4279. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों ने अपने मुख्यालय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये महंगाई वेतन, महंगाई भत्ते, अन्तरिम राहत और नगर भत्ते की राशि को मिला कर एक 'समेकित महंगाई भत्ता', प्रणाली की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी उपक्रम में भी 'समेकित महंगाई भत्ता' प्रणाली चल रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां।

महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा नगर भत्ता जो कि भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी 31–1–1972 को ले रहे थे, 1–2–1972 से 'समेकित महंगाई भत्ते' में मिला दिये गये थे। इस 'समेकित महंगाई भत्ते' में प्रतिमास 10.45 रुपये से 20 रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि की बढ़ोतरी की गयी थी तथा उसे जीवन निर्वाह सूचकांक से, जो 1–2–1972 को 929 अंक पर था (आधार 1939-100), जोड़ दिया गया था। यह "समेकित महंगाई भत्ता" हर 6 महीने के पश्चात् जीवन निर्वाह सूचकांक में प्रति दस अंकों की वृद्धि अथवा गिरावट के लिये एक रूपये के आधार पर बढाया या घटाया जा सकता है।

(ग) जहां तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का संबंध है इस प्रकार की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वेतन मान तथा अन्य भत्ते एक ही प्रकार के क्रिया-कलाप करने वाले एक उद्योग से दूसरे उद्योग तथा एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में भिन्न-भिन्न हैं।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने में कथित अनियमितताएं

4280. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में स्थित स्टैट बैंक आफ इंड़िया की विभिन्न शाखाओं के बारे में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण देने में अनियमितताएं तथा पक्षपात बरतने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा किन शाखाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) स्टैट बैंक आफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी है कि उसने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रश्न में उल्लिखित तीन राज्यों में स्थित इसके कार्यालयों द्वारा दिये गये ऋणों में अनियमितताओं और पक्षपात के संबंध में 8 शिकायतें प्राप्त की है।

(ख) संबंधित ब्यौरे इस प्रकार है :—

	राज्य का नाम	शाखा का नाम जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	—	—
2.	हरियाणा	फरीदाबाद	1
		फतेहबाद	2
		हिसार	2
		जगाधरी	1
3.	पंजाब	बापपुराना	1
		लुधियाना	1
		जोड़	8

(ग) स्टेक ने रिपोर्ट दी है कि 7 मामलों में अनियमितताओं तथा पक्षपात के आरोप निराधार पाये गये और बाकी एक मामले के बारे में जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में किसानों और उद्योगपतियों को दिया गया ऋण

4281. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के शीघ्र बाद, तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में किसानों और उद्योगपतियों को कितना ऋण दिया गया था ; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के शीघ्र पूर्व तीन वर्षों के दौरान के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष) की बकाया रकम 1970 से 1973 तक जून के अन्त में क्रमशः 6.54 लाख रुपये 7.47 लाख रुपये, 12.93 लाख रुपये और 44.32 लाख रुपये थी।

दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को दिय गये ऋणों की बकाया रकम 248 लाख रुपये थी जिसमें से 26 लाख रुपया लघु उद्योगों के पास था। इस सम्बन्ध में अन्य अवधियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के चाय उद्योग को होने वाली कठिनाइयां

4282. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चाय उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा धनराशि का प्रत्यावर्तन

4283. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :
श्री वयालार रवि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन किया गया ; और

(ख) इस राशि का वर्षवार तथा शीर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1971–73 के दौरान इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा वापिस की गयी धन राशि का वर्षवार और शीर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1971–73 के दौरान इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा वापिस की गयी धनराशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभांश	तकनीकी जानकारी	जोड़
1971	32.26	—	32.26
1972	32.26	4.92	37.18
1973	34.00	—	34.00

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के भवन के निर्माण में हुई प्रगति

4284. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
श्री वयालार रवि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक द्वारा बंबई में अपने भवन के निर्माण में कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) क्या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का विचार इस उद्देश्य के लिये पहिले ही ली गई भूमि को वापिस करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में, केन्द्रीय सरकार द्वारा टकसाल के आहते में रिज़र्व बैंक को दी गयी भूमि पर बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत की बात है । रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि खुदाई तथा इस इमारत की दीवारों के मध्य पट का काम पूरा हो गया है और इमारत की नींव का काम चल रहा है ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

मूल्यों में सामान्य वृद्धि

4285. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या बजट प्रस्तुत होने के बाद सब वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों में इस वृद्धि के कारणों की जांच की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्ह.ण) : (क) और (ख) थोक मूल्यों का आधुनिकतम उपलब्ध सूचकांक 2 मार्च, 1974 को समाप्त सप्ताह के संबंध में है। पहले के सप्ताह की तुलना में इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि केवल 1974–75 के बजट में लगाये गये उत्पादन शुल्कों से 0.33 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान था ।

(ग) यद्यपि बजट प्रस्तावों का सूचकांक पर अभी तक पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है फिर भी बजट के बाद के पहले सप्ताह में होने वाली मामूली वृद्धि को असामान्य नहीं माना जा सकता, और सरकार इसके कारणों के संबंध में जांच करना आवश्यक नहीं समझती ।

ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार सम्बधों का विकास

4286. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश से खराब हुए सम्बन्धों को फिर से सुधारना चाहती है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन से परम्परागत ढांचे में परिवर्तन करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार का भारत द्वारा ब्रिटेन को किये जाने वाले निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन सरकार द्वारा हमे दिये गये नोटिस के बाद भारत-ब्रिटेन व्यापार करार 1939 पहली फरवरी, 1973 से समाप्त हो गया। ब्रिटेन के बाजार में भारत को मिल रहे व्यापारिक लाभ 1 जनवरी, 1974 से क्रमिक रूप में शनैः शनैः समाप्त हो जायेंगे ।

2. ब्रिटेन में मिल रहे व्यापार लाभ हाथ से निकल जाने से भारत के व्यापार के लिए अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। परिवर्तित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ मिल कर व्यापार सम्बन्धी इन समस्याओं के हल खोजे जा रहे हैं। फिर भी, पटसन और कयर जैसे उत्पादों के बारे में जो करार किये जा चुके हैं उनसे और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्यीकृत अधिमान योजना से ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने से हमारे व्यापार के सम्बन्ध में निकलने वाले प्रतिकूल परिणाम कम हो जायेंगे ।

3. यह बताना संभव नहीं है कि ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने से भारत के व्यापार पर उसका कितना असर हुआ है क्योंकि उसमें अनेक अकल्पनीय बातें अन्तर्ग्रस्त हैं।

4. 17 दिसम्बर, 1973 को भारत और परिवतित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर हुए थे। करार का मक्सद परिवर्तित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को सुदृढ़, गहरा और बहुमुखी बनाना है।

Overdrafts by States

4287. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any limit has been fixed or any directive has been issued in regard to overdrafts by the States ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the names of the five States which drew the maximum overdrafts as also the names of those five States which drew the minimum overdrafts during the year 1973 and whether these States have repaid the amounts or they have been converted into loans ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Under the procedure which has been worked out in consultation with the Planning Commission and the Reserve Bank of India and which has come into effect from 1st May, 1972, no State can have an overdraft continuously for seven days. Under this scheme, the States will not be permitted to regard overdrafts on the Reserve Bank of India as a budgetary resource.

(c) During the year, 1973, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh drew the maximum amount of overdraft and Meghalaya, Haryana, Manipur, Maharashtra and Himachal Pradesh drew minimum amount of overdraft. These debit balances were cleared by the State Governments within the stipulated period of seven days.

Production and Export of Woollen, Silken and Cotton clothes

4288. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the annual production of woollen, silken and cotton cloth in the country at present ; and

(b) the value of cloth exported to foreign countries during 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement showing the production of woollen fabrics and cotton cloth in 1972 is attached as Annexure I. Figures for 1973 are not yet available. Statistics of production of silken cooth, which is being manufactured in a highly decentralised sector, are not available.

(b) A statement showing the value of various types of cotton, woollen and silken cloth exported to foreign countries during 1972-73 is attached as Annexure II. Figures for 1973-74 are not yet available.

STATEMNT I

Production of cotton and woollen cloth during 1972.

(In million metres)

Year	Cotton cloth	Woollen cloth
1972	8021·864	25·484

NOTES.—(1) Figures for production of cotton cloth in the decentralised sector are estimated on the basis of civil deliveries of cotton yarn.

(2) Figures for the production of woollen cloth are estimated on the basis of availability of indigenous and imported raw material.

STATEMENT II

Exports of Cotton, Silk and Woollen cloth

(Figures in lakhs of Rs.)

Year	Cotton Cloth				Woollen/ Worsted & mixed cloth	Silk cloth* & Garments
	Mill-made	Power-loom	Hand-loom	Total		
1972-73	8511·5	142·20	1663·11	10316·81	170·97	829·63

*Separate figures for the export of silk cloth are not available.

कपड़ा उद्योग में संकट

4289. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग सहकारी क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण है और इनको दूर करने के लिए मंत्रालय ने किन कार्यवाहियों पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ऐसे किसी संकट की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के सेवा काल को बढ़ाया जाना

4290. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के सेवा-काल में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए वृद्धि की गई है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) श्री आर० के० तलवार को 1-3-1974 से 3 वर्षों की अवधि के लिए फिर से स्टैट बैंक आफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ायी हुई अवधि के दौरान श्री तलवार का वेतन भत्ते और अन्य शर्तें वहीं रखी गयी हैं जो 1 मार्च, 1969 को उन्हें स्टैट बैंक आफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त करते समय स्वीकार की गयी थी। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध) में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6520/74]**

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जालसाजी

4291. **श्री इसहाक सम्भलो** : क्या वित्त मंत्री स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित शाखाओं में की गई अनियमितताओं के बारे में 16 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें उल्लिखित स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के जालसाजियों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): स्टैट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर ने सूचना दी है कि लोक सभा के 16 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर में उल्लिखित धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :—

1. चांदनी चौक शाखा

बैंक को, ऋण लेने वाली फर्म तथा उसके भागीदारों के विरूद्ध दायर किये गये दीवानी मकदमें में उनके खिलाफ डिगरी मिल गयी है तथा बैंक उस डिगरी की तामील कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है। ऋणकर्ताओं के विरूद्ध चल रहे फौजदारी मुकदमें का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ?

2. नई दिल्ली शाखा

(1) बैंकनें सम्बन्धित क्लर्क के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(2) बैंक द्वारा पुलिस के पास दर्ज करायी गई शिकायत के आधार पर, कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें बैंक का एक कर्मचारी भी शामिल था, मुकदमा चलाया गया था। लेकिन न्यायालय ने उस कर्मचारी को बरी कर दिया है ।

राजधानी में पर्यटक गाइड को आय

4292. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी के पर्यटक गाइड, जो विदेशी भाषाओं में अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक कमाते हैं और उस पर कोई कर भी नहीं देते हैं ;

(ख) क्या ये गाइड विदेशी पर्यटकों को सौदा खरीदने के केन्द्रों में ले जाते हैं और उन दुकानों से ही उन्हें माल खरीदवाते हैं जहां से उन्हें अधिक कमीशन मिलता है ;

(ग) क्या वे पर्यटकों को अपनी कुछ वस्तुएं सस्ती दरों पर वेचने के लिए विवश करते हैं और इन वस्तुओं को दोबारा बेचने पर उन्हें अच्छी राशि प्राप्त होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन विभाग अनुमोदित पर्यटक गाइडों की आय का कोई रिकार्ड नहीं रखता है क्योंकि जो लोग उन के सेवाएं लेते हैं वे सीधा उन्हें भुगतान करते हैं। तथापि पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, जो कि नीचे दिये गये हैं, यह नितान्त असंभाव्य है कि कोई गाइड एक मास में 2,000 रु० या इस से अधिक कमा सकता है ।

पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क

		आधा दिन	पूरा दिन
(i)	4 या उस से कम व्यक्ति .	18 रुपये	25 रुपये
(ii)	5 से 15 व्यक्ति . . .	22 रुपये	30 रुपये
(iii)	16 तथा उस से उपर परन्तु अधिकतम 40 तक	25 रुपये	33 रुपये
	विदेशी भाषा भत्ता . .	15 रुपये	

(ख) जब कभी विदेशी पर्यटक शापिंग में सहायता के लिये अनुरोध करते हैं तो गाईडसे यह आशा की जाती है कि वह उन्हें स्टेट एम्पोरिया, केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम अथवा पर्यटन विभाग द्वारा सूचीबद्ध दुकानों पर ले जाए। पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों को पहचान-पत्र (आइडेंटिटीकार्ड) प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों में लिखा हुआ है कि गाइड होटलों, मोटलों, पेइंगगेस्ट संस्थानों, दुकानों, यात्रा अभिकर्ताओ, सैर-सपाटा अभिकर्ताओं, परिवहन परिचालकों के लिये ग्राहक नहीं जुटाएंगे, नहीं उन से कमीशन अथवा बखशीश ही स्वीकार करेंगे और न ही किसी अन्य प्रकार के अनैतिक कार्य में पड़ेंगे।

(ग) इस प्रकार के कार्य-व्यापार सरकार के नोटिस में नहीं आये हैं। पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों को पहचान-पत्र प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए पर्यटकों से किसी प्रकार की सहायता, सामग्री अथवा अन्य प्रकार से सहायता (जैसे निशुल्क यात्रा टिकट, छात्रवृत्तियां, किसी संस्था में प्रवेश नौकरियां आदि) लेने के लिए प्रयत्न करने की मनाही है।

(घ) यदि अनुमोदित पर्यटक गाइडों द्वारा किये गये भ्रष्ट आचार के कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो सम्बन्धित गाइडों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Conference on World Economic Situation in Washington

4293. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government of India has been drawn to the warning given at the 13-Nation Conference held in Washington that the world would face a serious economic depression as was experienced in 1930 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) While it is admitted that the impact of a steep rise in crude oil prices will affect adversely industrialised countries of the world, it is, however, difficult to predict, as of now, whether this would lead to a world depression, since the negotiations between oil producing and exporting countries and the industrially advanced countries are still in progress to find out a satisfactory solution to the problem.

इण्डियन एयरलाइन्स में विमान चालक प्रशिक्षण तथा लाइसेंसिग प्रणाली का पुनर्गठन

4294. **श्री रणबहादूर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने विमान चालकों की उडान कुशलता के उच्चतम स्तर को बनाये रखने के लिये विमान चालक प्रशिक्षण तथा लाइसेंसिग प्रणाली को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों की उड़ान कुशलता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इंडियन एयरलाइन्स के हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का पुनर्गठन किया गया है और इसका कार्यभार एक वरिष्ठ कार्यकारी विमानचालक को सौंपा गया है। केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा किये गये कुछ उपायों की मुख्य रूपरेखा इस प्रकार है :—

(1) इंडियन एयरलाइन्स प्रशिक्षण विमानचालकों के आदित: प्रशिक्षण को और अधिक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है।

(2) कारपोरेशन के विमान-बेड़े में भिन्न-भिन्न प्रकार के विमानों के विमानचालकों के लिये अनेक नियतकालिक (पीरिआडिकल) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं।

(3) बोइंग-737 तथा एच०एस०-748 प्रकार के विमानों के विमानचालकों को सिम्यूलेटरों पर नियतकालिक (पीरिआडिकल) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(4) विमानचालकों के उच्चतम उड़ान कौशल को सुनिश्चित करने के लिये वास्तविक परिचालन में संलग्न विमानचालकों की आकस्मिक मार्ग जांच की जाती है।

हथकरघा उद्योग को आयातित रुई की मांग

4295. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केवल मात्र हथकरघा उद्योग के लिये धागे के उत्पादन हेतु स्वदेशी और आयातित रुई की सप्लाई केरल की कुछ चुनी हुई मिलों को करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार के किसी ऐसे अनुरोध की जानकारी नहीं है। तथापि, स्वदेशी रुई की सप्लाई पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। जहां तक आयातित रुई का संबंध है, मिलें अपने मांगपत्र वस्त्र आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारतीय रुई निगम को पेश करती है। आयातित रुई की वास्तविक सप्लाई संविदागत तथा मिस्र के अरब गणराज्य/सूडान से आने वाली मात्रा पर निर्भर करती है।

हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों के विकास के लिए टर्किश टावल और स्पोर्टस शर्टस् को सुरक्षित करना

4296. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने टर्किश टावल और स्पोर्टस् शर्ट को हथकरघा उद्योग में ही रहने की सिफारिश की है जैसा कि केरल सरकार द्वारा सुझाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है।

पर्यटन संवर्धन में सांस्कृतिक परम्परा का महत्व

4297. **श्री बेकारिया** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि पर्यटन संवर्धन में हमारी सांस्कृतिक परम्परा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीतीकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीती को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है या किया जा रहा है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि हमारी सांस्कृतिक परम्परा एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, इसलिए पर्यटन विभाग ने भारत के लिए पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिए पुरातत्वीय स्मारकों, अजायबघरों, त्योहारों, नृत्य , संगीत, हस्त शिल्पकला आदि जैसी हमारी सांस्कृतिक परम्परा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले विविध प्रकार के ब्रोशर तथा अन्य प्रचार सामग्री प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त, इन को अन्य माध्यमों, जैसे फिल्मों, प्रदर्शनों, विज्ञापनों आदि से भी प्रचारित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग देश के विभिन्न आकर्षणों की सीधी जानकारी देने के लिए विदेशों से यात्रालेखकों, फोटोग्राफरों, टी०वी० दलों, यात्रा अभिकर्ताओं को भी आमंत्रित करता है ताकि व लेखों, फिल्मों, स्लाइड प्रदर्शनों, वार्ताओं आदि के द्वारा उन का प्रचार कर सके।

विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण पुरातत्वीय केन्द्रों पर आवास, गाइड सेवाओं, जल सप्लाई, आदि के रूप में सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्रेता ऋण योजना लागू करना

4298. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने क्रेता ऋण योजना लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 7 दिसम्बर, 1973 से खरीददार ऋण योजना आरम्भ की थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की खरीददार ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ भाग लेने के पात्र बैंक**

वे सभी लाइसेंसप्राप्त अनुसूचित बैंक जिन्हें विदेशी मुद्रा का व्यापार करने का प्राधिकार है।

2. **सुविधा की किस्म**

भारत से पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के संबंध में विदेशी खरीददारों को ऋण।

3. **क्षेत्र**

निर्यातकों का दायित्व निर्यात-संविदाओं की वाणिज्यिक शर्तों को पूरा करना होगा और एक बार ऐसा होने पर, उन्हें अनावर्ती आधार पर, ऋणों में से उनके निर्यात के लिए भुगतान कर दिया जाएगा।

4. **पूर्व-परामर्श और प्रारम्भिक सुपुर्दगी**

खरीददार ऋण योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण की जाने वाली अभिप्रेत ऋण शर्तों की बातचीत से पहले भारतीय निर्यातकों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अपने बैंकरों के साथ पहले से ही विस्तृत विचार-विमर्श करना जरूरी होगा।

5. **भाग-लेने की सीमा**

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यातकर्ता के बैंक से चाहेगा कि वह भी ऋण की व्यवस्था किये जाने में उसके साथ भाग ले। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भाग लेने की सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी और भाग लेने वाले बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तय की जाएगी। सामान्यतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

6. ऋण का आकार

ऋण के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तथापि न्यूनतम सीमा के संबंध में, सामान्यतया ऊंचे मूल्य के संविदाओं के सम्बन्ध में ही अर्थात् जो एक करोड़ रुपये अथवा अधिक के मूल्य के होंगे ; आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा ।

7. ऋण की वापसी-अदायगी की मुद्रा

ऋण की वापसी-अदायगी या तो रुपयों में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित मुद्रा में की जायेगी ।

8. अवधि

ऋण की अवधि विभिन्न बातों जैसे सहायता-प्राप्त परियोजना के स्वरूप, संविदा के मूल्य, भारत से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के अनुमानित मूल्य, खरीददार की हैसियत आदि पर निर्भर होगी ।

9. व्याज की दर

वर्तमान व्याज-दरों के आधार पर, विदेशी खरीददार के लिए ऋण की औसत लागत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भाग की सीमा का विचार किए बिना $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी (अन्य वित्तीय लागत जैसे गारंटी, ऋण बीमा व्यय आदि को छोड़ कर) । लेकिन बैंक को 6 प्रतिशत से अनधिक दर पर वित्त मुहैया करना पड़ेगा ।

10. वचनबद्धता शुल्क

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्वीकृत ऋण की अवितरित बकाया राशि पर स्व-विवेकानुसार $\frac{1}{2}$ प्रतिशत (आधा प्रतिशत) का वचनबद्धता शुल्क ले सकता है ।

11. प्रतिभूति

प्रतिभूति, जिस किसी शकल में भी उपलब्ध होगी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भाग लेने वाले बैंकों के बीच यथानुपात बांटी जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पत्रिकाओं तथा तकनोकी पत्रिकाओं का आयात

4299. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल राज्य व्यापार निगम ने अब पत्रिकाओं और तकनीकी पत्रिकाओं का आयात सम्भालने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या इन पत्रिकाओं के ग्राहक पुस्तकालयों को ये पत्रिकाएं प्राप्त नहीं हुई है जबकि तीन से अधिक महीने व्यतित हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम को कीमती वैज्ञानिक तथा तकनीकी किताबें और वैज्ञानिक, तकनीकी तथा शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाएं / मैगजीन आयात करने का अनुपूरक कार्य सौंपा गया है ।

(ख) तथा (ग) पत्रिकाओं के जनवरी, 1974 के अंक अभी आने हैं क्योंकि वे समुद्री-डाक द्वारा भेजे गये हैं, यद्यपि इन पत्रिकाओं की सप्लाई का क्रम बीच-बीच में टूटा भी है ।

Pay Scales in Ashoka and Akbar Hotels

4300. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are disparities in the pay scales and other amenities enjoyed by the employees of Government run Ashoka Hotels and Akbar Hotel ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether in view of the discontent prevailing among the employees of Akbar Hotel, Government propose to bring their pay scales at par with those of the Ashoka Hotels ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Yes, Sir.

(b) The wage structure of a hotel is based upon its classification in accordance with the criteria laid down by the Wage Board for hotels and restaurants in the Union territory of Delhi. For this purpose, the Wage Board have made a distinction between old hotels (like Ashoka Hotel) and new hotels of less than four years' existence (like Akbar Hotel). Such disparities are also due to differences in categorisation of employees with reference to job classification.

(c) As a result of discussions between the management of Akbar Hotel and the Unions, a general consensus on wage revision has been reached on 14th March, 1974.

(d) Question does not arise.

इलाहाबाद बैंक, पटना

4301. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कबसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि इसके पटना के क्षेत्रीय कार्यालय ने जनवरी 1974 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

पूर्वी रेल्वे के धनबाद डिविजन के डाक्टरों द्वारा आयकर के निर्धारण के लिये भरी गई आयकर विवरणियां

4302. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री पूर्वी रेलवे के धनबाद डिविजन के डाक्टरों द्वारा आय-कर के निर्धारण के लिए भरी गई आय-कर विवरणियों के बारे में 21 दिसंबर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 5760 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के धनबाद डिविजन के डाक्टरों द्वारा अपनी आयकर विवरणियों में उनको मिली विजीटिंग फीस को आय के रूप में न दिखाये जाने के कारण सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर उचित जांच करने के लिए सरकार ने क्या निदेश जारी किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर आयुक्त ने धनबाद डिविजन के डाक्टरों के संबंध में आयकर अधिकारी को निम्न-लिखित कार्यवाही करने की सलाह दी है :

(i) ऐसे डाक्टरों के मामलों में जो इस समय निर्धारिती है, जहां भी आय की विवरणियां दाखिल नहीं की गई हैं, वहां कार्यवाही शुरू की जाये ।

(ii) जिन डाक्टरों को रजिस्टर में नहीं लाया गया है उनके मामले में आयकर अधिकारी फाइलें खोलें और कार्यवाही शरू करे ।

(iii) डाक्टरों द्वारा वित्तीय वर्ष 1968 से 1973 के दौरान प्राप्त मरीजों को देखने की फीस के बारे में आयकर अधिकारी ब्यौरे प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि जहां भी, मरीजों को देखने की फीस प्राप्त किये जाने की बात जानकारी में आये, उस पर कर लगाया जाये ।

Seizure of Contraband Articles in Bombay

4303. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ramsahai Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of contraband goods were seized in Bombay in February, 1974 ;

(b) the value thereof ; and

(c) the number of persons against whom action was taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The value of contraband goods seized in Bombay by the Customs authorities during February, 1974 was approximately Rs. 263 lakhs.

(c) 26 persons were arrested in connection with these seizures. Further investigations are in progress.

भारतीय परियोजनाओं के लिये नार्वे से सहायता

4304. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार ने भारत में परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु चार करोड़ नार्वे क्रोनर वस्तुएं एवं सेवाएं स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत कौन सी परियोजनाएं सम्मिलित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) नार्वे की सरकार ने यह सूचित किया है कि वह भारत को अनुदान के रूप में 1974 से 1977 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 4 करोड़ नार्वेजियन क्रोनर के मूल्य की तकनीकी सहायता तथा वस्तुएं दिया करेगी । जिन मुख्य क्षेत्रों के लिये नार्वेजियन सहायता दी जायगी वे है :——मत्स्य उद्योग विकास, परिवार नियोजन, विज्ञान और टेक्नालाजी तथा वन पालन/उर्वरक तथा कागज जैसी वस्तुएं भी सप्लाई की जायेगी । अलग-अलग परियोजनाएं दोनों सरकारों के बीच परस्पर विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाती हैं तथा उन पर अमल किया जाता है ।

चाय बोर्ड की वित्त योजना

4305. श्री राम भगत पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों की उत्पादन क्षमता बढाने हेतु चाय बोर्ड की वित्त योजना के प्रति उद्योगों की ओर से प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड की तीन प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाओं की मोटी मोटी विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. 4.60 करोड़ रु० की आवर्ती निधि से 1962–63 में शुरू की गई चाय बागान वित्त योजना योजना चाय बागानों के लिए पुनर्रोपण/बदली रोपण/विस्तार रोपण के सम्बन्ध में मैदानी बागानों के लिए 11,250 रु० प्रति हैक्टार और पहाड़ी बागानों के लिए 13,750 रु० प्रति हैक्टार की दर से आवेदक चाय बागान की समस्त अचल परसम्पत्तियों के बंधक की प्रति भूति के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था करती है। ऋण अनेक किस्तों में दिया जाता है जिस पर इस समय 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है और अविलम्ब भुगतान किये जाने पर उसमें 1/2 प्रतिशत छूट दी जाती है। ऋण की पहली किस्त का भुगतान ऋण की पहली किस्त दिये जाने के सात वर्ष बाद शुरू होता है और ब्याज समेत राशि सारी 15 वर्षों की अवधि में वसूल की जाती है।

2. अक्तूबर, 1968 में शुरू की गई पुनर्रोपण उपदान योजना में पुनर्रोपण तथा कम उपज वाले क्षेत्रों में, पौध बदली के लिए मैदानी बागानों के संबंध में 4000 रु० प्रति हैक्टार और पहाड़ी बागानों संबंधी में 5000 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से उपदान की व्यवस्था है यह उपदान कई किस्तों में दिया जाता है जो पौध उखाड़ने और पौध वाले क्षेत्रों के सन्तोषजनक अनुरक्षण जैसे कार्य की उस उस अवस्था के लिए दी जाती है जो पूरी हो जाती है।

3. वर्ष 1960 में शुरू की गई मशीनरी और सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना में चाय बागानों के लिए किराय खरीद आधार पर चाय मशीनों, सिंचाई उपस्करों और गाड़ियों सप्लाई की व्यवस्था है। किसी चाय बागान को सप्लाई की गई चाय मशीनों और सिंचाई उपस्करों का अधिकतम मूल्य क्रमशः 6 लाख और 5 लाख निर्धारित किया गया है जो दस समान वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता है। इस पर ली जाने वाली ब्याज की मौजूदा दर 7 1/2 प्रतिशत वार्षिक है जिस पर अविलम्ब भुगतान किये जाने पर 1/2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस की मौजूदा निधि 10.50 करोड़ रु० है।

फरवरी 1974 के दौरान बैंक की जमा राशि में कमी

4306. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 के दौरान बैंक की जमा राशि में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) 1, 8 और 15 फरवरी, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताहों में बैंकों में जमा रकमों में कुछ कमी हुई थी। जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता लगेगा, उसके बाद से इनमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है।

निम्नलिखित तारीख को	(करोड़ रुपयों में)
1 फरवरी, 1974	10,067
8 फरवरी, 1974	10,061
15 फरवरी, 1974 . . .	10,037
22 फरवरी, 1974	10,058
1 मार्च, 1974	10,071
8 मार्च, 1974	10,093

बैंकों में जमा रकमों में साप्ताहिक घट-बढ़ का होना बैंकों के कारबार में, विशेष रूप से अधिक काम काज के मौसम में, कोई असामान्य बात नहीं है।

चाय/काफी के निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा

4307. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान ऊर्जा संकट के संदर्भ में जहां कहीं भी संभव हो सकता है, वहां प्रत्येक वस्तु का अधिक मूल्य वसूल करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो चाय और काफी के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के अध्ययन के बारे में मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चाय

वर्ष 1970–71 से इस वर्ष तक के चाय के निर्यातों के मूल्य और उसके प्रति किग्रा इकाई मूल्य के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु०)	इकाई मूल्य (रु० प्रति किग्रा०)
1970–71	148.25	7.44
1971–72 . .	164.25	7.50
1972–73 .	153.09	7.60
1973–74 . . . . (अप्रैल-अक्तूबर)	79.04	7.89

खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में चाय कीमतों को ऐसे स्तरों पर स्थिर करने और उनमें सुधार करने के लिए अल्पावधि और लम्बी अवधि की नीति तैयार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं जो उत्पादकों के लिए लाभप्रद और उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित हों।

काफी

वर्ष 1970–71 से इस वर्ष तक के काफी के निर्यातों का मूल्य और उसके प्रति किग्रा इकाई मल्य के आंकड़ें निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु०)	इकाई मूल्य (रु० प्रति किग्रा०)
1970–71	25.11	7·80
1971–72	22.07	6.18
1972–73	32.93	6·47
1973–74 . . . . (अप्रैल-फरवरी) . . .	41.18	8·64

वर्ष 1973–74 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान हुए काफी के निर्यातों सें प्राप्त इकाई मूल्य की अपेक्षा 1974 के पहले दो महीनों—जनवरी, फरवरी—में हुए काफी के निर्यातों से प्राप्त हुए इकाई मूल्यों में लगभग 9 प्रतिशत वृद्धि रही। कीमतों में वृद्धि के रुख को देखते हुए 1973–74 की उपज में से निर्यात के लिए काफी के आबंटन का परिणाम बढ़ा दिया गया है जिससें कि विदेशी मुद्रा का अधिकाधिक उपार्जन किया जा सके।

राजस्थान में उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

4308. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1972–73 और चालू वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न उद्योगों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गयी है तथा राजस्थान में उद्योगों को इसमें से कितनी मुद्रा आवंटित की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : औद्योगिक एककों को आयात लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 31 मार्च, को घोषित की जाने वाली आयात नीति के आधार पर दिये जाते हैं। 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में, आवश्यकता पर आधारित नीति का अनुसरण किया जाता है और कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिये लाइसेंस, पिछली अवधि की खपत की संपूर्ति के तौर पर दिये जाते हैं। अन्य औद्योगिक एककों को लाइसेंस उनकी हकदारी के आधार पर दिये जाते हैं जिसका निर्धारण पिछले उपभोग अथवा पिछली अवधि के दौरान जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक एककों और सरकारी व्यापार अभिकरणों को (जो मुख्यत: औद्योगिक एककों के प्रयोग के लिये विभिन्न प्रकार के कच्चे माल इत्यादि का आयात करते हैं) 1972–73 में लगभग 1060 करोड़ रुपये के और अप्रैल नवम्बर 73 में 837 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये।

उद्योगों को दिये गये आयात लाइसेंसों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्वनियोजन योजनाओं के अधीन प्राप्त आवेदनपत्रों की मंजूरी

4309. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रत्येक राज्य में वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में अब तक स्वनियोजन योजनाओं के अधीन सहायता के लिये कितने आवेदनपत्र मंजूर किये ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में इन योजनाओं के अधीन सहायता के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन योजनाओं के बारे में धीमी प्रगति की शिकायत की है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इन आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से मंजूरी दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विभिन्न बैंकों में आंकड़े रखने के वर्तमान प्रबन्ध में बैंकों में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों या जिनपर कार्रवाई की जा चुकी हैं उन आवेदन पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना रखने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी गयी आत्मनियोजन की योजनाओं के लिये पर्याप्त बैंक ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के ब्यौरे के संबंध में सूचना अब तक केवल पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों से ही प्राप्त हुई प्रतीत होती है। पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के लिये बैंक सहायता में वृद्धि करने से संबंधित विभिन्न तर्कों पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा नवम्बर, 1973 में बुलायी गयी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आत्मनिवेदन संबंधी योजनाओं की रूपरेखा और महत्व और ऐसे कार्यक्रमों के लिए बैंक सहायता देने के लिये शाखाओं द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में भी अपनी शाखाओं की विस्तृत हिदायतें जारी कर दी है। पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के लिये सहायता देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गयी प्रगति पर सरकार बराबर नजर रखती है और इसी लिये तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी निर्धारित की गयी है।

तुलनात्मक रूप से कम बैंक वाले राज्यों में पहले ही स्थापित की गयी बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों की राज्य स्तर समन्वय समिति की बैठकों में भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है।

विदेशी पर्यटकों का सरकारी होटलों में रहना

4310. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सरकारी होटलों में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों में विदेशी पर्यटकों के लिये कितने स्थान का उपयोग किया गया और कितना स्थान अप्रयुक्त पडा रहा ;

(ग) कितने विदेशी पर्यटक गैर-सरकारी होटलों में ठहरे ; और

(घ) विदेशी पर्यटकों को सरकारी होटलों की ओर आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे खाली स्थान कम से कम रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) एक विवरण सलग्न है। (विवरण क) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०6521/74**]

(ख) एक विवरण संलग्न है। (विवरण (ख) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०6521/74**]

(ग) क्योंकि विदेशी पर्यटक विभिन्न प्रकार की आवास व्यवस्था जैसे होटल (इनमें वे होटल भी शामिल हैं जो पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में नहीं है), पर्यटक बंगले, फारेस्ट-लाज इत्यादि का उपयोग करते हैं इसलिए उन विदेशी पर्यटकों की संख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिन्होंने प्राइवेट होटलों का उपयोग किया ।

(घ) कुछ होटलों में नवीकरण तथा सुधार का कार्य हाथ में लिया गया है तथा विदेशी पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए बिक्री, मार्केटिंग एवं प्रचार के संबंध में जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जूट मिलों को वित्तीय सहायता

4311. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की जूट मिलों को उनमें उत्पादन बढाने और निर्यात संवर्धन हेतु कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन जूट मिलों के नाम क्या हैं जो इस सहायता से लाभान्वित हुई हैं तथा प्रत्येक मिल को दी गई सहायता की राशि क्या है ; और

(ग) वित्तीय सहायता का उचित उपयोग किया जाए इसके लिए सरकार उन पर किस ढंग से नियंत्रण रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार द्वारा आई०एफ०सी० को 1 प्रतिशत का उत्पादन दिया जाता है जो ऋण की सामान्य ब्याज दर और उस रियायती दर के बीच का अन्तर है जिस पर विविधीकरण हेतु पटसन मिलों को आई०एफ०सी० द्वारा ऋण दिये जाते हैं, सरकार द्वारा दिया जाता है।

(ख) एक विवरण सलग्न है।

(ग) जिस प्रयोजन के लिये ऋण दिया गया था उसके लिये उस राशि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र मिलों से प्राप्त किये जाते हैं।

विवरण

विविधीकरण और/अथवा आधुनिकीकरण हेतु पटसन मिलों को आई० एफ० सी० द्वारा मंजूर किये गये और संवितरित किये गये ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1972-73 के लिये देय 1 प्रतिशत की दर पर उपदान की भुगतान

	फर्म का नाम	आई० एफ० सी० को देय राशि
1.	मै० कमरहाट्टी कं० लि०	14,328.90
2.	मै० गेंजीज मैन्यू० कं० लि०	11,506.85
3.	मै० चेम्पडेनी जूट कं० लि०	15,417.81
4.	मै० यूनियन जूट कं० लि०	33,860.89
5.	मै० डलहौसी जूट कं० लि०	35,099.83
6.	मै० हावडा मिल्स कं० लि०	27,561.43
7.	मै० जनरल इंडस्ट्रियल सोसायटी लि०	38,057.43
8.	मै० आइलैंड जूट कं० लि०	43,520.55
9.	मै० खारघा कं० लि०	2,725.00
10.	मै० फोर्ट गिलोस्टर इंडस्ट्रीज लि०	16,133.42
		2,38,230.38

जूट मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

4312. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जूट मिले निर्धारित क्षमता पर कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कम उत्पादन के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका उत्पादन बढाने सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मुख्य रूप से बिजली की अनिश्चित सप्लाई के कारण देश में पटसन मिलें अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहीं हैं। अभी हाल के महीनों में उद्योग में हड़ताल के कारण कम उत्पादन हुआ। पटसन उद्योग में अनिर्धारित समय पर बिजली की कटौती को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं। हड़ताल समाप्त हो गई है।

त्रिपुरा में जूट मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव

4313. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में जूट मिलें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें सरकारी अथवा निजी कौन से क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) इन मिलों में किस प्रकार की जूट-वस्तुएं निर्मित होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) टाट तथा पैक शीटों के उत्पादन के लिए त्रिपुरा में संयुक्त क्षेत्र में 13,872 मे० टन की अनुमानित वार्षिक क्षमता वाली एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।

संकटग्रस्त जूट मिलों को अधिकार में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव

4314. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की संकटग्रस्त जूट-मिलों को अपने अधिकार में लेने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश की उन जूट मिलों के नाम क्या है जिन्हें 'संकटग्रस्त' संज्ञा दी जा सकती है ; और

(घ) इन जूट मिलों को फिर से ठीक स्थिति में लाने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार की यह नीति है कि जब भी आवश्यक हो, संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में ले लिया जाये । तथापि, कोई भी पटसन मिल संकट ग्रस्त घोषित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पांचवी योजना के दौरान जूट मिलों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

4315. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जूट मिलों की संख्या राज्यवार क्या है तथा अभी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) इन जूट मिलों में मिलवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जूट मिलों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन जूट मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी योजना में पर्यटक होटलों की स्थापना का लक्ष्य

4316. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक होटलों की स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या लक्ष्य की पूर्णतः प्राप्ति हो गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम है, द्वारा पर्यटक होटलों/मोटलों / कुटीरों के रूप में निर्माण की जानेवाली 14 नयी प्रायोजनाएं भी सम्मिलित थीं । इन में से 10 प्रयोजनाएं पूरी एवं चालू की जा चुकी हैं तथा और दो पूरी होने वाली हैं शेष बची दो प्रायोजनाओं के कुछ पहलुओं पर विचार किया जा रहा है तथा उनका निर्माण कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया जायेगा ।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में नये हवाई अड्डे स्थापित करने का लक्ष्य

4317. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में नये हवाई अड्डे स्थापित करने और वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार करने के बारे में क्या लक्ष्य है ; और

(ख) विस्तार योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 1974–75 के दौरान भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर कई विकास कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इन में ये सम्मिलित हैं :—

दिल्ली (i) एक अन्तर्राष्ट्रीय माड्यूल के निर्माण से सम्बन्धित प्रारंभिक कार्य, तथा

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल के विस्तार को पूरा करना ।

बम्बई (i) नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण से संबंधित प्रारंभिक कार्य, तथा

(ii) वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार ।

मद्रास—टर्मिनल भवन का विस्तार ।

कलकत्ता—टर्मिनल भवन में परिवर्द्धन तथा वातानुकुलन ।

अन्य अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों के बारे में नागर विमानन विभाग के कार्यक्रम में ये सम्मिलित हैं :—

(i) बारापानी हवाई अड्डे को पूरा करना तथा हुबली में एक नये हवाई अड्डे पर प्रारंभिक निर्माणकार्य ।

(ii) रायपुर और बंगलौर हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों का विस्तार तथा परिवर्द्धन ।

(iii) गोहाटी, पोर्ट ब्लेयर, त्रिवेन्द्रम, मोहनवाड़ी, अगरतला, अहमदाबाद, केशोद, पोरबंदर, जबलपुर, औरंगाबाद, जयपुर, उदयपुर और खजुराहो हवाई अड्डों पर धावन पथों, टैक्सी ट्रकों, एप्रन आदि को मजबूत करना ।

(iv) पालम के लिये बेतारप्रेषण केन्द्र, दूरस्थ प्राप्ति स्टेशन तथा नियंत्रण टावर का निर्माण कार्य ।

आस्ट्रियाई व्यापार दल का दौरा

4318. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में आस्ट्रियाई व्यापार दल ने भारत का दौरा किया और सरकार से बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) शिष्ट मण्डल ने भारत तथा आस्ट्रिया के बीच व्यापार और औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग की वृद्धि की सम्भाव्यताओं के बारे में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक एवं गैर सरकारी संगठनों आदि से विचार विमर्श किया ।

टैक्सटाइल मशीनरी का आयात

4319. श्री ई० वी० विखे पाटिल :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में कितने मूल्य की टैक्सटाइल मशीनरी का आयात किया जाना है ; और

(ख) इसका आयात किन किन देशों से किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) आधुनिकीकरण तथा साथ ही विस्तार के लिए टैक्सटाइल मशीनरी की अनुमेय मदों के आयात की अनुमति दी जा रही है बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। तथापि, इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई निधि नियत नहीं की गई है। निकट भविष्य में आयात की जाने वाली मशीनरी के मूल्य का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) टैक्सटाइल मशीनरी का आयात पश्चिम यूरोप तथा जापान जैसे सामान्य मुद्रा क्षेत्र से और पोलैंड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया जैसे रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्रों से भी उपयुक्तता तथा उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

दिनांक 7-12-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3795 के उत्तर में शुद्धी करने वाला विवरण

Statement correcting Answer to U.S.Q. No. 3795 dated 7-12-1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में यह बताया गया था कि आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1971–72 और 1972–73 में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया था, जबकि सही स्थिति यह है कि ऐसे कार्यक्रम केवल 1972–73 और 1973–74 में चलाए गए थे। अतः उत्तर के प्रथम भाग को संशोधित करके इस प्रकार पढा जाये :—

(घ) और (ङ) जी हां। 1972–73 और 1973–74 में आयकर विभाग द्वारा रेडियो, समाचार पत्र विज्ञापनों और विभागीय अधिकारियों के साथ करदाताओं की बैठकों के आयोजन के माध्यम से व्यापक जन-सम्पर्क कार्यक्रम चलाया गया था।

विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण-पत्र

अतारांकित प्रश्न सं० 3795 के 7 दिसम्बर 1973 को दिये गये उत्तर में यह बताया गया था कि व्यापक जन-सम्पर्क कार्यक्रम आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1971–72 और 1972–73 में चलाया गया था जबकि सही स्थिति यह है कि ऐसा कार्यक्रम 1972–73 और 1973–74 में चलाया गया था। इस भूल के ध्यान में आते ही यह मामला मंत्री महोदय की जानकारी में लाया गया। किन्तु प्रश्न के उत्तर दिये जाने के 7 दिन के भीतर संशोधित उत्तर सदन-पटल पर नहीं रखा जा सका क्योंकि भूल का बाद में पता चला। गलती तथा विलम्ब के लिये खेद है।

2. सही उत्तर का विवरण-पत्र अब सदन की मेज पर रख दिया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पांच लाख मीटरी टन उर्वरक की कमी का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान, मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"वर्ष 1973–74 में 5,00,000 मीटरी टन उर्वरक की कमी का समाचार।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज): उर्वरको की भारी कमी के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थिति के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारो से मैं सहमतहूं । संक्षेप में, स्थिति यह है कि खरीफ, 1973 के लिए उर्वरकों की सभी किस्मों की आवश्यकताएं, जैसा कि राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन में निर्धारित की गई थीं, 15.5 लाख मीटरी टन पोषक (अर्थात् एन पी एण्ड के) थी । जब कि इस आवश्यकता को देश में उत्पादित तथा आयातित उर्वरकों से पूर्ण रूप से पूरी करना संभव था, लेकिन अनुवर्ती रबी मौसम के स्थिति में अचानक परिवर्तन हो गया, जिससे हमें निराशा हो गई थी । 24.31 लाख मीटरी टन पोषकों की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में, सभी स्रोतों से केवल, 16.05 लाख मीटरी टन पोषक उपलब्ध हो पाये थे । इस अन्तर, जो पूरा नहीं हुआ, का कारण प्रत्याशित देशी उत्पादन में कमी होना तथा आयात का पूरा न होना था । इस अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों की अधिक से अधिक मात्रा के ठेके के लिए सभी प्रकार के तथा सतत प्रयत्नों के बावजूद भी दुर्भाग्यवश उर्वरकों की विश्वव्यापी कमी के कारण अपेक्षित मात्राओं का आयात किया जाना संभव नहीं हो पाया । नौवहन संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में हुई कठिनाई तथा उर्जा संबंधी संकटों, जो वर्ष के अन्त में उत्पन्न हुए थे, से भी आयात के संबंध में हमारी कठिनाइयां बढ़ गई थीं ।

2. 1973–74 के दौरान, फरवरी के अन्त तक उर्वरकों का उत्पादन 9.6 लाख मीटरी टन एन तथा 2.95 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ था: और वर्ष के अन्त तक 10.4 लाख मीटरी टन 'एन' तथा 3.23 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ का उत्पादन होने की संभावना है । 1973–74 के दौरान उत्पादन और भी अधिक हुआ होता यदि विद्युत में कटौती, गुजरात में बाढ़े और श्रम संबंधी समस्याएं, जिनसे उत्पादन में कमी हुई है, आदि बाहरी घटनायें न घटी होती । उत्तर प्रदेश की दो उर्वरक परियोजनाओं को लम्बे अर्से के लिए विद्युत के कठोर प्रतिबंध के अन्तर्गत कार्य करना पड़ा है । नंगल स्थित यूनिट, जिसे 164 एम डब्ल्यू विद्युत की आवश्यकता है, को विभिन्न अवधियों के दौरान विद्युत की कम सप्लाई पर कार्य करना पड़ा है। वास्तव में अप्रैल, मई, 1973 के दौरान नंगल संयंत्र केवल 60 एम डब्ल्यू विद्युत प्राप्त कर सका । पुनः वर्तमान महींने के दौरान संयंत्र को लगभग 72 एम डब्ल्यू विद्युत की सप्लाई पर ही कार्य करना पड़ा । इसके अतिरिक्त, कुछ चालू संयंत्रों पर भी विद्युत अस्थिरता/खराबियों के कारण प्रभाव पड़ा । विद्युत की सप्लाई में अनियमितता तथा अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप उत्पादन में लगभग 110,000 मी० टन नाइट्रोजन की कमी हुई । मही नदी में अपर्याप्त जल प्रवाह तथा इसके परिणामस्वरूप हुई अधिक लवणता तथा तत्पश्चात मही नदी बाढ़े आने से बड़ौदा में स्थित संयंत्र पर प्रभाव पड़ा था । उत्पादन में कमी का दूसरा प्रमुख कारण था श्रमिक अशांति, जिससे कानपुर ट्रॉम्बे, विजाग, राउरकेला तथा नैवली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में 35,000 मी० टन नाइट्रोजन की कमी हुई । कोचीन एवं दुर्गापुर संयंत्र अभी निरंतर कार्य करने में समर्थ नहीं है, यद्यपि विभिन्न अनुभागों में परवर्ती संयंत्र भार पर परीक्षण उत्पादन पूर्ण हो गया है । संचालन तथा अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण गोआ में स्थित नये संयंत्र में भी प्रत्याशित सीमा तक उत्पादन नहीं हुआ । उच्चतम सीमा तक उत्पादन करने के लिए विभिन्न परिचालन तथा अन्य समस्याओं पर काबू पाने के संबंध में प्रत्येक उपाय अपनाये जा रहे है । मैं यहां उलेख करना चाहूंगा कि सिन्दरी में संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सुव्यवस्थितकरण तथा नवीकरण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इंधन तेल पर (इस समय प्रयोग हो रहे कोक/कोक ओवन गैस के स्थान पर) आधारित एक बृहद नवीनीकरण कार्यक्रम भी स्वीकृत किया गया है । उद्योगमंडल, गोरखपुर आदि में कठिनाइयों को दूर करने तथा स्थिरीकरण कार्यक्रम भी कार्यान्वियनाधीन है । नवीनीकरण तथा अन्य कार्यक्रमों को पूर्ण करने तथा उनके प्रभाव से उत्पादन में वृद्धि किये जाने में समय लगेगा ।

3. विभिन्न राज्यों के बीच उपलब्ध उर्वरकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं । वितरण पद्धति को कारगर बनाया गया है । तथा उन स्थानों जहाँ उर्वरक की खपत होती है, को बिना विलम्ब के उपलब्ध उर्वरक भेजने के संबंध में सप्लाई योजनाओं

[श्री शाहनवाज खां]

को युक्तिसंगत बनाया गया है। उर्वरक की कमी के संबंध में उपलब्ध रसायनिक उर्वरकों में वृद्धि करने के लिए कार्बनिक खाद संबंधी स्त्रोतों का पता लगाने तथा उनका समुपयोजन करने के लिए उपाय अपनाये गये है।

4. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कृषि उपज अनेक तथ्यों जिसे उर्वरक भी एक है, पर निर्भर करती है, अतः कृषि उपज पर उर्वरकों की कमी के प्रभावको सही रूप में नहीं आंका जा सकता।

श्री समर गुह: श्रीमान्, आज देश के सामने सबसे अधिक चुनौती उर्वरक उपभोग के अनुमानित लक्ष्य को पूरा करने की है। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि 5 लाख मीटरी टन उर्वरक की कमी कि पूर्ति किस प्रकार की जायेगी। यह जानकारी रोकफैलर फाउन्डेशन के प्रेसीडेंट श्री नोयल्स ने दी थी। ऐसे ही समाचार का सुराग विश्व बैंक की रिपोर्ट से मिला था। यदि सरकार अपेक्षित मात्रा में उर्वरक सप्लाई न कर सकी तो कृषि उत्पादन कम होगा और अकाल और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्नों के सीधे उत्तर चाहता हूँ। देश में सभी प्रकार के उर्वरकों की अनुमानित खपत कितनी है? हमारे देश में वर्ष 1973–74 में उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य क्या था और वस्तुतः कितने उर्वरक का उत्पादन हुआ? इसी वर्ष आयात का लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना आयात किया गया?

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में उर्वरक एककों की कटु आलोचना की है। उसके अनुसार उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 1973–74 में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में केवल 55.9 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि वर्ष 1973–74 में उत्पादन और आयात के आंकड़ों में काफी कमी रही है। यह कमी कैसे पूरी की जायेगी? सरकार को प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पढना चाहिए और उसकी सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह अनुमान पहले ही लगाना चाहिए था कि विश्व बाजार में उर्वरक के भाव बढेंगे और उंची कीमत पर भी उर्वरक उपलब्ध न होंगे। सरकार उर्वरक उत्पादन के मामले में असफल रही है। कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की पहले सरकार ने उपेक्षा की परन्तु अब पुनः सरकार को उसी ओर जाना पड़ रहा है। प्राक्कलन समिति ने यह सवाल भी उठाया है कि उर्वरक संयंत्र केवल सरकारी क्षेत्र में ही क्यों लगाये गये और उनकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किन कारणों से नहीं हो पाया।

यदि देश को 1973–74 में अकाल से बचाना है तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला यह है कि सभी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाये और दूसरा यह है कि कम्पोस्ट खाद का व्यापक कार्यक्रम बनाया जाये। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय कृषि को संकट से उबारने के लिए मेरे विचार से सुगम उपाय यह है कि कूडें-कर्कट और गोबर आदि से कंपोस्ट खाद बनाने का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया जाये। कूडा-कर्कट आदि न केवल सस्ता है बल्कि इसमें लोगों का सहयोग स्वतः मिलने लगेगा। इससे उर्वरक की कमी पूरी होगी। यहां पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय कहेगा कि यह विषय तो कृषि मंत्रालय का है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों मंत्रालयों में कोई समन्वय समिति स्थापित की गई है? उपलब्ध उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था क्या है? क्या उर्वरक की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है?

श्री शाहनवाज खां: वर्ष 1973–74 में देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता कुल 39.81 लाख टन की है, जिसमें 9.25 लाख टन फास्फेट, 4.8 लाख टन पोटाश और 25.76 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक है। देश में उत्पादन कुल 13.33 लाख टन और जनवरी से दिसम्बर तक आयात

12.89 टन का हुआ। इस प्रकार 8.34 लाख टन नाइट्रोजन, 1.33 लाख टन पोटाश और 3.42 लाख टन फास्फेट की कमी रहती है, जो कुल मिलाकर 13.09 लाख टन है। यह स्थिति सचमुच असंतोषजनक है।

जहां तक खरीफ की फसल का सम्बन्ध है, उसकी मांग उर्वरक के उत्पादन और उसके आयात द्वारा पूरी कर दी गई थी। किन्तु रबी की फसल के लिए कठिनाई आई। इसके कई कारण थे जैसे, ऊर्जा संकट, नफ्था के अभाव के कारण उर्वरक की सप्लाई में कमी आदि। बिजली की कमी के कारण कुछ उर्वरक संयंत्र, जो अपनी निर्धारित क्षमता से भी अधिक उत्पादन कर रहे थे, ठीक से न चल सके। नंगल उर्वरक संयंत्र और गोरखपुर उर्वरक संयंत्र बिजली की कमी से बुरी तरह प्रभावित हुए।

मैं माननीय सदस्य से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि समय कठिन है। फिर भी हम उत्पादन बढाने और अधिक आयात करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। साथ ही मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि हमें उपलब्ध आर्गेनिक खाद का भी पूर्ण उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खादों की कमीं पूरी करने के लिए हरी खाद तथा कम्पोस्ट खाद के उपयोग की दिशा में कदम उठाने होंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, Sir, everybody knows that there is a great need of fertilizers in our country. But the gap between the demand and the supply of fertilizers is increasing. Today we require about 24,31,000 tonnes of fertilizers. But there is a shortfall of about 9 lakh tonnes. If this shortfall is not be met, it will adversely affect our agricultural production resulting in food crisis. To get out of this situation, we should increase our fertilizer production as much as possible. I would like to know : (a) whether Government propose to set up fertilizer plants in various parts of the country; (b) whether machinery for these plants will be imported from the countries with whom we have rupee-payment agreements ; and (c) whether efforts are being made to get more raw material from Arab countries, if so the progress made in this direction ; (d) whether fertilizer plants will be set up in private sector also, if so the names of the industrialists to whom they are going to issue letters of intent; and (e) the steps taken to improve the situation of sick units ?

Shri Shahnawaz Khan : As the hon. members are aware the Government are trying their best to increase the production of fertilizers. At present new factories are being set up in Barauni, Namrup, Khetri, Kota etc. We are making progress in the factory at Trombay and we hope that the production of the factory would be increased very soon.

The hon'ble minister has mentioned about the coal-dust fertilizer. Three coal-based factories are being set up. Perhaps, these factories would start production by the middle of the next year. We are even exploring the possibilities of setting up more coal based factories and the reports are being prepared in this regard.

We always try to establish more contacts with the socialist countries which are friendly to us. We are also trying to set up such plants with the help of Russia.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I had asked the question regarding the Generators.

Shri Shahnawaz Khan : It concerns other department.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether any talks have been held with them ?

Shri Shahnawaz Khan : The talks were held with them. The matter regarding generators was also discussed with them. We always try to get the help from the socialist countries.

We are trying to get oil from several sources. We had talks with the ministers of Arab countries and Iran, who had visited this country. We are having talks with the

9—7 LSS/ND/74

[**Shri Shahnawaz Khan**]

visiting Iraqi delegation also. We have been assured by our Arab friends that our oil requirements would be met fully. The attitude of Iran is also sympathetic.

We are also permitting the private sector to set up the fertilizer factories. The hon'ble members would also agree with me that we should allow the private sector to set up such factories, if they can help us to stop the import. (*Interruptions*) A fertilizer factory has been functioning well in Kota.... it has got annual capacity of 4 lakh tons. We are trying to increase its capacity to 9 lakh tons.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार ने अपने आयोजन द्वारा कृषि को उर्वरक प्रधान बना दिया चाहे यह कितना भी कम ही क्यों न हो। सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों को उपलब्ध किये बिना अधिक उत्पादन वाली किस्मों की ओर विशेष ध्यान दिया है। आज मांग सप्लाई की अपेक्षा कहीं अधिक है और इसके परिणाम स्वरूप बेईमान उत्पादकों, व्यापारी और एजेंट हम से काफी धन बना रहे हैं।

वास्तव में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 'टाइम्स आफ इंडिया' में "भारत में 500,000 टन उर्वरक की कमी हो सकती है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के फलस्वरूप लाया गया है। अमरीकी लोग यह चाहते है कि भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारी इतने उर्वरक का उत्पादन कर सकें जितना कि विक्रेता बाजार में बेचा जा सके। यही कुछ वे कर रहे हैं।

भारतीय उर्वरक संघ किसानों अथवा अन्य लोगों के लाभ के लिये काम नहीं कर रही। हमने तो यह सुनिश्चित करना है कि समूचा व्यापार विक्रेता बाजार में ही किया जाये और लोगो को अधिक से अधिक धन देने के लिये विवश किया जाये।

हम सभा में यह चर्चा करते रहें हैं कि फोर्ड फाउंडेशन सी०आई०ए० की ओर से काम करता रहा है। इस बातपर, कि 'फोर्ड फाऊंडेशन' से संबंधित कोई व्यक्ति इस देश के जनसाधारण की भलाई का काम करना चाहता है, विश्वास नहीं होता।

सारी बात तो यह है कि इस देश में उर्वरक के उपयोग और उत्पादन पर अमरीका नियंत्रण करना चाहता है। इस संबंध में सरकार पूर्णतयः असफल रही है।

इस बारे में प्राक्कलन समिति के 40 वें प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर भी मंत्री महोदय सभा को सही बात नहीं बताते हैं। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्य निष्पादन संतोष-जनक नहीं रहा है। इस बात का स्पष्टीकरण क्या है कि सरकारी क्षेत्र में जहां केवल 28.5 हजार टन उत्पादन होता है वहां गैर सरकारी क्षेत्र में 98.2 हजार टन उत्पादन होता है।

मैंने श्री बरुआ को पत्र लिखा था और मुझे उसका उत्तर श्री शाहनवाज खां से प्राप्त हुआ है। हम से एक और खतरनाक स्थिति के बारे में पता चलता है। यद्यपि संसार में हमारी प्रतिव्यक्ति आय सब से कम है, फिर भी हमसे उर्वरक की सब से अधिक मूल्य देने की अपेक्षा की जाती है।

यूरियां का मूल्य जहां भारत में 2,085 है, वहां श्रीलंका में इसका मूल्य 1,185 है और अमरीका में इसकी कीमत 1,470 है। हम संसार में सब से अधिक कीमत का भुगतान कर रहे हैं।

हम यह जानना चाहते हैं कि आपने गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों को पहले ही उर्वरक का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दे दिये हैं और आप उन्हें और अधिक लाइसेंस देते जा रहे हैं। हम इन प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री शाहनवाज खां : जिन मूल्यों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वे बहुत पुराने हैं ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मे मूल्यस्तंभ श्री शाहनवाज खां द्वारा अपने 6 मार्च, 1974 के पत्र में बताये गये हैं और अब वह यह कहते है कि यह बहुत ही कम हैं।

श्री शाहनवाज खां : ये मूल्य 1971 के आंकड़ों के अनुसार बताये गयें हैं।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के आगे पूर्ण रूप से हथियार डाल रहे हैं और कि सरकारी क्षेत्र कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा है। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां ग़ैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा 8,10,000 टन उत्पादन किया जा रहा है, वहां सरकारी क्षेत्र में 11,28,000 टन का उत्पादन हो रहा है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। मैं यह मानता हू कि कुछ संयंत्रों और कारखानों में उत्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है। किन्तु मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे नंगल, ट्राम्बे, ग़ोरखपुर और नामरुप जैसे कुछ संयत्र ऐसे भी हैं जो भारत में कहीं भी ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों का अच्छी तरह मुकाबला करते हैं। सरकारी क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है, यह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से पीछे नहीं है। वे विचार ग़ोष्टियां करते हैं जिनमें विश्व भर से विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इस बारे में माननीय सदस्य के मन में यह शंका नहीं रहनी चाहिये इन विचार ग़ोष्टियों मे शामिल होने वाले व्यक्ति किसी एकाधिकारी प्रतिष्ठान में शामिल हो जायेंग़े। मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि उर्वरकों के वितरण में कुछ कदाचार अपनाये जाते हैं। हम ने राज्य सरकारों को समूचा उत्पादन सौंपने की पेशकश की थी। हम ने सरकारी समितियों को भी अपने उत्पादन का काफी भाग देने का निर्णय किया था। कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि वह समस्त वितरण पद्धति को ले लेने के लिये तैयार हैं। हम उन्हें सहायता देंग़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कहते है कि कुछ कदाचार अपनाये जाते हैं। वास्तव में वहां 400 प्रतिशत कदाचार होता है। आप को युरियां की एक बोरी के लिये 200 रुपये देने पड़ते है जिसका नियंत्रित मूल्य 22 रुपये है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्वरकों के उत्पादन को क्षमतापूर्वक सुनिश्चित करने तथा उत्पादन की लागत के विक्रय मूल्य के साथ जोडने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि जो कुछ भी आयात करना हो उसे सुचारु रूप से सुनिश्चित करने तथा इन सभी बातों को प्रभावी ढंग से करने के लिये कौन कौन सी ठोस कार्यवाही की गयी है? क्या यह बात सच नहीं है कि आयात अपेक्षाकृत अधिक किया जा रहा हैं? क्या यह भी सच नहीं है कि हम में निहित विदेशी मुद्रा 140 करोड़ रुपये तक की है? क्या प्राक्कलन समिति ने यह कहा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों के संबंध में कमी 15 लाख टन की होग़ी?

क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति पहले ही सुझाव दे चुकी है कि नयी परियोजनाओं के समूचे आधार को अवश्य ही बदल दिया जान चाहिये। ईंधन तेल पर आधारित परियोजना को कोयला पर आधारित करने के बारे में टाटा बन्धुओं ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की नीति संबंधी निर्णय स्पष्ट नहीं हैं। उपभोक्ताओं को यह जानने में कठिनाई हो रही है कि वास्तव में विवाद क्या है। इस समस्या के बारे में न तो टाटा बन्धु और न कि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य दिया जा रहा है।

इस संबंध में मैं कार्बनिक खाद के उत्पादन की 28 करोड़ रुपये की योजना के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाता है, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि मलजल सिंचाई योजनाओं को अधिक

[प्रो० मधु दंडवते]

चालू करना होगा ताकि मिश्रित परियोजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से बताया जा सके। इस दिशा में क्या ठोस कार्य वाही की जा रही है ?

क्या कई देशों से इस कारण से उर्वरकों की सप्लाई में विलम्ब नहीं हुआ कि वे इसका अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते थे ? इस बारे में स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये। मूल्यों में अन्तर का क्या कारण है ? जहां तक भारतीय किसानों का संबंध है, उनके लिये भिन्न मूल्य निर्धारित किये गये हैं तथा दूसरों के लिये दूसरी प्रकार के मूल्य निश्चित किये गये हैं। क्या इस भिन्नता के कारण यह समस्या और अधिक जटिल हो गयी है ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उत्पादन और आवश्यकता के बीच जो अन्तर होगा उसे आयात द्वारा हम पूरा करेंगे। हम कई उर्वरक संयंत्रों की स्थापना कर रहे हैं और मैंने उन संयंत्रों के बारे में ब्यौरा दे दिया है। हम ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि कोयले पर आधारित अधिक से अधिक संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।

मीठापुर के लिये आशयपत्र देने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु वह लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इस पर विचार किया जाना है। ऐसा अनुभव किया गया है कि इससे पर्याप्त लाभ नहीं होगा। अन्य एकक भी अपने संयंत्र लगाने को तैयार हैं। यदि वे इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिये तैयार नहीं है, तो हम उन्हें ऐसा करने के लिये बाद्य नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दंडवते: प्रश्न मूल्य योजना के बारे में पूछा गया था। वह ऐसा कहते रहे कि यह व्यावहारिक नही है। इस लिये इसे पूरा नहीं किया जा रहा है।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : उन्हें टाटा बन्धु के बारे में प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

श्री शाहनवाज खां : पहले वे इसके लिये तैयार थे और बाद में उन्होंने कहा कि इस से पर्याप्त लाभ नहीं होगा और इस लिये वह इस के लिये तैयार नहीं हैं और उन्होंने आशय पत्र वापस कर दिया। मैं प्रो० मधु दंडवते से सहमत हूं कि जहां तक उन ठेकों का संबंध है जो हमने विभिन्न देशों से किये हैं, उन देशों ने अब यह कह कर उर्वरकों की सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है कि उन्हे नेपथा नहीं मिल रहा है। यह सही बात है।

संसद भवन में चिकित्सा सुविधाओ के बारे में
RE : MEDICAL FACILITIES IN PARLIAMENT HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं डाक्टर को निलम्बित किये जाने के के बारे में आप द्वारा व्यक्त विचार के संबंध में कहना चाहता हूं। क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि आप कुछ उपयुक्त विचार व्यक्त करें कि मंत्री महोदय को मामले की जांच करने तथा आप को प्रतिवदन देने की अनुमति दी जाये और उन व्यक्त विचारों का ध्यान रखा जाये ? मेरे विचार में आप ने अपना विचार समय से पूर्व ही व्यक्त कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह जांच पर आधारित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको उपयुक्त विचार व्यक्त करने मेंसहायता देने के हेतु लिखा था। आप ने कहा कि मंत्री महोदय मामले की जांच कर रहे है, किन्तु क्या जांच प्रतिवेदन मिल जाने तक पीठाध्यक्ष द्वारा व्यक्त कोई विचार समय से पूर्व नहीं समझा जायेगा ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to know whether this matter cannot be referred to the medical council, so that the medical council may inquire into it ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जिस किसी ने भी लापरवाही का आरोप लगाया हो, मुझे यह आशा थी कि मंत्री महोदय समूचे मामले की जांच करेंगे और कम से कम मंत्री महोदय अपना निष्कर्ष निकालने के लिये स्वतंत्र होंगे और तब वे अपना प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत कर देंगे और तब आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप के द्वारा व्यक्त विचार को देखते हुये डा० कर्ण सिंह इस के विरुद्ध कैसे जा सकते थे।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I want to request that another clinic with a doctor should be opened here which may look after the press people and the visitors.

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला सभा के सामने आया, तो मैंने तुरन्त महा सचिव और अधिकारियों को इसकी जांच करने का काम सौंपा था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जब यह मामला सभा के सामने लाया गया था, तो मैंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा। जब जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, तो मुझे यह आशा थी कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछेंगे कि तथ्य क्या है। इस बीच डाक्टर को निलम्बित कर दिया गया और मुझे पता चला कि जो जांच हमारे कर्मचारियों ने की थी उसके तथ्यों के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। अतः मैंने उस जांच प्रतिवेदन को मंत्री महोदय के पास भेज दिया ताकि वह अपनी जांच कर सकें और इस बारे में कोई भी कार्यवाही कर सकें। इसी कारण मैंने कहा था कि मंत्री महोदय ने स्वयं कोई जांच नहीं की थी, किन्तु डाक्टर को निलम्बित कर दिया था। अतः हमारे कर्मचारियों ने मुझे परामर्श दिया कि मंत्री महोदय को स्वयं जांच करनी चाहिये थी अथवा उन्हें हम से वे तथ्य प्राप्त कर लेने चाहिये थे। इसलिये मैंने वह प्रतिवेदन उन्हें भेज दिया है। वह कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें पूरी स्वतंत्रता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। अब जब कि प्रतिवेदन उन्हें भेजा जा चुका है, वह उसका अध्ययन कर सकते हैं और अपनी जांच स्वयं करके जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं।

श्री शशि भूषण : एक अन्य क्लिनिक के खोले जाने के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : हमें भविष्य के लिये इस स्थिति को बदलना होगा। आज स्थिति यह है कि यहां के डाक्टर को संसद सदस्यों की चिकित्सा आदि का ध्यान रखना होता है। और अन्य लोगों को चिकित्सा के लिये निकट की केन्द्रीय सचिवालय औषधालय में जाना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु यह संसद भवन की सीमा क्षेत्र के भीतर है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : क्या मैं यह कह सकता हुँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हुं। वह अब खंड़े क्यों हो गये है।

श्री सी० के० चद्रप्पन : इस में जीवन का प्रश्न निहित है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय पहले से यह कैसे जान सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं।

मुझे मंत्रालय के साथ इस बारे में चर्चा करनी होगी कि किस प्रकार इन मामलों में प्रबन्ध किये जायें अर्थात् यदि संसद सदस्यों के अतिरिक्त प्रेस लाबी में अथवा विजिटरों के संबंध में भी किसी ऐसे अत्यावश्यक मामले में क्या किया जाना चाहिये, ऐसी घटनायें ोती रहती हैं। मानवता के नाते यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि तुरन्त चिकित्सा राहत उपलब्ध की जाय।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री तेजा सिंह स्वतंत्र तो सम्वाददाता नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : उस मामले की मैंने जांच की थी और उस समय आप को इस बारे में बता दिया था कि उन्होंने क्या कहा था।

किन्तु इस मामले में मंत्री महोदय को हमसे पूछना चाहिये था या उन्हें स्वयं जांच करनी चाहिये थी। जब मैंने जांच की थी, तो उस समय मंत्री महोदय ने जांच नहीं की थी, सीधे ही निलंबित कर दिया गया था। आखिरकार भविष्य में यदि कोई ऐसी बात हो जाये, तो यह दिखाने के लिये रिकार्ड तो होना चाहिये कि कार्यवाही करने से पूर्व कोई प्रारम्भिक जांच की गयी थी। अब मैंने इस मामले को पूरी तरह आप पर छोड़ दिया है।

दूसरी बात जो मुझे बतायी गयी है, वह यह है कि जब संसद औषधालय में डाक्टर नियुक्त हो कर आते हैं, तो वे अपना निहित स्वार्थ बना लेते हैं और यहां से कभी भी जाना नहीं चाहते। इस डाक्टर की पदोन्नति की गयी थी, तो भी उन्होंने यहां से जाना पसंद नहीं किया।

इसी प्रकार एक अन्य डाक्टर भी थे जिन्होंने अपना समस्त सेवा काल यही बिता दिया। इसके अतिरिक्त वे कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त करने गये और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करके लौटे। वह यहां वापस आना चाहते थे। मुझे मालूम नहीं है कि यहां आकर्षण क्या है, यह तो सेवा करने का स्थान है। मैंने मंत्री महोदय से कहा है कि भविष्य में यहां एक सज्जन को भेजा जाना चाहिये जिसका मन मानवता की भावनाओं से भरपूर हो और जो निष्ठावान हो और जो इस प्रकार की आपत्ति न करे कि वह केवल संसद सदस्यों के लिये है और वह दूसरे लोगों के लिये नहीं है।

Shri Vikram Mahajan (Kangra) : The suggestion made by Shri Shashi Bhushan should be considered.

Shri Hukam Chand Kachwai (Moorena) : The employees should also get the medical facility here. The direction of the ministry in this regard can be changed.

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार इस बारे में कार्यवाही करना उनके विभाग का काम है।

I have been told now that three or four M. Ps. were being attended to by the Doctor. The patient came to the Lady Doctor, but he was not properly attended to. He then went to the compounder. It is my view that in the matter of emergent case, the patient should be attended to on priority basis. We should also be told about the appointment, transfer etc. At least I should know as to who is coming in or going out because if something happens I have to give the information.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The doctor has been posted in the Parliament House not for M.Ps. only but for all the persons who come here.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इससे बहुत दु:ख हुआ है। जब भी कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो डाक्टर को तत्काल रोगी के पास पहुंचना चाहिये, भले ही चार संसद सदस्य या दस संसद सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हों।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

1974–75 के लिए कुछ मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) वर्ष 1974–75 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) औद्योगिक विकास मंत्रालय

(दो) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(चार) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(पांच) वाणिज्य मंत्रालय

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—6510/74।]

केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 और आपात जोखिम (माल) (उपक्रम) बीमा (संशोधिन) स्कीम, 1974 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

(2) केन्द्रीय उत्पादन शल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० नि० 118(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—6511/74।]

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) न्यायनिर्णयन कार्यवाही तथा अपील नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 75 में प्रकाशित हुए थे ;

(दो) विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 80 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—6512/74 ।]

(4) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल)बीमा (संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 147(ङ) में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—6513/74 ।]**

(5) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 148(ङ) में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 6514/74।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 19 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 20 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा को विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक और आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक

GUJARAT STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL AND ECONOMIC OFFENCES (INAPPLICABILITY OF LIMITATION) BILL

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पारित)

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1974।

(2) आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक, 1974।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 25 मार्च, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची की किसी ऐसी सरकारी कार्य की मद पर विचार जिस पर विचार समाप्त न हुआ हो।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(3) चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 478 के अधीन सांविधिक संकल्पों पर चर्चा।

(4) आर्थिक अपराध (परिसीमा काल का लागू न होना) विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(5) वर्ष 1974–75 के लिए गुजरात के बजट पर सामान्य चर्चा।

(6) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(7) औद्योगिक विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(8) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(9) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(10) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

Mr. Speaker : I have received so many notices to raise various matters. It is very difficult to accommodate so many hon. Members. If there are less than five, let us confine ourselves to two and if there are more than ten, we should not go beyond one.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) **:** Let it be so from next week.

Mr. Speaker : All right. I agree with you.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) **:** It has been published in the newspapers of Bihar that incidence of small-pox is very high there and thousands of people are suffering from this disease. Thousands of children have died of small-pox. I would like to suggest that the Minister of Health should be asked to send a team of doctors to study the situation on the spot and suggest measures to prevent the disease and help the Bihar Government in this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय चर्चा का विषय यह है कि आगामी सप्ताह में किन किन मामलों पर विचार किया जाना है । यदि आप ऐसे मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिये नियम 377 या अन्य नियम है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) **:** मैं सरकार का ध्यान ब्रम्हपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका लोक सभा के गत सत्र के बुलेटिन में उल्लेख किया गया था परन्तु जिसे पुरःस्थापित नहीं किया गया था । मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करेगी या सभा को बतायेगी कि इस विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) **:** The Minister of Home Affairs should arrange to send a delegation to Bihar where firing has taken place and innocent persons have been killed, who should investigate this matter and help the family members of these people. This matter should be included in the Business for the next week.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** I want that a discussion on the proposed Railway strike should take place in this House during the next week. Steps should be taken to avert the strike to avoid inconvenience to the people.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) **:** I want that the House should discuss the problems of the blind because it is a very important question. They propose to observe hunger strike before Rashtrapati Bhawan.

I would request you to ask the Labour Minister to make a statement on the situation arising out of the agitation taking place in Hindalco in which the services of 12 persons have been terminated.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) **:** विदेशी स्वामित्व वाले बागान का राष्ट्रीयकरण करने हेतु अध्यादेश जारी करने की केरल सरकार को अनुमति देने के बारे में मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जिस पर चर्चा करने के लिये कोई दिन निश्चित नहीं किया गया । यह विधेयक बहुत

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

महत्वपूर्व है, परन्तु यह भारत सरकार के पास अभी तक विचाराधीन पड़ा है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर आगामी सप्ताह में चर्चा की जाये। दूसरे, मैं यह चाहता हूँ कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नई कृत्रिम बोतलों की व्यवस्था की जा रही है, जिसको जलाने से सफाई की समस्या चिकट रूप धारण कर लेगी। अत: मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पश्चिम बंगाल में गत एक महीने से 4800 डाक्टर और इंजीनियर हड़ताल पर हैं। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार उनकी समानता सम्बन्धी प्रमुख मांग पर विचार नहीं कर सकती। अत: इस मामले में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये और मन्त्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये कि क्या उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have been informed by a citizen of West Bengal that West Bengal Secondary Education Board has prescribed a text book of Geography in which the maps have some discrepancies. Some regions like Andaman and Nicobar Islands and Mizoram have not been included in them. I want that Minister of Education may be asked to make a statement in the House next week after consulting the State Government.

Secondly, some Adivasis and Harijans of Nahata Police Station of Damoh district of Madhya Pradesh were arrested in connection with a theft. They were baeten up mercilessly to get a confession and one tribal, named Mithoo died as a result thereof. A social worker of that place Shri Santosh Bharati, tape-recorded the statement of Mithoo before he died a copy of which I am sending to the Prime Minister. I also raised an issue in respect of a carpenter of District Monghyr a number of times, but the hon. Minister has failed to make a statement thereon so far. The Parliamentary Committee for the Welfare of Secheduled Castes and Scheduled Tribes should look into this matter. Shri Santosh Bharati and his colleague Shri Sharad Yadav have been arrested by the Government of Madhya Pradesh under MISA which is unfair. The hon'ble Minister, Shri Raghuramaiah may please be asked to make a statement on these issues next week, otherwise we will be compelled to gherao him.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : गत सोमवार को जब आदिवासियों पर अत्याचार का मामला उठाया गया था तब श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अध्यक्ष महोदय से अपील की थी कि जब कभी हरिजनों और आदिवासियों पर हमला किया जाये, गृह मंत्री को उस विषय पर स्वयं वक्तव्य देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाये तो उन्हें प्रसन्नता होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं गत दो सप्ताहो से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक वक्तव्य की मांग कर रहा हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई और पांचवीं योजना तैयार नहीं है। आप योजना मंत्री से कहे कि वह हमें आगामी सप्ताह में पांचवीं योजना के बारे में जानकारी दें।

इस समय छात्रों में भारी असंतोष है क्योंकि उनकी उचित मांगों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अनेक छात्रों ने अपने आप को गिरफ्तार भी कराया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय हमें अगले सप्ताह मे बताये कि छात्रों की मांगें पूरी करने के लिये क्या ठोस और तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री समर गुह (कंटाई) : हमारे देश में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे इस बात का आभास होता है कि हमारा देश किसी अन्य देश का उपनिवेश बनता जा रहा है। आज 'टाइम्स आफ इंडिया' में लिखा था कि रूस से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भारत आ रहे हैं। यद्यपि मैं सहयोग के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इस प्रकार के समाचारों से लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है। अत: मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : डाक्टरों की हड़ताल को आज 80 दिन हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय दफ़्तरशाहों की स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना अपना निर्णय दें ताकि यह मामला शीघ्र सुलझ जाये ।

दिल्ली तथा अन्य नगरों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये और बताना चाहिय कि मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

छात्रों के विषय में मैं श्री मावलंकर का समर्थन करता हूं । छात्रों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मन्त्री को इस स्थिति पर विचार कर के समय रहते कार्यवाही करनी चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। मैं सम्बद्ध मंत्री को ये सब बातें प्रेषित कर दूंगा ।

श्री जी० ए० अप्पन, संसद सदस्य द्वारा आमरण अनशन के बारे में

RE : FAST UNTO DEATH BY SHRI G. A. APPAN, M. P.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : राज्य सभा के सदस्य श्री जी० ए० अप्पान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के मामले को लेकर आमरण अनशन रखा हुआ है। कुछ प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है। उन्होंने एक मांगपत्र भी परिचालित किया है। उसमें उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गवर्नरों, मुख्य मंत्रियों आदि से अपील की है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार के लिये संविधान के 80. 171 और 355 आदि अनुच्छेदों का संशोधन किया जाये। उस में आगे कहा गया है कि इन जातियों के सदस्यों की संख्या देश की जनसंख्या की 25 प्रतिशत है। ये सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 335 के अनुसार उन्हें कुछ आरक्षण प्राप्त हैं ।

संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि इन जातियों के चुने हुए विधान सभा सदस्य अपनी जन-संख्या के आधार पर निर्वाचन मंडलों आदि में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेंगे। यह भी विचार था कि मुख्य मन्त्री, प्रधान मंत्री व राष्ट्रपति आदि द्वारा उन्हें राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों आदि में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

परंतु संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 में आरक्षण न होने के कारण इन जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । अतः राज्य सभा में उनका प्रतिनिधित्व नगन्य है। इसी प्रकार राज्य विधान परिषदों में भी उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं ।

इन जातियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों में अनेक वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई। इसे अब दोगुना किया जाये। निहित स्वार्थों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये। उच्च पदों, गवर्नरों, राजदूतों आदि के पदों पर भी उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है ।

इस सब स्थिति का शीघ्र सुधार होना चाहिये । इन जातियों के लोगों में अर्हताप्राप्त, अनुभवी एवं सक्षम व्यक्तियों की कमी नही है। अतः इन सब उपरोक्त शिकायतों को दूर करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 80, 171 और 335 में संशोधन किया जाना चाहिये ।

यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन मांगों की पूर्ति के लिये सरकार का क्या आश्वासन देने का विचार है ।

लेखानुदानों की मांगे (गुजरात), 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GUJARAT), 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (गुजरात) मतदान के लिये रखी गई और स्विकृत हुई :

The following Demands for Grants on Account (Gujarat) for the year 1974-75 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
2	मंत्री परिषद .	2,78,000	—
3	चुनाव . . .	4,81,000	—
5	सामान्य प्रशासन विभाग	15,14,000	—
6	पा रपत्र प्रतिष्ठान . . .	27,000	—
7	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (सामान्य प्रशासन विभाग)	3,54,000	—
8	विविध सामान्य सेवाएं (सामान्य प्रशासन विभाग)	1,15,000	—
9	भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहन (सामान्य प्रशासन विभाग)	24,000	—
10	कला और संस्कृति (सामान्य प्रशासन विभाग) .	8,000	—
11	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (सामान्य प्रशासन विभाग)	42,000	—
12	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवा (सामान्य प्रशासन विभाग)	16,000	—
13	सामान्य प्रशासन विभाग (आयोजन) तंत्र	1,58,000	—
14	आर्थिक सलाह और अंक संकलन .	10,11,000	—
15	सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	2,84,000
17	बिक्री कर . . .	62,22,000	—
18	मनोरंजन और शिक्षा उपकर पर राजस्व व्यय	2,40,000	—
19	अल्प बचत संगठन	3,93,000	—
21	वित्त विभाग . . .	7,48,000	—
22	राज कोष और लेखा प्रशासन .	39,62,000	—
23	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	1,40,33,000	—
24	वित्त विभाग के संबंध में अन्य राजस्व व्यय	1,86,70,000	—
25	शिक्षा उपकर का संग्रह . . .	14,50,000	—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
26	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (वित्त विभाग)	4,000	—
27	वित्त विभाग आयोजन तन्त्र . .	25,000	—
28	भारतीय भागींदारी अधिनियम और सामान्य बीमा के प्रशासन पर राजस्व व्यय	3,97,000	—
31	वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	6,03,000
33	न्याय प्रशासन	72,53,000	—
34	विधि विभाग . .	5,03,000	—
35	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (विधि-विभाग) .	56,000	
36	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (विधि विभाग)	1,59,000	—
37	धार्मिक और पूर्तअक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	2,94,000	—
38	कानूनी विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	3,62,000
40	सिविल सप्लाई . .	5,37,000	—
41	खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग . .	1,61,000	—
42	खाद्य और पोषाहार (खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग)	43,49,000	41,70,00,000
44	खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम	—	1,92,000
45	राज्य विधान मण्डल . .	8,63,000	—
46	गुजरात विधान मण्डल सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	60,000
48	विदेशों से सहायता सामग्री के खाते का समायोजन	2,47,000	—
49	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	5,00,000	—
50	सहायता सम्बन्धी निर्माण कार्य (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	4,000	—
51	अन्य सामाजिक और सामुदायिक कृषि सेवायें (कृषि वन और सहकारिता विभाग)	52,000	—
52	कृषि, वन और सहकारिता विभाग .	5,24,000	—
53	सहकारिता (कृषि वन और सहकारिता विभाग)	79,51,000	61,19,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
54	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	2,23,000	—
55	कृषि (कृषि, वन और सहकारिता विभाग) .	1,79,55,000	22,59,000
56	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	3,60,08,000	22,68,000
57	पशु पालन .	82,45,000	—
58	डेरी विकास	2,06,000	—
59	मत्स्य पालन . . .	30,10,000	8,99,000
60	वन	62,99,000	10,07,000
62	कृषि, वन और सहकारिता विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	12,00,000
63	राज्य उत्पादन शुल्क .	7,55,000	—
65	शिक्षा और श्रम विभाग	4,79,000	—
66	शिक्षा . . .	27,30,24,000	32,84,000
67	कला और संस्कृति (शिक्षा और श्रम विभाग) .	11,87,000	—
68	विज्ञान सम्बन्धी सेवायें और अनुसन्धान	40,000	—
70	श्रम और रोजगार . . .	46,46,000	—
71	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (शिक्षा और श्रम विभाग)	2,91,99,000	4,90,000
72	शिक्षा और श्रम विभाग—आयोजन तंत्र .	17,000	—
73	शिक्षा और श्रम विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	7,67,000
74	मोटर गाड़ियों पर कर . . .	4,01,32 000	—
75	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (गृह विभाग)	2,75,000	—
76	गृह विभाग	4,19,000	—
77	पुलिस . . .	8,15,35,000	—
78	जेल . . .	22,96,000	—
79	अन्य प्रशासनिक सेवायें (गृह विभाग)	23,62,000	—
80	कला और संस्कृति (गृह विभाग) . .	20,000	62,000
81	सूचना और प्रचार . . .	23,20,000	—
82	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (गृह विभाग) .	41,000	—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
83	सड़क और जल परिवहन सेवायें	4,61,000	—
84	पर्यटन	3,06,000	—
85	गृह विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	18,14,000
86	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	5,30,000	—
87	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	91,98,000	—
88	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	89,000	—
89	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	7,45,000	12,89,000
90	उद्योग, खान और बिजली विभाग .	2,89,000	—
91	निर्यात प्रोत्साहन . . .	—	—
92	सहकारिता (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	2,04,000	8,16,000
93	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	4,75,000	—
94	उद्योग	14,24,000	—
95	ग्रामीण और लघु उद्योग . . .	35,51,000	3,90,000
96	खान और खनिज . . .	26,84,000	—
97	विद्युत परियोजनायें . . .	28,12,000	3,28,56,000
98	मशीन और इंजीनियरी उद्योग . .	—	3,27,000
100	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निपेक्ष .	—	13,17,000
101	बहु परियोजना, नदी योजनायें (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	—	50,00,000
102	उद्योग खान और बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	4,77,000
104	अग्नि से सुरक्षा और नियंत्रण . .	3,000	—
105	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग . .	5,90,000	—
106	सामुदायिक विकास . . .	3,27,58,000	—
107	चिकित्सा	4,76,08,000	—
108	परिवार नियोजन . . .	1,59,10,000	—
109	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति . .	3,26,88,000	1,48,25,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
110	नगरीय विकास (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	50,50,000	1,72,000
111	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	50,76,000	—
112	देवी विपत्तियों के कारण राहत कार्य (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	10,00,000	—
113	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग आयोजन तंत्र .	16,000	—
114	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समर्पण	1,43,69,000	—
116	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्म-चारियों को ऋण और अग्रिम	—	6,84,000
118	गैर रिहायशी इमारतें . . .	2,95,60,000	80,88,000
119	अन्य प्रशासनिक सेवायें (लोक निर्माण कार्य विभाग)	8,50,000	—
120	आवास (लोक निर्माण कार्य विभाग) .	67,69,000	1,06,85,000
121	राहत कार्य (लोक निर्माण कार्य विभाग) .	60,14,000	—
122	लोक निर्माण कार्य विभाग . .	8,89,000	—
123	सहकारिता (लोक निर्माण कार्य विभाग) .	67,000	1,00,000
124	सिंचाई	9,19,17,000	11,03,65,000
125	बन्दरगाह	1,38,12,000	85,99,000
126	ग्लाइडिंग क्लब . . .	24,000	—
127	सड़क और पूल . . .	4,61,19,000	70,23,000
128	गुजरात राजधानी निर्माण योजना .	—	32,67,000
130	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (लोक निर्माण-कार्य विभाग)	—	1,34,000
131	लोक निर्माण कार्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	9,14,000
132	भू राजस्व	50,14,000	—
133	स्टाम्प और पुंजीकरण . . .	11,02,000	—
136	राजस्व विभाग . . .	11,43,000	—
137	जिला प्रशासन . . .	97,16,000	—
138	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व विभाग) .	17,000	—
139	शहरी विकास (राजस्व विभाग) .	84,000	—
140	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (रजस्व विभाग)	11,80,000	23,36,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
141	दैवी विपत्तियों के कारण राहता कार्य (राजस्व विभाग)	3,68,00,000	—
142	डंग्स जिला	69,81,000	2,25,000
143	कृषि (राजस्व विभाग) . .	—	20,00,000
144	क्षतिपूर्ति और समर्पण (राजस्व विभाग) .	26,46,000	6,67,000
146	राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	7,67,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1973-74

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT); 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973–74 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (गुजरात) मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants (Gujarat) for the year 1973-74 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
	क. राजस्व से व्यय	
2	सामान्य प्रशासन विभाग	4,73,000
3	क्षेत्रीय और राजनीतिक पेंशनें	8,000
4	भारतीय नरेशों के प्रिवी पर्स और भत्ते . . .	90,000
6	बिक्री कर	18,99,000
9	वित्त विभाग	5,58,000
10	वित्त विभाग से सम्बद्ध अन्य राजस्व व्यय . . .	17,02,000
11	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	31,33,000
12	कानून विभाग	3,000
13	न्याय प्रशासन	3,73,000
14	कानून विभाग से संबद्ध अन्य व्यय	3,10,000
16	लोक निर्माण विभाग	1,64,000
17	सिंचाई और नौचालन	2,62,18,000
19	लोक निर्माण विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय . .	1,000
20	लोक निर्माण कार्य	3,90,18,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
21	पतन और नौचालन	1,000
22	भू राजस्व	12,21,000
23	स्टाम्प और पंजीकरण	5,16,000
25	राजस्व विभाग	1,70,000
26	डांग जिला	55,98,000
27	अकाल सहायता	6,73,07,000
28	राजस्व विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय . . .	16,56,000
30	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग	3,15,000
31	चिकित्सा	81,72,000
32	लोक स्वास्थ्य	75,42,000
34	सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासात्मक निर्माण कार्य	1,000
36	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय . .	4,000
37	राज्यीय उत्पादन शुल्क	3,74,000
40	शिक्षा	23,03,000
41	श्रम और रोजगार	66,000
42	शिक्षा और श्रम विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय . .	2,000
44	मोटर गाड़ियों पर कर और गृह विभाग से संबद्ध अन्य कर तथा शुल्क	32,04,000
45	गृह विभाग	1,31,000
46	जेल	2,25,000
47	पुलिस	2,11,79,000
48	गृह विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय . . .	35,24,000
49	उद्योग, खान और बिजली विभाग से संबद्ध अन्य कर और शुल्क .	1,87,000
50	उद्योग, खान और बिजली विभाग	36,000
51	उद्योग	2,000
54	उद्योग, खान और बिजली विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय .	24,56,000
56	कृषि, वन और सहकारिता विभाग . . .	1,58,000
57	कृषि	1,000
58	पशु पालन	63,98,000
60	मत्स्यपालन	1,000
61	वन	3,000
62	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबद्ध अन्य व्यय . .	5,000
64	खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग	1,65,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
65	खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग से संबद्ध अन्य राजस्व व्यय .	1,01,13,000
	ख. पूंजी खाते का व्यय	
67	पेंशनों के राशीकृत मल्य की अदायगी . . .	50,000
68	सिंचाई और नौचालन पर पूंजी परिव्यय . . .	9,09,36,000
69	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय	14,75,000
70	गुजरात की राजधानी पर व्यय	2,000
76	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (शिक्षा और श्रम विभाग)	2,00,000
78	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	1,000
81	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	1,000
83	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबद्ध सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	87,42,000
	ग. ऋण शीर्षों के अन्तर्गत व्यय	
92	लोक निर्माण विभाग से संबद्ध ऋण और अग्रिम ' . .	1,000
94	राजस्व विभाग से संबद्ध ऋण और अग्रिम . . .	3,00,84,000
96	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध ऋण और अग्रिम .	15,10,000
99	उद्योग, खान और बिजली विभाग के संबद्ध ऋण और अग्रिम .	2,000
101	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबद्ध ऋण और अग्रिम .	12,41,000
103	सिविल पूर्ति विभाग से सम्बन्धित ऋण और अग्रिम . .	7,17,000

गुजरात विनियोग विधेयक' 1974

GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लियें गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगे (रेल्वे), 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत ही कम है । मंत्री महोदय ने रेलवे बजट को आज ही राज्य सभा के पास भेजने का अनुरोध किया है । इसके लिये सत्ताधारी दल को सहयोग करना होगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आज के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय में रेलवे का बहुत ही आवश्यक योगदान है । रेलवे को ठीक ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार कहा गया है । स्वाधीनता के पश्चात हमारी रेलों में पर्याप्त प्रगति हुई है । यात्री एवं माल यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई है । फिर भी 1973 का वर्ष रेलवे के लिये बहुत ही संकट पूर्ण सिद्ध हुआ है । परंतु वर्ष 1974 और भी अधिक संकट पूर्ण वर्ष प्रतीत हो रहा है । वर्तमान रेल मंत्री को अनेक हड़तालों, 'नियमानुसार काम करो' आंदोलनों आदि का सामना करना पड़ा है । उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने का अनुरोध

किया है ; परंतु अनुरोध मात्र ही पर्याप्त नहीं। सरकार को कुछ ठोस उपाय करने चाहिये। रेलवे को 1973 और 1974 में उग्रवादी मजदूर यूनियनवाद का सामना करना पड़ा है। इसका रेलवे के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा है। भारतीय रेलवे में 700 वर्गों के कर्मचारी हैं। परंतु यूनियनों की अधिकता कार्य में बाधक है। इससे अनेक समस्याएं हल होने के स्थान पर नई पैदा हो जाती हैं। अतः मैं सरकार तथा अन्य राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि रेलवे में ऐसे औद्योगिक संबंधों का वातावरण बनाया जाये जिससे देश एवं जनता को कठिनाई न हो। राजनैतिक दलों और मजदूर यूनियनों ने आज रेलवे को अपनी शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना र ा है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। अतः ये लोग रेलवे के कार्यकरण से ही नहीं जनता के जीवन से भी खेल रहे हैं। यदि रेलवे का काम कुछ दिनों के लिए ही रुक गया तो कोयला, खाद्यान्न व प्रतिरक्षा प्रयोजनों से हो रही सभी सप्लाई प्रभावित होगा। अतः मैं सभी राजनैतिक दलों से अपील करता हूं कि वे रेलवे को अपनी कार्यवाहियों का अखाड़ा न बनायें। इसके साथ ही मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि मामले में अपेक्षित शीघ्रता बरती जाये और अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित किये जायें और बनाये जायें।

सरकार ने पिछड़े एवं अल्प-विकसित क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बीछाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है। परंतु सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन-किन क्षेत्रों में नई रेलवे लाईनों का निर्माण किया जा रहा है। मेरे राज्य में सबरकांठ जिले में नाडियाड, कपडबानाज और मोडासा के बीच रेल लाइन के निर्माण की मांगे काफी समय से की जा रही है। ये क्षेत्र शिक्षा, व्यापार आदि की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इन लाइनों का निर्माण आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद होगा। कम से कम नडियाड और कपडबानाज के बीच छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाये और तब इसे मोडासा तक बढाया जाये जो कि सबरकंठ जिले का मुख्य नगर है।

रेलवे बोर्ड काफी समय से भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाईन के निर्माण पर विचार कर रहा है परंतु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसका सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है। अतः इसका निर्माण शीघ्रता से कराया जाये। रेलवे प्रशासन 1882 से सौराष्ट्र प्रदेश में रेलवे लाईन बिछाने के प्रश्न पर विचार कर रहा था परंतु क्षेत्र में 300 एकड़ों के स्थित होने व कुछ कानूनी अडचणों के कारण कुछ किया नहीं जा सका। इस लाईन के निर्माण से न केवल भावनगर, पोरबन्दर, जामनगर व सौराष्ट्र के अन्य स्थानों को लाभ होगा अपि तु इस क्षेत्र के अन्य स्थान भी इससे लाभान्वित होंगे। इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों से भी अच्छा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि अहमदाबाद-दिल्ली लाईन को बड़ी लाईन में बदला जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसमें शीघ्रता की जाये।

गांधीनगर गुजरात राज्य की नई राजधानी है अतः विरार-अहमदाबाद/साबरमती लाईन को गांधीनगर तक विद्युतीकृत किया जाये। असंख्य व्यक्ति प्रतिदिन कामकाज के लिये अहमदाबाद आते-जाते हैं। बम्बई-मद्रास और कलकत्ता की तरह उन्हें भी रियायती मासिक टिकटें जारी की जायें।

अहमदाबाद-डोलका-डांडुका लाईन पर यात्रियों को जंजीर खींचने आदि की घटनाओं के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। इसे रोकना चाहिये। सीटों के आरक्षण में जो भ्रष्टाचार है उसे रोका जाना चाहिये।

सौराष्ट्र में रेलवे लाइनों के साथ साथ बहुत सा कूडा-करकट जमा है। स्थानीय अधिकारियों और रेलवे प्रशासन में इसके उत्तरदायित्व के बारे में झगड़ा है। रेलवे प्रशासन को इस कूडे-करकट को हटाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

अहमदाबाद से कानपुर, लखनउ और वाराणसी के लिये सीधी गाड़ी नहीं है, यात्रियों को पहिले दिल्ली आना पड़ता है। इस पर विचार किया जाये।

[श्री पी० जी० मावलकर]

पैराम्बूर की इन्टेगरल कोच फैक्टरी में कुछ आधुनिक रेल डिब्बों का निर्माण किया गया है जिन्हें वातानुकूलित डिब्बों आदि के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में भी अनुसन्धान किया जाये।

नैनपुर नामक एक छोटे से फ्लैग स्टेशन का नाम इन्दुलाल याज्ञिक नगर रखने के लिये गुजरात की जनता मांग कर रही है। मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। गृह मंत्री को भी इससे सहमत होकर नाम को शीघ्रता से बदलना चाहिये।

श्री थाकिरूतिनन (शिवगंज) : रेल का राष्ट्र के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1973–74 के बजट अनुमानों के अनुसार इसमें 3890 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और लगभग 15 लाख श्रमिक इसमें काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र का सबसे बडा उपक्रम होने के नाते रेलवे से आशा की जाती है कि वह मार्गदर्शक का रूप अपनाये।

लगातार 15 वर्षों तक रेलवे द्वारा लाभ कमाया जाता रहा परंतु उसके पश्चात इसकी अर्थव्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। 1966–67 से 1974–75 तक के सात वर्षों के दौरान धारा बढता रहा और परिचालन लागत बढती रही। रेलवे बजट तैयार करते समय प्रतिवर्ष परिचालन लागत को कम दिखाया जाता है। जिससे बाद में पुनरीक्षित बजट अनुमानों में उसे बढाना पड़ता है। 1971–72 और 1972–73 के बजट में परिचालन लागत का अनुपात 82.7 प्रतिशत और 81.8 प्रतिशत बताया गया जबकि वास्तविक आंकड़े क्रमश: 851 प्रतिशत और 83.7 प्रतिशत थे। 1973–74 के लिये परिचालन लागत का अनुपात 83.5 प्रतिशत लगाया गया। अब यह बताया गया है कि रेलवे के खर्चे में अत्याधिक वृद्धि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप रेलवे के वेतन बिल में वृद्धि, ईंधन आदि को अधिक लागत के कारण परिचालन लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस सब का प्रभाव 1974–75 में परिलक्षित होगा।

अत: किराये तथा माल भाड़े में निरन्तर वृद्धि को रोकने का एकमात्र उपाय है परिचालन लागत को घटाना, परंतु यह तभी संभव है जबकि रेलवे प्रशासन इस बात को माने कि रेलवे एक सरकारी विभाग नहीं अपितु यह एक उद्यम है। माल यातायात को गति दी जानी चाहिये जिससे कि यात्री और माल यातायात के बीच बढता अन्तर कम हो सके। रेलवे प्रशासन के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रबन्ध की तत्परता का अभाव है और रेलवे मंत्री ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

भविष्य भी आशामय प्रतीत नहीं होता। देश को ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कोयले पर निर्भर रहन पड़ेगा। पांचवीं योजना में कोयले का उत्पादन 650 लाख टन से 1250 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। इसके अनुसार रेलवे को प्रति वर्ष 220–240 लाख टन कोयले की अतिरिक्त ढुलाई करनी होगी। परंतु रेलवे के कार्य-निष्पादन को देखते हुए, इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना प्रतीत नहीं होती। पिछले एक दशक में रेलवे प्रतिवर्ष 40 लाख टन से अधिक माल की ढुलाई नहीं कर पाई। सरकार को इसकी परिचालन दक्षता को सुधारने के लिये बहुत अधिक निवेश करना होगा और अथक प्रयास करने होंगे।

श्री हनुमन्तैय्या ने आश्वासन दिया था कि लगभग दो दशक के पश्चात सारे देश में ब्राड गेज लाइनें की व्यवस्था होगी। इससे यात्रियों को बहुत अधिक लाभ होगा। रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होगी। अत: सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहियें।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में दक्षिण रेलवे में किसी नई लाईन के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने अनेक अवसरों पर करूर से बरास्ता डिंडिगुल और मदुर तूतीकोरिन बन्दरगाह तक के लिये ब्राड गेज लाईन की आवश्यकता पर बल दिया है। ईसके अन्तर्गत करूर और डिंडिगुल से केवल 77 कि०मी० नई लाईन बनानी होगी और इससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक कम से कम दूरी के साथ सम्पर्क

स्थापित हो जायेगा। इस लाईन के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि इससे 10 प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त होगा। तूतीकोरीन बन्दरगाह पूरी होने वाली है। इस लाईन का उस बन्दरगाह के लिये विशेष महत्व है। मेरा यह आरोप है कि रेलवे मंत्री आर्थिक आधार के स्थान पर राजनतिक आधार पर नई लाईनों का चयन करते हैं। उन्हे यह समझना चाहिये कि रेलें केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिये नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत के लिये हैं।

दक्षिण रेलवे को प्रतिवर्ष होने वाली हानि को रोकने के लिये लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलने, डीजलीकरण और सभी महत्वपूर्ण रास्तों पर विद्युतीकरण की तत्काल आवश्यकता है। मीटर गैज लाईनों को ब्राड गैज में बदलने की रेलवे की स्वीकृत नीति भी है। इसके अतिरिक्त, मीटर गैज में परिचालन लागत अधिक हो ी है। गाडियों की गति भी कम होती है। दक्षिण रेलवे को तमिलनाडु और केरल से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं। परंतु इसके बावजूद, इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस काम को उच्च प्राथमिकता दी जाये और पूरा किया जाये।

मद्रास में द्रुत परिवहन पद्धति और महानगर परिवहन परियोजना का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में पर्याप्त शीघ्रता बरती जाये।

रेलवे केवल एक वाणिज्यिक उपक्रम ही नहीं है। परंतु देश के आर्थिक विकास के लिये आधार ढांचे की व्यवस्था भी इस पर निर्भर करती है। आर्थिक दृष्टीसे से पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन प्रबन्ध करना और वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभप्रद परंतु सामरिक दृष्टि से उपयोगी लाईनों को बनाए रखना और रेलवे प्रयोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना भी इसका उत्तरदायित्व है। इन सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिये रेलवे को भारी बोझ उठाना होगा।

रेलवे द्वारा खाद्यान्नों, नमक, मिट्टी के तेल आदि की ढुलाई पर लागत से कम भाडा लिया जाता है। इसको देखते हुए रेलवे को केन्द्र सरकार को जो लाभांश देना होता है वह उचित नहीं कहा जा सकता। 1971 की रेलवे अभिसमय समिति ने जो 22 करोड़ की राहत रेलवे को दी, वह इन सामाजिक दायित्वों के भार के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का केवल अंशमात्र है।

अन्य विकसित देशों में सामाजिक दायित्वों के भार को वहन करने के लिये रेलवे को विभिन्न प्रकार से क्षतिपूर्ति दी जाती है। ब्रिटिश, जर्मन, फ्रांसीसी, इटालवी आदि रेलों को अलाभप्रद रेल लाईनों पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दी जाती है। उपनगरीय यातायात पर होने वाली हानि के लिये भी ब्रिटिश, जर्मन तथा फ्रांसीसी रेलवे को क्षतिपूर्ति दी जाती है। कुछ रेलों में कार्यचलन व्यय पर राज-सहायता दी जाती है। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी रेलों को डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क से छुट प्राप्त है। परंतु भारतीय रेलों में यह स्थिति नहीं है। ब्रिटेन में सरकारी रूप से यह माना गया है कि जब तक सामाजिक दृष्टि से जरूरी लाईनों की हानियों का भार है तब तक रेलवे बोर्ड लाभ नहीं कमा सकता।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या लाभांश के नाम पर सामान्य राजस्व को इतना अधिक व्याज देना उचित है। जबकि परिसम्पत्तियों के लिये धनराशि विकास निधि, मूल्यह्रास आरक्षित निधि आदि से दी जाती है और यह निधियां रेलवे राजस्व से ली जाती हैं। अतः रेलवे को सामान्य राजस्व को लाभांश देने से छूट होनी चाहिये।

Shri Ramdev Singh (Maharajganj) : Present state of affairs of Railways hardly needs to be explained. To-day trains are suffering from the malady of late-running.

Shri Hanumanthaiya had tried to improve this situation. We had hoped that Shri Mishra would also make efforts to improve the working of Railways but the present chaotic condition of Railways had never been there before.

[Shri Ramdev Singh]

Unauthorised and anti-social elements have occupied Railway land outside the Shiwan Railway Station of N. E. Railways. I have been writing in this regard but no action has been taken.

We had never before heard the cancellation of Railway trains due to shortage of coal. Nobody could even imagine this. Mines Minister has accepted in the House that production of coal has increased after Nationalisation of coal Mines. But in fact trains are being cancelled due to shortage of coal.

Britishers had conducted a survey for laying a Railway line from Maharajganj to Sidoulia, while considering new lines, attention should be paid towards those lines also which have already been surveyed. If Maharajganj is linked to Daraunda and Maharajganj-Sidoulia line is laid and extended to Betia via Dumria, it can provide an easy access to the people of Lucknow and Uttar Pradesh for going to Nepal.

I appreciate the fact that new trains have been started from Samartipur to Delhi and Jamshedpur. I would like to suggest that more trains should be run on N. E. Railway which is the most neglected Railway so far.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं केवल दो ही समस्याओं का उल्लेख करूंगा । पहली बात तो यह है कि मेघालय को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये । मेघालय के राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि मेघालय को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये । 21 मार्च 1974 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार राज्यपाल ने यह आशा व्यक्त की कि मेघालय के गारो हिल्स तथा खासी हिल्स तक रेलवे लाइन बनाये जाने के अपने निर्णय को केन्द्र सरकार शीघ्र क्रियान्वित करेगी जिससे वहाँ आर्थिक दृष्टि से विराम हो सके । पेट्रोलियम मंत्री ने भी हाल में यह वक्तव्य दिया है कि मेघालय में कोयला पाए जाने की सम्भावना का पता लगाया जाएगा । किन्तु रेलवे लाइन के बिना वहाँ किस प्रकार इन सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता है । मेघालय ही एक ऐसा राज्य है जहाँ न कोई रेलवे लाइन है और न कोई हवाई अड्डा । गोहाटी विश्वविद्यालय ने अपने अध्यायन प्रतिवेतन में कहा था कि वहाँ रेलवे लाइन बनाई जा सकती है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

दूसरी समस्या रांगिया डिवीजन के बारे में है । रांगिया डिवीजन की मांग बहुत दिनों से की जा रही है । आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में बहुत वर्ष पहले आसाम की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि रांगिया डिवीजन का शीघ्र ही उद्घाटन किया जाएगा । उसके पश्चात् कई मंत्रियों ने उसी प्रकार के आश्वासन दिये किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया । मंत्री महोदय को हमारी कठिनाई भी समझनी चाहिये । जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे प्रश्न करती है । हम उन्हें क्या उत्तर दें ? अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में हमें वास्तविक स्थिति की जानकारी दें ।

श्री ए० एस० कस्तुरे (खामगाव) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पहली समस्या तो यह है कि वहाँ खामगांव से जालना तक एक नई बड़ी लाइन बनाई जाए । ये दोनों क्षेत्र बिछडे हुये क्षेत्र हैं । यह मांग बहुत दिनों से की जाती रही है । इस लाइन का इंजीनियरिंग तथा यातायात संबंधी सर्वेक्षण 1912–13 में आरम्भ किया गया था तथा इस बात को मंत्री महोदय ने भी अपने पत्र में ये स्वीकार किया है। 1933–34 में इस लाइन का निर्माणकार्य भी आरम्भ किया गया जो 1938–39 तक चला । युद्ध के कारण यह कार्य बन्द कर दिया गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान की ।

आश्चर्य की बात है कि अब मंत्री महोदय ने मेरे पत्र के उत्तर में बताया है कि यह लाइन अलाभप्रद है । पहले उन्से लाभप्रद माना गया था और चिखली तक इस लाइन पर काफी काम भी हो चुका है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस मामले पर पुनः विचार करें ।

दूसरे, जमवासू हाल्ट स्टेशन पर यथाशीघ्र कार्य आरम्भ कराया जाये। मुझे प्रसन्नता है मंत्रालय ने इस वर्ष वहाँ कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है। तीसरी समस्या यह है कि खामगांव मुख्य रेलवे लाइन से सम्बद्ध नहीं है। वहाँ पर स्थित कारखानों को देखते हुए तथा इसके व्यापारिक केन्द्र होने के कारण इसे मुख्य लाइन से जोड़ा जाना आवश्यक है।

मेरी यह भी मांग है कि 30 अप और 29 डाउन में बम्बई से खामगांव के लिये एक विशेष यात्री यान जोड़ा जाय। बुलडाना तक भी एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

Dr. Govind Das Richharia (Jhansi) : The role of the Railways is equally important both in war time and peace time. In this context, I would like to suggest that special attention should be given to meet the requirement of wagons during the five year plan. I would also like to suggest that the Railway workshop at Jhansi should be converted into a wagon building factory to meet the requirement of wagons in the country.

In view of the difficulties faced by the passangers going to Khajuraho and Devgarh, I suggest that Taj Express should be extended to Jhansi. I. it is not possible for the Government to do so, they should introduce any other train for Jhansi.

The long-standing demand for introducing an Express Train from Jhansi to Manikpur should also be fulfilled by the Government. A new railway line is badly needed in the backward area of Lalitpur, Chhatarpur, Panna, Rewa and Satna. Government should also make every effort to see that trains are run in time.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : In the context of the cut motions moved by me, I would like to suggest that Government should streamline the railway administration to remove unrest among the Railway employees. I would also like to know the justification for which the Railway Minister has demanded heavy amount as usual even after increasing the rates of fare without any increase in the facilities for the passangers.

Government should reconsider the demand for a new railway line from Dohad to Khandwa on the ground that this line would serve the people of the backward and Adivasi districts of Jhabua, Khargone and Dhar.

Ajmer-Khandwa metre guage line should be converted into broadguage line in view of the fact that this line is unable to cope with the increased traffic after the construction of cement factories.

I also suggest that a new railway line should be constructed between Ratlam and Durgapur *via* Banswada. Sadari-Udaipur line should be extended to Neemuch, Chittor-Kota line, for which servey was conducted, should be reconsidered.

Above 600-700 class II officers in Western Railway have not been confirmed for the past ten years. Government should take steps to declare them permanent as soon as possible.

I also demand that the Chetak Express Train should be extended upto Ratlam to save the time of passangers.

Khandwa-Ajmer and Beena-Bhopal trains run as passanger trains between Khandwa and Ratlam and Bilaspur and Beena, respectively. Passangers going beyond Ratlam or Beena have to get their tickets renewed at Ratlam or Beena by paying extra fares. In case they fail to get their tickets renewed, they have to pay double fare as penalty. I, therefore, suggest that correct fare should be charged from all the passangers at the station from which they purchase tickets to avoid this difficulty of renewal of tickets.

It has been observed that wagons are deliberately dumped by Gwalior Rayon Factory in Nagda resulting in non-availability of wagons to others. This matter should be looked into by the hon. Minister.

Dr. Laxminarain Pandeya

Digvijay Industries in Bangrand load less quantity of steel than that shown in the papers and make claims for the shortage of steel. Railway officers in Ratlam do not pay any attention to this malpractice.s I also suggest that Diesel Loco Shed in Ratlam and Loco Shed in Neemuch should be expanded.

श्री समर गुहा (घंटाई) : बंगाल के नवयुवकों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिये खडगपुर से डीगा तक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये, क्योंकि डीगा एक सुन्दर स्थान है जहाँ वे छुट्टियों में जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। डीगा एक पर्यटक केन्द्र है तथा रामनगर से सुपारी आदि लगभग 35 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात होता है। अतः आर्थिक दृष्टि से यह लाइन व्यवहार्य है। यह लाइन केवल 25–30 मील लम्बी है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : महोदय ! नीति, रेल किराये और भाड़े, कोयलें की ढुलाई आदि के बारे में लगभग सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। इस समय मैं यहाँ उठाई गई कुछ स्थानीय समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, गुना से माक्सी तक लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बननेवाली 193 किलोमीटर लम्बी लाइन का कार्य चल रहा है। 132 किलोमीटर लम्बी लाइन बन चुकी है तथा उस पर मालगाड़ियां चल रही हैं। आशा है यह लाइन 1975–76 तक पूरी हो जाएगी। घोराडूंगरी से हिरडगढ़ तक 73 किलोमीटर लम्बी लाइन का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस समय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

ढ़ल्ली-राझरा से जगदलपुर तक लाइन का अंतिम सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है। इससे बस्तर जिलें की जनता को लाभ होगा। मैंने बजट भाषण में कहा भी था कि इस लाइन को पांचवी योजना में बनाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सतना-रींवा तथा रामपुर-दमतारी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये भी सर्वेक्षण कराया गया है। इंदौर से महू रेलवे लाइन को बढ़ाये जाने के लिये भी सर्वेक्षण कराया गया है। मोहबा-खुजराहो लाइन की मांग की गई है तथा मैंने इस लाइन को सर्वेक्षण के लिये 1974–75 के बजट में सम्मिलित कर लिया है।

यद्यपि ग्वालियर-शिवपुर लाइन को अलाभप्रद नहीं बताया गया, तथापि मैं इस बात पर पुनः विचार करूंगा कि इसको बड़ी लाइन में बदला जाए। मैं मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाएगा क्योंकि यह वास्तव में पिछड़ा हुआ राज्या है।

बिहार के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि 1974–75 के बजट में समस्तीपुर-दरभंगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य सम्मिलित कर लिया गया है। इस लाइन के शेष भाग पर तब विचार किया जाएगा जब इसका स्वीकृत भाग पूरा हो जाएगा।

समस्तीपुर-सोनवरसा तथा सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर लाइनों का दुबारा सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा यदि इन लाइनों को व्यवहार्य पाया गया तो उनका निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। सीतामढ़ी स्टेशन के सुधार के लिये आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री मावलंकर ने भावनगर-तारापुर नई लाइन की मांग की है। इस पर अनुकूलता से विचार किया जाएगा। मेघालय के बारे में मैंने कहा था कि मेघालय की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि इसके लिये एक विशेष प्राधिकरण बनाया जाए जिसके सदस्य संचार, परिवहन और गृह मंत्री हों। आशा है कुछ महीने तक वहाँ के लिये कुछ योजनाओं के बारे में कोई निर्णय कर लिया जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद ने कुछ लाइनों की सूची बनाई है जिनके सर्वेक्षण की सिफारिश की गई है। इनमें से एक लाइन है जोगीघोपा-घारंगिरी। इस लाइन पर ब्रम्हपुत्र पर एक

पुल बनाये जाने की भी सिफारिश की गई है। 80 मील लम्बी इस लाइन पर लगभग 12 करोड़ रुपया लागत आने का अनुमान है। पुल के निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस्पात कारखानों से माल ढुलाई में रेलवे विभाग असफल रहा है। दिसम्बर, 1973 के आरम्भ तक स्थिति संतोषजनक रही किन्तु इसके पश्चात् नागपुर में खाद्य आन्दोलन के कारण इस क्षेत्र में स्थित इस्पात कारखानों से माल की ढुलाई लगभग बन्द हो गई। संकेत तथा दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा धीमीगति से काम करने तथा दक्षिण-पूर्व, मध्य तथा उत्तर रेलवे के लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के लिये आवागमन अस्तव्यस्त हो गया। पूर्वी तथा उत्तर सीमान्त रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारीयों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण भी यातयात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जनवरी, 1974 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ तथा इस अवधि में 5—8 लाख टन तैयार उत्पादों की ढुलाई की गई।

फरवरी, 1974 के आरम्भ में आद्रा डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्तरों के आन्दोलन से पुनः स्थिति खराब हो गई। गार्डों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण भी लगभग 60,000 माल-डिब्बे रुक गये। गार्डों की हड़ताल समाप्त होने पर इन माल डिब्बों को नियत स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इस्पात कारखानों में जमा माल की ढुलाई में लगभग 15 दिन लग जाएंगे। इस सम्बन्ध में इस्पात और खान मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाया हुआ है और यदि कर्मचारी सहयोग दें तो इस एकत्र माल की ढुलाई में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

नागपुर, कटोल, अलपा आदि स्टेशनों पर संतारों की ढुलाई के लिये माल डिब्बे उपलब्ध न होने की शिकायत की गई है। इस वर्ष के फरवरी महीने में नागपुर डिवीजन पर 974 माल डिब्बों में संतरा लाया गया। मार्च की 18 तारीख तक 922 माल डिब्बे इस कार्य के लिये उपलब्ध कराये गये। 20 मार्च तक केवल 57 माल डिब्बों की कमी रही।

जहाँ तक स्टेशनों पर बुक-स्टालों का सवाल है, मैंने गत वर्ष भी यह कहा था कि विभिन्न स्टेशनों पर शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को बुक स्टाल अलाट किये जायें। लगभग 600 रेलवे स्टेशनों पर लगभग 700 बुक-स्टाल है तथा हमने यह निर्णय कर लिया है कि शिक्षित बेरोजगारों को इन का ठेका दिया जाये जिससे उन्हें रोजगार मिल सके।

इस बात को देखते हुए कि नवयुवक सहकारी समितियां नहीं बना सकते, हमने यह निर्णय किया है कि यदि कोई नवयुवक रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले तो उसको ठेका दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि व्हीलर एण्ड कंपनी तथा गुलाबसिंह एण्ड सन्स के इस क्षेत्र में प्राप्त एकाधिकार को समाप्त किया जाए। यदि नवयुवक इस क्षेत्र में आगे आने का साहस करें तो मैं इन कम्पनियों को दिये सभी ठेकों को रद्द करने के लिये तैयार हूं। मैं खान-पान सेवा में भी नवयुवकों को ठेके देने को तैयार हूं। सरकार नवयुवकों को इस कार्य के लिये ऋण दिलाने के लिये भी प्रयत्न करेगी। इस सम्बन्ध में मैंने एक योजना बनाई है तथा मैं उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विषमताओं का भी उल्लेख किया गया है। वेतन आयोग ने विद्यमान वेतनमानों की बहुत अधिक संख्या को कम करने की सिफारिश की है जिसका आधार कार्यों तथा उत्तरदायित्वों की समानता रखा गया है। जिससे प्रशासनिक सुविधा रहे तथा कर्मचारियों को संतोष हो। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये मैंने विभागीय परिषद् की उप-समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जो वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति से उत्पन्न विषमताओं का अध्ययन करेगी। इस उप-समिति में सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि तथा संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे। आशा है इस माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को संतोषजनक ढंग से हल कर दिया जाएगा।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। औद्योगिक सम्बन्धों का ध्यान रखने के लिये कार्मिक सेवा का एक नया कैडर बनाने का निर्णय किया गया है। इस कैडर के

(श्री एल० एन० मिश्र)

अधिकारियों का कार्य श्रमिकों के हितों तथा उनकी समस्याओं को देखना होगा। इस उपाय से श्रमिकों की समस्याओं को शीघ्र ही सुना जा सकता है। इस कैडर के अधिकारी प्रत्येक डिवीजन में नियुक्त किये जाएंगे।

रेल सेवा आयोग के सम्बन्ध में मैंने सभा में कहा था कि सभी क्षेत्रीय रेलवे अपने-अपने आयोग स्थापित कर सकेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे में यह आयोग नहीं था तथा हमने उसके लिये मुजफ्फरपुर में आयोग बना दिया है। उत्तर रेलवे के लिये एक जयपुर तथा दूसरा श्रीनगर में उप-कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है। मध्य रेलवे के लिये जबलपुर में एक उप-कार्यालय होगा।

हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। वर्ष 1970–71 में प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद क्रमश: 37 और 14 थे तथा क्रमश: 33 और 6 स्थानों को भरा गया। द्वितीय श्रेणी में वर्ष 1971–72 के दौरान आरक्षित पद क्रमश: 15 और 8 थे तथा क्रमश: 14 और 3 स्थानों को भरा गया। तृतीय श्रेणी के मामले में वर्ष 1972–73 में आरक्षित पद क्रमश: 1,570 और 991 थे तथा क्रमश: 967 और 273 पदों को भरा गया। चतुर्थ श्रेणी के मामले में वर्ष 1972–73 में ऐसे पद क्रमश: 5,326 और 5,046 थे जिनमें से क्रमश: 6,997 और 2,991 पदों को भरा गया।

मारवाड़ जंक्शन और फालना स्टेशनों में यात्रियों के लिए क्रमश: 8 और 4 पानी के नल है। हमारा उद्देश्य यह है कि यात्रियों को पीने का अच्छा पानी मिले। राजधानी एक्सप्रैस में शीतल जल की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सार्वजनिक महत्व की सेवाओं की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री पराशर ने जो वाजिब सुझाव दिए हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जायेगा।

इस समय दिल्ली/नई दिल्ली से पठानकोट होते हुए जम्मू तवी तक 59/60 श्रीनगर एक्सप्रैस तथा 33/34 काश्मीर मेल चलती है। 10 अप्रैल 1974 से 59/60 श्रीनगर एक्सप्रैस के 6 डिब्बे पठानकोट में समाप्त होंगे तथा वहां से फिर चलेंगे। इसी प्रकार 33/34 काश्मीर मेल की एक तीसरी श्रेणी का डिब्बा पठानकोट से लगेगा, इसमें पठानकोट के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। नांगल-तलवाड़ा को रेल से जोड़ने तथा वर्तमान तलवाड़ा मुकेरियां ब्रांच लाइन को सुदृढ बनाने हेतु एक यातायात सर्वेक्षण किया गया है हालांकि यह परियोजना लाभप्रद नहीं होगी फिर भी इससे पिछड़े क्षत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। यह कहना सही नहीं है कि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि में वृद्धि हो रही है। 1971–72 में यह राशि 13.54 करोड़ रुपये थी जबकि 1972–73 में यह घट कर 13.32 करोड़ रुपये रह गई। इसी प्रकार 1968–69 में बिना टिकट यात्रा से हुई हानि 84.66 लाख रुपये थी, 1969–70 में यह राशि 33.25 लाख रुपये थी और 1972-73 में यह कम होकर 17.39 लाख रुपये तक आ गई।

यह कहना गलत है कि रेलवे लाइनों के निर्माण तथा डीजल इंजिनों के आवंटन में संकीर्ण रुख अपनाया जाता है तथा दक्षिण रेलवे के साथ पक्षपात किया गया है। हमने डीजल इंजिनों का दो तिहाई भाग दक्षिण रेलवे को आवंटित किया है। यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण रेलवे को उसका अपेक्षित भाग नहीं दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में यदि आप मांग संख्या 14 देखेंगे तो पायेंगे कि नई लाइनों के लिए 4.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मांग संख्या 15 में अन्य निर्माण कार्यों के लिए 13.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और मांग संख्या 14 और 15 के अधीन पृष्ठ संख्या 139 पर यह राशि 33 करोड़ बैठती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीबीनगर से नदुगडा तक नई लाईन का निर्माण तथा गुंटूर से मदुरेला और गुंटूर से हिंदुपुर तक 34 करोड़ रुपये की लागत से छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना है। मैसूर राज्य में मंगलौर से हसन

और तरनाकुण्डा से मदुकला तक नई रेलवे लाईन के निर्माण तथा 41 करोड़ रुपये की लागत से बंगलौर से हिंदुपुर तक छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की परियोजना है। दक्षिण में एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक तथा त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी और तिन्नेवेल्ली से नागरकोइल तक 28 करोड़ रुपये की परियोजना है।

जहां तक श्रमिक असंतोष की बात है, मेरी यह पुनः अपील है कि वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पहले भी अनेक बार हड़ताल होने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। रेलवे कर्मचारियों की संपर्क समिति 10 अप्रैल से समूचे देश में हड़ताल करने की धमकी दे रही है। उनकी मांगों को मानने से रेलवे का खर्चा 450 करोड़ रुपया आयेगा। रेलवे इतना खर्चा वहन नहीं कर सकती है। रेलवे में गुप्त मतदान द्वारा एक यूनियन बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने से 100 करोड़ रुपये का व्यय करना पड़ा है। यदि हम उनकी सभी मांगों को स्वीकर करते हैं तो उससे 450 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कहां से हो सकेगी ? इन मांगों को पूरा करना असंभव है। मांगें युक्ति संगत होनी चाहियें।

मैं रेलवे कर्मचारियों से पुनः अपील करूंगा कि वे हड़ताल न करें। हड़ताल करने से उन्हें ही नुकसान होगा। यूनियन के नेता यदि वस्तुतः इस मामले में उत्सुक है तो वे बातचीत कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए। रेलवे में तीन वर्षों तक हड़तालों पर रोक लगनी चाहिए जिसके देश की तथा रेलवे की स्थिति सुदृढ हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि राज्य सभा आगामी सप्ताह स्थगित होने जा रही है, इसलिए उसे विनियोग विधेयक समय रहते भेजा जाना चाहिए। हम इस पर चर्चा करके गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। इसलिए समयाभाव के कारण माननीय सदस्य छोटे प्रश्न करें। श्री राम हेडाऊ।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : I want to know as to what is being done in respe ct of Railway line from Narkhed to Amravati which is a backward area of Vidarbha and the survey in respect of which had been carried out during British rule.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : A survey in respect of constructing broad guage line from Indore to Mahu was carried out. It has been mentioned in the Report that it is unremunerative. Will this be considered, keeping in view the military importance of Mahu ? Otherwise, will they carry out survey for constructing broad guage line from Khandwa to Ajmer ? Why the work on overbridge at Siaganj of Indore has not been taken up ? When this will be started ?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : अराह-ससाराम नामक लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में न लेने का कारण आय की कमी बताया गया है। क्या रेलवे की नई नीति के संदर्भ में इस पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : When the scheme regarding recognition of union through secret ballot will be implemented ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : We are thankful for the construction of broad-gauge line from Samastipur to Darbhanga. Construction of broad gauge line from Muzaffarpur to Motihari Bagha will benefit the people. Will it be taken into considera-tion ? In the same way, there is need of an overbridge or underbridge at Motihari.

श्री मनुभाई एन० पटेल (बलसार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा रेलवे स्टेशनों में स्टाल लेने के बारे में कितने आवेदन पत्र आए हैं और कितने को ऐसे स्टाल वस्तुतः दिए गए ?

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : A survey was conducted to convert Bhatni-Maduwade line into broad gauge line. Is it under their consideration ?

Shri R. R. Sharma (Banda) : Is it under consideration to run an Express train from Jhanshi to Allahabad ?

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Telephone should be provided at Sitamarhi. Similarly provision of dining-car should be made in De-Lux train. A Railway bridge should be constructed in between Patna and Hazipur.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Nothing has been done to construct an overbridge at Samastipur. Till that is constructed, the booking office should be situated towards court's side. The Jayanti Janata should have a First class coach. Otherwise an A.C.C. Coach should be attached in Assam Mail.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों के प्रति जो कठोर रवैया अपनाया हुआ है वह उसे सहयोग देने का तरीका नहीं है। रेल यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 10 अप्रैल से हड़ताल पर जाने का जो नोटिस दिया है उसका तात्पर्य यह है कि यदि रेल मंत्री ने 10 अप्रैल से पूर्व उनको बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया तो वे आगे की कार्यवाही करेंगे ? क्या रेल मंत्री महोदय उसे बातचीत करेंगे ?

श्री धामनकर (भिवंडी) : कोंकण रेलवे के सम्बन्ध में, रेल मंत्री ने अम्टा-दासगांव सेक्शन का उल्लेख किया था। क्या इस सेक्शन का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया जायेगा ?

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : May I know when the Rajgir line will be extended upto Bodhgaya ? What action is being taken to provide for the stoppage of Rajdhani Express at Gaya ? Besides, what is being done in regard to the assurance pertaining to the construction of an overbridge at Gaya ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : केरल में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए जो राशि आवंटित की गई है, वह बहुत कम है। क्या इसके लिए और अधिक राशि की व्यवस्था की जायेगी ? चूंकि केरल में बिजली सुलभ तथा सस्ती है। इसलिए क्या पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के मामले में केरल को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : रंगिया डिवीजन के बारे में स्थिति क्या है ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : When the assurance regarding extension of Mandar Railway will be implemented ? Mandar has great importance.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): वर्ष 1940 के मध्य में हजारीबाग रोड से गिरीडीह, दुमका और रामपुरहाट तक कोयले के लिए रेलवे लाईन का सर्वेक्षण किया गया था परन्तु वह स्थगित कर दिया गया था। यह वर्तमान स्थिति में आवश्यक हो गया है। मंत्री महोदय को इसके बारे में क्या कहना है ? राजधानी एक्सप्रैस को मधुपुर में रोकने की मांग की गई है, क्या वह इसके बारे में बतायेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न उठाये हैं जिनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उन सब प्रश्नों की जांच करवा कर बाद में उत्तर दूंगा।

मैं आराह-ससाराम रेलवे लाईन के मामले में श्री विभूति मिश्र की सहायता करूँगा। परन्तु मैं उनको इस समय कोई वचन नहीं दे सकता। इसी प्रकार मुज्जफरपुर-मोतीहारी रेलवे लाईन के बारे में इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। मुझे आशा है कि उपरी पुल का निर्माण यथाशीघ्र किया जायेगा। अनुसूचित जाति के ठेकेदारों के बारे में म माननीय सदस्य को लिखूंगा। झांसी-इलाहाबाद एक्सप्रैस के बारे में भी मैं उनको बाद में लिखूंगा। मैं सीतामढ़ी में `लीफोन व्यवस्था करने की बात समझ नहीं सका हूँ। भोजन यान के बारे में रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आई है। केरल में छोटी लाईन को

बड़ी लाईन में बदलने के बारे में मैं श्री स्टीफन को लिखूंगा । उन्हें धन के आवंटन के बारे में चिन्तित नही होना चाहिए । धन के अभाव के कारण किसी परियोजना को अधूरा नहीं छोड़ा जायेगा । नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के कार्य में कठिनाई हो सकती है ।

हमें रेलवे संपर्क समिति से हड़ताल करने तथा बातचीत करने के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला है। इसके अलावा, मैंने कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया हुआ है। इस बारे में मेरा दृष्टिकोण लचीला है परन्तु उनकी मांगें मानना असंभव है। क्योंकि इसमें 450 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। परन्तु उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के चंगुल में नहीं आना चाहिये। यदि देश में प्रगतिवादी शक्तियां स्थिति की गंभीरता को नहीं समझती हैं तो वे अपना नुकसान स्वयं कर रही हैं। प्रगतिवादी शक्तियों को आगे आकर चुनौतियां का एक होकर सामना करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुईः—

The following Demands for grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,99,75,000
2	विविध व्यय	9,61,45,000
3	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान . . .	16,38,000
4	साधारण संचालन व्यय—प्रशासन	121,89,65,000
5	साधारण संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . .	459,37,34,000
6	साधारण संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	264,91,78,000
7	साधारण संचालन व्यय—परिचालन (इंधन) . .	220,39,24,000
8	साधारण संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	64,66,31,000
9	साधारण संचालन व्यय—विविध व्यय . . .	42,67,30,000
10	साधारण संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याणं . . .	42,89,19,000
11	साधारण संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग .	115,00,00,000
11क	साधारण संचालन व्यय—पेन्शन निधि में विनियोग . .	16,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया-कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिय अंशदान	181,66,68,000
13	चालू लाइन का निर्माण (राजस्व)	7,50,27,000
14	नयी लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्य ह्रास आरक्षित निधि .	54,28,15,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	चालू लाइन का निर्माण—पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	835,54,72,000
16	पेन्शन प्रभार—पेन्शन निधि	14,53,83,000
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान—विकास निधि	6,03,66,000
20	अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान, सामान्य राजस्व के ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	38,72,47,000
21	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग .	8,00,00,000
22	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि . .	2,63,60,000

विनियोग (रेल) विधेयक, 1974

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1974

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एल० एन० मिश्रा : विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Recently the All India Railway Employees Confederation in its conference held in Madras in which they took a decision to resort to work-to-rule from April 15 to press their demands. The Government should hold talks with them so that such a situation may not arise. Similarly, the All India Running Staff Association has decided to resort to work-to-rule from April 15 to press the damand for ten hours' duty. This should also be considered.

Secondly, a Railway employees leader, Shri Sadanand Jha was murdered in broad day light at Gomoh. It seems to be the result of a conspiracy between profiteers and Government authorities. This matter should be enquired into.

We had hoped that things would improve when the new Railway Minister assumed offices. But now trains are running late. This is causing great hardships to the Government employees coming from Sahabad and Mukama in Patna. Late running of trains should be stopped. To alleviate the discontent among Government Servants and daily passengers, local trains, Passenger trains and shuttles should be run on time. Otherwise the situation in Bihar can aggravate.

Shri L. N. Mishra : I have not got any information regarding the murder. But I will take up this matter with the hon. Member on receipt of the information. Regarding late running of trains, we need your cooperation. We shall look into the question of Mandar hill raised by Shri Madhu Limaye.

Lastly, I again repeat that. I am prepared to talk with employees and want your cooperation in this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि मे से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एल० एन० मिश्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक
INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL

(धारा 2, 17 आदि का संशोधन)

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Dr. Laxminarain Pandeya : I introduce the Bill.

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक
HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

(धारा 13 और 15 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यहै है :

"कि अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

परिसीमन (संशोधन) विधेयक
DELIMITATION (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 9 क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमन (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : सामाजिक या आर्थिक समानता की व्याख्या में अन्तर होने की गुंजाइश है किन्तु राजनीतिक समानता की व्याख्या के बारे में दो राय नहीं ह । इसका अर्थ है "एक व्यक्ति एक राय" और प्रत्येक नागरिक के लिए एक मत ।

[**श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुये
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

श्री मधु लिमये : क्या विधेयक राजनीतिक समानता की इस व्याख्या पर आधारित है । उनका प्रस्ताव है कि संसद या विधान सभा के लिए बने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओ की संख्या समान होनी चाहिए । इनमें वह 10 प्रतिशत की छूट देने को तैयार हैं ।

इस सम्बन्ध में देश में बहुत बड़ी विषमता है । उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 6,44,638 है जबकि राजापुर निर्वाचन क्षेत्र में यह 3,96,063 है । इसका अर्थ है कि राजापुर का एक मतदाता बम्बई के 1.6 मतदाताओं के बराबर है । इसी प्रकार महाराष्ट्र विधान सभा के मुलुन्द निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओ की संख्या 1,27,089 है जबकि औरंगाबाद में यह 37,095 है । इसका मतलब हुआ कि औरंगाबाद का एक मतदाता मुलुन्द के 3.5 मतदाताओं के बराबर है । यह निस्संदेह बड़ी राजनीतिक विषमता है ।

जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, यह विधेयक प्रशंसनीय है परन्तु इसे लागू करना बहुत कठिन होगा । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश हैं जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां और विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं । साथ ही प्रशासनिक कठिनाइयां भी हैं । इसी आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अधिक है और किसी मे कम । अत: श्री लिमये के विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता । परन्तु अब हमारे सामने सरकार द्वारा लाया गया परिसीमन समिति विधेयक है । श्री लिमये के विधेयक में जो सिद्धान्त निहित है उसे परिसीमन समिति को भेजा जा सकता है ।

***श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबोरिया): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता का अधिकार समान होना चाहिए । साथ ही मेरा अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे और उसे मतदान करने की सुविधा उपलब्ध हो ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Chairman, Sir, the Bill moved by Shri Madhu Limaye is really worth consideration. Some of the constituencies are so big and so thickly populated that it is difficult to establish contact with all the voters and the legislators representing them cannot attend to the daily problems of their voters. Though last time the Delimitation Commission had brought about some improvement in some constituencies, still there is great scope for improvement. We also raised all these points before the Delimitation Commission. So it is desirable that the Minister should accept this Bill and the constituencies should be so reorganised that the legislators may be able to establish direct contact with all the voters. With these words, I support the Bill.

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English, translation of the speech delivered in Bengali.

Shri R. V. Bade (Khargaon) : Mr. Chairman, Sir, there exists wide disparity in the sizes of various constituencies. For example, in Rewa constituency of Madhya Pradesh, there are 1,60,000 voters while in the adjoining assembly constituency there are only 28,000 voters. Such a disparity is not desireable. I would like to know the reason why there is such a big difference. I support the Bill and want that the proposals set forth therein should be referred to the Election Commission and they should give due consideration to the proposals.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Mr. Chairman, Sir, my submission is that justice is not done with the voters of hilly areas where the population is scattered and thin. Hill districts of Uttar Pradesh also suffer on this account. But the people in these areas are given representation just like other density populated areas. This is injustice with these people. There is anomaly also. While in Himachal Pradesh, Kashmir, Nagaland and Meghalaya, the thinly populated areas have been given special representation, no such provision has been made for the hilly areas of Uttar Pradesh. The result is, that on the one hand people are not in a position to present their grievances to their representatives and on the other hand it is difficult for the representatives to go round their constituency even once in five years. So the constituencies should be so delimited that the representatives may be able to establish contact with their voters easily.

I would also like to point out that before 1971 census, the hill districts of Uttar Pradesh had 21 seats in the Assembly. But after the census, the number was reduced to 19. This is because of the time of census a large number of people had gone away to the plains in search of employment. This injustice should be rectified. The hill districts must get as much representation as has been given to such areas in Himachal Pradesh, Kashm ir and Nagaland. With these words, I support the Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्रीमान् प्रस्तुत विधेयक परिसीमन अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए लाया गया है और परिसीमन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद संख्या 81, 82 और 170 के उपबन्धों के अनुसार बनाया गया है। परिसीमन अधिनियम में न्यूनाधिक वही उपबन्ध हैं जो अनुच्छेद 81 और 170 में है। श्री मधु लिमये ने अपने विधेयक में यह प्रस्ताव किया है कि वर्तमान अधिनियम में धारा 9क जोड़ी जाये। यदि नई धारा 9क विद्यमान विधेयक में जोड़ दी गई तो आवश्यकता पड़ने पर धारा 9 सहित अन्य धाराओं की अवहेलना करनी पडेगी। परिसीमन अधिनियम की धारा 9 में वही उपबन्ध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 81 में हैं। अत: यदि नयी धारा 9क विद्यमान अधिनियम में जोड़ भी दिये जाये तो यह अनुच्छेद 81 और 82 के विरूद्ध होगी। इस प्रकार उसे व्यवहार में लाना कठिन होगा। यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन मतदाताओं की संख्या के आधार पर किया जाता है तो इसके लिए संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेदों में भी संशोधन करना होगा।

यदि आप मुझे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के नाम बतायें तो मैं जानकारी एकत्र करके आयोग को दे दूंगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह सही है या नहीं।

श्री मधु लिमये ने किसी निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े दिये हैं, अर्थात् जब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाये तो मतदाताओं की संख्या क्या होनी चाहिए। यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि जब कोई व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए जाता है तो वहां की जन संख्या अवश्य बढ़ेगी। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि ऐसा मतदाताओं की संख्या पर निर्भर होना चाहिये तो उसका यही उपाय है कि संविधान के संगत उपबन्धों में संशोधन कराया जाये।

श्री मधु लिमये ने अनुच्छेद 326, 81 और 14 का उल्लेख किया तथा कहा कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। यह बात अनुच्छेद 326 के अनुरूप है और संविधान के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। श्री लिमये ने अमरीकी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए दो मामलों का उल्लेख किया, फिर भी श्री मधु लिमये के उद्धरणों से भी इसी बात का पता चलेगा कि निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्धारित करने में जनसंख्या ही आधार होती है।

श्री दशरथ देव ने सुझाव दिया कि मैदानों और पहाड़ों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये दो प्रणालियां होनी चाहिय। यह सही है परंतु ऐसा कैसे किया जाय। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन करना चाहिये और जैसा कि नागालैंड के लिये अनुच्छेद 317क में विशेष व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था करनी चाहिये।

संवैधानिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार करना संभव नही है और मैं श्री लिमये से यह विधेयक वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** The hon. Minister should go into the details of the two or three points which have arisen out of the debate. In this Bill, the basis of determining the constituencies is the number of voters. He has also said that section 9 merely reproduces the language of the constitution.

So far as the definition of the constitution is concerned, we have no right to change that by law but so long as the other points stated by the hon. Minister are there, the Delimitation Commission has so many powers.

I fail to understand as to why there is difference between the number of voters and population.

My points should not be rejected on technical grounds. I request the hon. Minister to study the figures of the whole state. When I find much difference, I feel there is some manipulation in preparing the voter-lists.

I would like to know whether there is really less voters in hilly areas or whether thousands of them are not included in the list ?

. So far as plains are concerned, I mentioned about Kathi and Syeedpur. There seems to be a greater difference as regards the number of voters in the two constituencies. It is also required to be studied whether thousands of people are left out while preparing lists. It is a fact that the hilly areas are not so much populated as plains and urban areas. Is it possible to amend the constitution to effect some change in regard to the hilly areas, in the context of parity of population, as it is very difficult for the people of hilly areas to contest elections.

While the Hon'ble Minister give assurance that he would try to inquire into this matter and he would also issue instructions to the Delimitation Commission, if necessary.

Will the Hon'ble Minister assure that the defects of the voters lists would be removed and efforts would be made to make them upto date.

I agree that so far as the hilly areas are concerned, it would not be possible without amending the constitution. If the Hon'ble Minister assures that he would consider the matter and appoint some study group to study these aspects, I am prepared to withdraw my Bill.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : I will certainly find out the facts about the difference in the population as well as the number of voters in constituencies and appraise him of the same.

We will try to remove defects in the voters lists and make them uptodate.

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे परिसीमन (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री मधु लिमये को परिसीमन (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

खान (संशोधन) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

(धारा 12, 64 आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि खान अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

खान अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत खान बोर्डों और खान समितियों का गठन किया जाता है। पर न तो अधिनियम और न ही नियम तथा विनियमों में से इस बात की व्यवस्था की गयी है कि ये निकाय कब-कब अपनी 8 बैठकें करेंगे। अत: हम त्रुटि को दूर करने के लिये यह प्रस्ताव किया है कि खान-बोर्ड और खान समितियां वर्ष में दो बार अपनी बैठकें आयोजित करें।

इस के अतिरिक्त, मैंने धारा 64, 66, 67, 70 और 72ग और 73 में संशोधन का सुझाव दिया है। धारा 64 के दण्डात्मक उपबंधों के अनुसार यदि रिकार्ड आदि में गड़बड़ी पाई जाती है, तो किसी व्यक्ति को तीन मास तक का कारावास अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं। इस संबंध में मैंने विरोध करते हुये यह सुझाव दिया है कि कारावास की अवधि कम से कम 3 मास और जुर्माना कम से कम 300 रुपये होना चाहिये। इन दण्डात्मक उपबन्धों का पालन नहीं किया जाता और अधिकांश मामलों में न्यायालयों ने कम दण्ड दिया है।

मैंने धारा 66 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिस के द्वारा योजनाओं आदि के न भेजने पर जुर्माने का उपबन्ध किया गया है।

खान अधिनियम में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये तथा इसमें और संशोधन किये जाने चाहियें। यदि मंत्री महोदय मुझे यह आश्वासन दें कि सरकार इन बातों की ओर उचित रूप से ध्यान देगी, तो मैं इस विधेयक को अभी पारित करने पर जोर नहीं दूंगा। मैं इस बात के लिये प्रतीक्षा करूंगा कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में क्या निर्णय किया जाता है।

***श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : श्री सामन्त द्वारा यह विधेयक पेश किया गया है जो व्यावहारिक अनुभव पर आधारित है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि बाजार में कोयले का मूल्य बहुत ही अधिक है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात पर्याप्त मात्रा में कोयले का उत्पादन और उसका उचित ढंग से वितरण करने का दायित्व सरकार का हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने बताया था कि कोयले का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढा है। परंतु यह सभी जानते हैं कि लोग कोयले की कमी अनुभव कर रहे हैं। सरकार को वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करना चाहिये।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengal.

कोयले का शीघ्र लाने ले जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि लोगों को कोयला उचित और निश्चित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। कोयले की राशन की स्थिति भी बहुत खराब है। कोयले का वितरण राशन कार्डों के द्वारा किया जाना चाहिये तथा सरकार को वितरण पद्धति को लगातार सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। कोयले का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसका उत्पादन मूल्य नहीं बढा है। तब कोयले की बिक्री इतने अधिक मूल्य पर क्यों की जा रही है? अवश्य ही इस बारे में मध्यवर्ती स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसे अवश्य दूर किया जाना चाहिये। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लागत मूल्य के अनुसार कोयले का मूल्य निर्धारित करे तथा उसे जनता को निश्चित मूल्य पर उपलब्ध कराये।

मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कोयला खानों और कोयला व्यापार में लगे सभी कर्मचारियों को नये ढांचे के अन्तर्गत खपा लिया जाय। खान मालिकों द्वारा पहले छंटनी किये गये कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति की जानी चाहिये। मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I fully support this Bill and hope that the Government would accept it.

The provision has been made in this Bill that at least two meetings of the Boards would be held in a year.

The penal provisions of Mines Act should be made more stringent. The person, who is a defaulter under Mines Act, should not only be fined, but also imprisoned.

The Government had nationalised the coal mines with a good purpose. But after nationalization, the coal is not available even at exorbitant prices and that also not in sufficient quantity. No meeting has been held by the Boards constituted under this Act. There should be representatives of the workers on these Boards. The recognised Unions should be asked to send their representatives. Some mines have been closed. The work should be started in the mines again, so that the workers, who had been thrown out of employment, may be able to get employment.

The condition of mine workers is pitiable. Their service conditions should be improved. Their working hours should be reduced. A member of the family of the deceased worker should be given services.

There had been some incidents of firings in some coal mines in Madhya Pradesh. The report of the inquiry committee has not been published so far. The action should be taken against those persons who are responsible for it.

The condition of the workers should be improved, they should be provided with better housing facilities. The system of their ration should set a right. I would request the Hon'ble Minister to look into these points and touch them while replying to the debate.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सरकार के उन बातों पर विचार करना चाहिये जिनका उल्लेख श्री सामन्त ने अपने विधेयक में किया है। खान (संशोधन) अधिनियम पर संयुक्त समिति लगभग एक वर्ष से विचार कर रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो चुका है।

श्री अर्जुन सेठी : यदि ऐसा है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। कोयला खान श्रमिकों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, अत: उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बाजार में कोयला नहीं मिलता और यदि मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। सरकार माननीय सदस्यों की चिंता को समझती है। मैं मध्य प्रदेश के परासिया कोयला खान क्षेत्र में गया था और वहां पर मैंने पाया कि कोयला इकट्ठा हो रहा है क्योंकि परिवहन की कठिनाई के कारण कोयला वहां से उठाया नहीं जा रहा है।

[श्री बाल गोविंद वर्मा]

यह भी कहा गया है कि गोरखपुरी के श्रमिकों को अस्वच्छ स्थानों पर काम करना पड़ता है और उन्हें पौष्टिक खाना भी नहीं मिलता और उनका शोषण किया जाता है। यह बात गलत है। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीयकरण से पहले की हो सकती है। कोयला खानों से राष्ट्रीयकरण के बाद अब उन्हें स्थायी कर्मचारी बना दिया गया है। खानों के मजदूरों को अन्य कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाता है। प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

विधेयक की प्रथम धारा में कहा गया है कि विधेयक को जम्मू और काश्मीर के सिवाय समूचे भारत पर लागू किया जाये। उन्हें मालूम होना चाहिये कि अधिनियम को 15 अगस्त, 1968 से जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गय है। विधेयक का खंड 2 खनन बोर्डों से जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 12 के अधीन बनाये गये हैं। सम्बन्धित प्रक्रियात्मक मामलों के बारे में है।

साधारणतः बोर्ड के सुपुर्द वही मामले किये जाते हैं जो खान अधिनियम की धारा 59(4) और 18 और कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम, 204 और धातुयुक्त खान विनियम, 1961 के विनियम 195 के अधीन आते हैं। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जो बोर्ड के पास निर्णय के लिये भेजे जाते हैं। यदि साधारण मामले हों तो सदस्यों में कागजात बांटकर उनकी राय ले ली जाती है और निर्णय कर लिया जाता है। अतः बोर्ड की बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है।

श्रम मंत्री ने 22 मई, 1972 को लोक सभा में खान (संशोधन) विधेयक, 1972 पेश किया था और इसे संयुक्त समिति के सुपुर्द किया गया था। संयुक्त समति ने अपनी रिपोर्ट इस सिफारिश के साथ ही कि दो खनन बोर्ड बनाये जायें। एक कोयला खानों के लिये और दूसरा कोयला खानों के अलावा अन्य खानों के लिये। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार खनन बोर्ड के प्रस्तावित 17 सदस्यों के स्थान पर 19 सदस्य होंगे। अतः विधेयक में प्रस्तावित धारा 12 के संशोधन की आवश्यकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत गम्भीर अपराधों के लिये दंड निर्धारित करने के प्रश्न पर त्रिपक्षीय मंच पर विचार किया गया था और इस बारेंमें समुचित उपबंध पहले ही विधेयक में जोड़ दिये गये हैं। खान (संशोधन), विधेयक, 1972 पर संयुक्त समिति ने मत व्यक्त किया था कि न्यूनतम दंड देने के लिय अदालतों को ऐच्छिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें और अधिनियम की धारा 22क के अधीन आदेशों के उल्लंघन के लिये सख्त दंड दिया जाना चाहिये।

संयुक्त समिति ने उसी के अनुसार विधेयक के खंड 29 और 30 में संशोधन कर दिया है। अतः प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खंड 3 से 8 का महत्व नहीं रहा है। सरकार ने पहले ही एक विधेयक पेश किया है जिसमें कानून के अनुसार गम्भीर है अपराधों के मामले में न्यूनतम जुर्माना लगाने का उपबंध भी है। विधेयक को पारित करने के लिये यथाशीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुये मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री एस० सी० सामन्त को खान अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक
COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL

(धारा 10, 20 आदि का संशोधन)

सभापति महोदय : अब हम श्री एस० सी० सामन्त के विधयक को लेते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : आप विधेयक को पुरःस्थापित कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो इसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति ले सकते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री एस० सी० सामन्त को नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधयक को वापस लेता हूं।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित स्कूटरों की विक्रय एजेन्सियां*
DEALERSHIP FOR SCOOTERS MANUFACTURED BY SCOOTERS INDIA LTD., LUCKNOW

श्री स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कूटरों का क्या मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा इसके निर्माण और विक्रय पर इंजीनियर प्रबन्धकों या इंजीनियर विक्रेताओं को कितनी कमीशन दी जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Minister concerned is not present.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : उपमंत्री यहां उपस्थित हैं और मंत्री महोदय की ओर से मैं भी यहां हूं।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि स्कूटरों के विक्रय प्रबन्धकों या विक्रेताओं के रूप में किस प्रकार के इंजीनिरों के लगाया जायेगा। क्या डिप्लोमा प्राप्त या भतपूर्व सैनिकों को भी यह सुविधा दी जायेगी अथवा नहीं? क्या इन व्यक्तियों को ऐसा रोजगार देने से पूर्व सरकार इन इंजीनियरों को अटो-इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देगी? प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी और प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवा इंजीनियरों को कितनी छात्रवृत्ति दी जायेगी? इन इंजीनियरों को कौन वित्तीय सहायता देगा, सरकार या बैंक? बेरोजगार इंजीनियरों को केवल विक्रय व्यापार या एजेन्सी देना मात्र ही पर्याप्त नहीं रहेगा? उन्हें अन्य सुविधाएं भी देनी होंगी। क्या ऐसी विक्रय ऐजेन्सीयां रोजगार सरकारी समितियों को भी दिया जायेगा या नहीं? क्या सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों

***आधे घंटे की चर्चा**

***Half-An-Hour Discussion**

[श्री स्वर्णसिंह सोखी]

से सम्बन्धित और विश्वकर्मा के इंजीनियरों के लिये इस प्रकार के रोजगार का आरक्षण करने पर विचार करेगी ? प्रत्येक विक्रेता या स्व:नियोजित इंजीनियर को प्रतिमास कितने स्कूटर अलाट किये जायेंगे? क्या इंजीनियरों को भी बिक्री प्रबन्धक या एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा ? क्या सरकार उनके वित्तीय साझीदारों पर अधिकृत विक्रेता का कार्य करने पर रोक लगाएगी जिसमें भ्रष्टाचार को रोका जा सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन्जिनियरों के लिये भी डीलरशिप की कोई प्रतिशतता निर्धारित की जायगी ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The hon. Minister has not mentioned the number of sale centres proposed to be opened in the country. He should also give the figures of the scooters produced in private sector and in the public sector.

The fact that since the increase in the price of petrol, price of scooter has also increased from Rs. 3,800 to Rs. 9,000 or Rs. 10,000 in black market shows that scooters are in short supply. May I know the demand and supply position of scooters in the country? I would also like to know whether Government propose to give licenses for the manufacture of scooters to the private parties or do they intend to set up a factory in public sector for this purpose ?

May I also know whether the amount of Rs. 1,000 to Rs. 1,500 proposed to be given to the engineers engaged for this job would be paid as commission or as salary ? What steps are proposed to be taken by the Government to check malpractices indulged in by the dealers as well as the private manufacturers of scooters ? It has been observed that sub-standard tyres are used by certain scooter manufacturers with the connivance of big Officers. Due to these sub-standard tyres several serious accidents have occurred. I demand, therefore, that Government should have a proper check on the quality of tyres. I also suggest that the price of scooter should be reduced considerably.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is a fact that there is an acute shortage of scooters in the country and people have to wait for a long time to get scooters. In this background, I would like to know the yearly production of scooter in the scooters India Ltd. in Lucknow. May I know whether Government have prepared any scheme to gradually increase its production since it is a public undertaking.

So far as the scheme in regard to giving agencies to engineers in concerned, I would like to know the detailed information in this regard. Will the hon. Minister be kind enough to mention the nature of this scheme and the manner in which this scheme is proposed to be implemented ? Has the plan as to the total number of such agencies to be opened in the country been finalised ? What would be the maximum number of such agencies in different areas ? I would also like to know the percentage of commission proposed to be given to the engineers. Is the amount of Rs. 1,000 to Rs. 1,500 in subject to upward revision in future ?

Does the hon. Minister propose to set up another Plant some where else in the country ? I would also like to know whether there engineers or agents would be given representation in the management of this undertaking so that their problems are discussed there in time ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्कूटर के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है और इसके लिये मैं भारी उद्योग मंत्रालय को बधाई देता हूँ । मैं जानना चाहता हूं कि स्कूटर की एजेंसिया किस आधार पर दी जाती हैं । इस समय यह आवश्यकता है कि बेरोजगारों तथा युद्धवीरांगनाओं को इस प्रकार की सुविधा दी जाए । उनसे अपनी सहकारी समितियां बनाने की सलाह दी जानी चाहिये । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस उपक्रम की क्षमता क्या है तथा क्या यह उपक्रम पांचवीं योजना में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का शिलान्यास गत मई महीने में किया गया था और यह प्रसन्नता की बात है कि इसमें इसी वर्ष अगस्त के महीने में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। आशा है कि 1974–75 में 20,000 स्कूटरों का उत्पादन होगा तथा इस के पश्चात् प्रतिवर्ष एक लाख स्कूटरों का उत्पादन होगा।

जहाँ तक स्कूटर की मांग और पूर्ति का सम्बन्ध है, पैट्रोल की कीमत बढ़ने से जिन व्यक्तियों के पास कारें हैं, वे स्कूटर की मांग कर रहे हैं। इससे स्कूटर की मांग बढ़ गई है। किन्तु ऐसे व्यक्तियों को स्कूटर देना कठिन है क्योंकि अन्य लोगों को बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि देश में दो-तीन किस्म के स्कूटरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तथा फालतु पुर्जे भी उपलब्ध कराये जायें। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने सभी राज्य विकास निगमों से सहयोग किया है जिसमें वे कोई न कोई पुर्जा बना सकें। निर्यात के बारे में भी विदेशों से बात-चीत की जा रही है। आशा है 1980 तक देश में स्कूटरों का कुल उत्पादन 4 लाख हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि स्कूटरों के उत्पादन में यथा सम्भव वृद्धि की जाए।

जहाँ तक स्कूटरों के वितरण का सम्बन्ध है, हमने यही उपयुक्त समझा कि यह कार्य बेरोजगार इंजीनियरों को सौंपा जाए जिससे वे अपनी वर्कशाप खोलकर बिक्री के बाद स्कूटरों की मरम्मत भी कर सकें। इसी उद्देश्य से वितरण की यह नई प्रणाली निकाली गई। वितरकों की संख्या उत्पादन के आधार पर निश्चित की जाएगी। अत: आरम्भ में ही बड़ी संख्या में वितरक नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है। स्वाभाविक है दिल्ली और पूना जैसे बड़े नगरों में एक से अधिक वितरक होंगे। वितरक का व्यापारी होना आवश्यक है तथा उसके पास पर्याप्त संख्या में स्कूटर भी होने ही चाहियें। इस स्थिति में उसे प्रति माह 24 स्कूटर अलाट किये जाएंगे। जहाँ तक उसकी आय का सम्बन्ध है, आशा है उसे पहले वर्ष 1,108 रुपया प्रति मास, दूसरे वर्ष 1,224 रुपया प्रतिमास, तीसरे वर्ष 1,340 रुपया प्रतिमास और चौथे वर्ष 1,456 रुपया प्रतिमास के हिसाब से आय होगी। इसके अतिरिक्त, उसे सात रुपया प्रति स्कूटर के हिसाब से कम्पनी की ओर से सर्विसिंग के लिये मिल जायेंगे क्योंकि उसे तीन बार मुफ्त सर्विसिंग करनी होगी। वर्कशाप बनाने के लिये उसे राष्ट्रीयकृत बैंक से 12,500 रुपयों का ऋण दिया जाएगा तथा उससे यह ऋण धीरे-धीरे वसूल किया जाएगा।

यह योजना बेरोजगार इंजीनियरों की समस्या का हल नहीं है, वरन् हम चाहते हैं कि इस प्रणाली के माध्यम से वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी वर्कशाप स्थापित कर लें जहाँ वे पम्प सैटों, ट्रैक्टरों आदि की मरम्मत कर सकते हैं।

यदि अल्पसंख्यक जातियों और अनुसूचित जाति-जनजाति के इंजिनियरों को प्राथमिकता दी जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। यदि उनमें अपेक्षित योग्यता पाई जाये तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये।

इंजीनियर मैनेजर को प्रति स्कूटर 85 रुपया कमीशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, फालतू कल पुर्जों की बिक्री पर उसे 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। किन्तु उसे इस आय में से फुटकर खर्च वहन करना होगा। इस प्रकार उसकी शुद्ध आय, यदि उसे प्रति मास 32 स्कूटर अलाट किये जाते हैं तो, प्रथम वर्ष में 1,594 रुपये प्रति मास, दूसरे वर्ष में 1,710 रुपये प्रति मास, तीसरे में 1,826 रुपया प्रतिमास, और चौथे में 1,942 रुपया प्रतिमास होगी। यदि इस मामले में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी विचार किया जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या प्रशिक्षण काल में उन्हें वजीफा दिया जाएगा? क्या शो रूम के लिये 12,500 रुपये की राशि पर्याप्त होगी? यह राशि किस राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी जाएगी?

श्री टी० ए० पाई : धनराशि दिलाने का प्रबन्ध स्कूटर्स इण्डिया करेगा। 36 स्कूटरों के लिये बहुत बड़े शो रूम की आवश्यकता नहीं है। योजना की क्रियान्विति के समय व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखा जाएगा। यह योजना स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है तथा मंत्रालय ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रखा।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : यदि इंजीनियर एजेंट या मैनेजर व्यापार में असफल रहे तो क्या सरकार अपने वित्तीय साझीदारों के अधिकृत व्यापारी बनने पर प्रतिबन्ध लगाएगी जिसमें भ्रष्टाचार को रोका जा सके ?

श्री टी० ए० पाई : हम इस कार्य के लिये किसी को वित्त पोषक नहीं बनाना चाहते। इसीलिये वित्त पोषण बैंकों से किया जा रहा है। यदि कोई इंजीनियर अपने कार्य में विफल रहता है अथवा उस पर कोई आरोप होंगे तो उससे वितरणकार्य वापस ले लिया जाएगा। जहाँ तक प्रबन्ध में उनके प्रतिनिधित्व का सवाल है, उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाएगा। वे हमारे वितरक होंगे। कर्मचारियों से अंशदान के रूप में लिये जाने के लिये 25 लाख रुपये की पुंजी निर्धारित की गई है। हमारी यह योजना होगी कि कर्मचारियों को भी शेयरहोल्डर बनाया जाए।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the steps being taken to check the sale of scooters in black market ?

श्री टी० ए० पाई : स्कूटरों की चोर बाजारी में अधिकारियों का कोई हाथ नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र के स्कूटरों के व्यापार से अधिकारियों का कोई सम्बन्ध नही है और सरकारी क्षेत्र में अभी स्कूटरों का उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ।

टायरों के बारे में की गई शिकायत के उत्तर में मेरा मत है कि हमारे देश में उत्तम स्कूटर ही बनने चाहियें। किन्तु यदि पूरे परिवार को ही स्कूटर पर बिठा लिया जाये तो टायर कहाँ तक भार वहन कर पाएंगे। यह सच है कि स्कूटरों का चोर बाजार में मूल्य बहुत अधिक है। कुछ व्यक्ति स्कूटर लेकर अन्य व्यक्ति को अधिक मूल्य पर दे देते हैं। किन्तु ऐसे मामले बहुत कम हैं। इस समस्या का एक ही हल है कि स्कूटरों के उत्पादन में यथाशीघ्र वृद्धि की जाये।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 25 मार्च, 1974/4 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 25, 1974/*Chaitra* 4, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० सेक्रट—7 एल०एस०एस०/74—6-7-74—490.